तक़लीदे शख़्सी ज़रूरी है

मौलाना ततहीर अहमद बरेलवी





जीलानी बुक डिपो
1229, चूड़ीवालान, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

इस्लामी कुतुब ख़ाना
धौरा ज़िला बरेली (यू.पी.)

अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ीर **सग ऐ रज़ा लाला ख़ान** अपने आइडियल हुज़ूर मोहसिन ऐ क़ोम ओ मिल्लत , कातअ ऐ बिदअत ओ दलालत , नासिर ऐ मसलक ऐ आला हज़रत , फ़ना फ़ी् रज़ा , मुहिब्बे ताजुशरिया , **हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती ततहिर अहमद रजवी मद्दाज़िल्लहु आली** की कुतुब ऐ मुबारका को पीडीएफ में करने की सआदत हासिल कर रहा हैं , आप जितने हज़रात इन कुतुब से इस्तेफ़ादा हासिल करे उनसे गुज़ारिश हैं के वो हुज़ूर मोहसिन ऐ क़ोम ओ मिल्लत की उम्र में अमल में हिम्मत में खैर ओ आफ़ियत के साथ बरकत की दुआ फरमाये और इस फ़क़ीर को भी खास तोर पर अपनी दुआओ में याद फरमाये अल्लाह करीम अपने हबीब अलैहि सलाम के सदके मुझे मसलक ऐ आला हज़रत पर कायम रख इसी पर खात्मा बिल ख़ैर नसीब फरमाये आमीन या रब अल आलामीन

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یوم ندعوا کل اناس بامامھم

तर्जुमा : जिस दिन हर जमाअ़त को हम उसके इमाम के साथ बुलाएँगे! (सूरह बनि इस्राईल,प0 15 आयत 71)

अहले हदीस ग़ैर मुक़ल्लेदीन के तक़लीदे आईम्मा से मुतअल्लिक ए'तेराजात का मुकम्मल व मुफ़स्सल व मुदल्लल जवाब

बनाम

तक़लीदे शख़्सी ज़रूरी है

मुरत्तिब

मौलाना तत्हीर अहमद रज़वी बरैलवी

नाशिर

इस्लामी कुतुबख़ाना

पोस्ट धौंरा, ज़िला, बरेली (यू०पी०)

पिन कोड–243204

फोन–9319295813

किताब का नाम : **तकलीदे शख्सी जरूरी है!**

मुरत्तिब : मौलाना तत्हीर अह्मद रज़वी

तस्हीह : मास्टर मुशीर अह्मद धौंरा, बरेली

हिन्दी लेखांकरण : मोह्म्मद शाहिद सरवर रज़वी
हज़ारीबाग़

कम्पोजिंग : मोह्म्मद ज़ाकिर हुसैन रज़वी
09955171661
हजारीबाग, झारखण्ड

सने तबाअत : पहला हिन्दी एडीशन 2014

कीमत : रूपये 60

हमारी किताबें मिलने के पते

ख्वाजा बुक डिपो जामा मस्जिद, मटिया महल, दिल्ली–6 मो0: 9313086318

मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत, सौदागरान, बरेली (यू0पी0)

कुतुबख़ाना अमजदिया मटिया महल, जामा मस्जिद देहली

हारिस बुक डिपो बुद्ध बाज़ार, टण्डन मार्केट, मुरादाबाद (यू0पी0)

क़ादरी किताब घर नौमहला मस्जिद, बरेली (यू0पी0)

रहमानी कुतुबख़ाना मेमियान टोला, नाला स्ट्रीट, बरेली (य0पी0)

क़ौमी कुतुबख़ाना बड़ा बाज़ार, बरेली (यू0पी0)

अलमजमउल इस्लामी मुबारकपुर, आजमगढ़ (यू0पी0)

मकतबा–ए–फिकरे मिल्लत 130/3, महो–इन्दौर मो0: 8103891262

नोटः इस्लामी कुतुबखाना धौंरा बरेली बाक़ायदा कोई बड़ा कुतुबखाना नहीं है सिर्फ़ मौलाना ततहीर अहमद साहब की लिखी हुई किताबें यहाँ दस्तयाब हैं।

फ़हरिस्त मज़ामीन

फ़हरिस्त मज़ामीन

फ़हरिस्त मज़ामीन

फ़हरिस्त मज़ामीन

फ़हरिस्त मज़ामीन

पहले इसे पढ़िए !

अभी चन्द रोज़ क़ब्ल एक किताब्चा बनाम "क्या तक़लीदे शख्सी जरूरी है?" पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जो मशहूरे ज़माना अहले हदीस मौलवी मुहम्मद जूना गढ़ी की तस्नीफ और जनाब मौलवी रजाउल्लाह अब्दुल करीम साहब मदनी की तक्दीम व पेशकश के नतीजे में फिरका-ए-अहले हदीस के मरकज़ी एदारे मक्तबा दारूल क़लम अलमआहद अलइस्लामी अस्सलफी रिछा जिला बरेली की तरफ से शाए हुआ है। किताब्चे में तक़लीदे शख्सी पर जो कि बुजुर्गाने दीन व आमतुल मुस्लेमीन का शेवह रहा है वही लचर पुराने और मकड़ी के जाल से ज़्यादा कम्ज़ोर चन्द एतेराजात किए हैं कि उलमाए हक बारहा अपनी तक़रीर के जरिए जिनके जवाबात दे चुके हैं अगर उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब देख लेते तो इन सारे एतेराज़ात के जवाबात की भरमार नज़र आती लेकिन वहाँ तो हमेशा से अवाम को गुम्राह करना मक्सूद रहा है जैसा के आम तौर से इस जमाअ़त की ये आदत देखी गई है की उलमा का सामना करने से कतराते हैं और अवाम में कुरआन व हदीस सुनाते हैं।

किताब्चे में जिस घिनावनी जबान का इस्तेमाल किया गया है वह भी इसी जमाअ़त के शायाने शान है। हैरत बालाए हैरत के जमाअ़त अहले हदीस जो किसी को बुरा भला न कहो, की रट लगाए हुए हैं उसके एक जिम्मादार आलिम मौलवी रजाउल्लाह साहब मदनी इसी किताब की तक्दीम में लिखते हैं "और ये सारी खराबी तकलीद पलीद के सबब मुसलमानों में पैदा हुई।"

सय्यिदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु और उनके खानवादे को तबाह व बर्बाद करने वाले यज़ीद के साथ

पलीद का लफ़्ज़ लिखने और बोलने का मामूल रहा है लेकिन मौलवी साहब ने तक़लीद जैसे अम्र दीनी को पलीद कह कर दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी तज़लील व तहक़ीर की है।

وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

बहर हाल ये दुशनाम तराज़ी उन को मुबारक,हम उनकी इस बदगोई का कोई जवाब न देंगे हमने इस मजमून में इस बात का भी इल्तेज़ाम रखा है कि उन लोगों को उनके खुद साख़्ता नाम जमाअ़त अहले हदीस ही से खिताब किया जाए क्यों कि ग़ैर मुक़ल्लिद कहने से ये लोग नाराज होते हैं हालाँके ये भी अजीब बात है की हम तकलीद के क़ाईल हैं हमें मुकल्लिद कहा जाए तो हमें खुशी होती है ये लोग तकलीद के मुखालिफ हैं इन्हें लफ्ज़े ग़ैर मुक़ल्लिद सुन कर मसरूर होना चाहिए मगर सफहए हस्ती पर ऐसे लोग भी कम देखे गए होंगे जिन्हें खुद अपने ही नाम से चिढ़ हो इस मौका पर समझ वालों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपने नाम का जाहिर हो जाना किन लोगों को ना गवार होता है।

बहर हाल इन सब बातों का ख्याल इस लिए रखा जा रहा है की हमें एहक़ाक़ हक़ मन्ज़ूर है ना के किसी की दिल आज़ारी और ये भी खतरा है कि हमें कहीं इस तहरीर का जवाब सिर्फ ये कह कर न दिया जाए के फुलाँ मौलवी ने गालियाँ दी हैं क्यों के अक्सर देखा गया है की जब उलमाए अहले सुन्नत अपनी तक़रीर और तहरीरात में कुरआन व हदीस से दलाईल के अम्बार लगाते हैं तो ये सिर्फ एक बात में सब का जवाब देते हैं कि बहुत गालियाँ दी हैं और बहुत बुरा भला कहा है।

रही तक़लीद आईम्मा–ए–दीन तो वह एक ऐसा बदीही अम्र है की उसके वजूब पर यक़ीन करने के लिए ग़ौर व फिक और दलाईल की हाजत नहीं। कौन नहीं जानता के उम्मत के सारे लोग कुरआन व हदीस को नहीं समझ सक्ते और न उससे मसाईले दीनया का इस्तेम्बात कर सक्ते हैं। ये कहाँ की अक्लमन्दी है की हर कस व नाकस को कुरआन व हदीस से मसाईल निकालने पर मजबूर किया जाए कुरआने मजीद में खुद फरमाया गया है:– " فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۴۳ तर्जुमा : इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं। (सूरह नहल, प0 14 आयत न0 43)

ग़र्ज के मुसलमान दो तरह के हैं एक मुजतहिद दूसरे ग़ैर मुजतहिद, मुजतहिद वह है कि उसमें इस क़दर इल्मी लियाक़त और काबिलिय्यत हो के कुरआनी इशारात और रुमूज को समझ सके कलाम के मक़्सूद को पहचान सके उससे मसाईल निकाल सके नासिख व मन्सूख का पूरा इल्म रखता हो। या'नी ये जानता होके कौन सी आयत पहले नाज़िल हुई और कौनसी बाद में और कौनसी बात अल्लाह के रसूल सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने किस मौक़ा पर फरमाई और दूसरी बात किस मौक़ा पर, इल्म सर्फ व नहव व लुग़त व बलाग़त पर महारते ताम्मा रखता हो। अहकाम की तमाम आयतों और अहादीस पर उसकी नज़र हो उसके एलावा ज़की व खुश फहम हो और जो इस दर्जे को ना पहुँचा हो वोह मुजतहिद नहीं और जो मुजतहिद नहीं उसके लिए तक़लीद जरूरी है और मुजतहिद के लिए तक़लीद मनअ़ है इसी लिए तबअ़ ताबेईन के दौर से ले कर आज तक जितने मुसलमान हुए सब मुक़ल्लिद। उनमें बड़े बड़े औलियाए कराम भी हुए और उलमाए ज़ीशान भी। मस्लन इमाम राज़ी,

इमाम गज़ाली, इमाम बुखारी, इमाम तिर्मजी, इमाम अबु दाऊद हुज़ूर गौसे आज़म हुज़ूर ग़रीब नवाज़ वग़ैरहुम।

बुजुर्गाने दीन जिन पर उम्मत को नाज़ है ये भी बा आँ इल्म व जलाल किसी न किसी इमाम के मुक़ल्लिद थे। तकलीद के मुखालेफीन का वजूद आलमे इस्लाम में हर दौर में ना होने के बराबर रहा है जैसा के आज भी जाहिर है दुनिया में कहीं कहीं कभी कभी ये लोग नज़र आ जाते हैं। बद किस्मती से हमारे जिला बरैली शरीफ की चन्द बस्तियों में इधर एक सौ साल के अन्दर अन्दर कुछ लोग इस तहरीक से मुतास्सिर हो गए हैरत की बात तो ये है कि ये लोग न होने के बराबर ता'दाद रखते हुए भी सिर्फ अपनी जमाअ़त को ही हक पर समझते हैं हालाँकि हदीस शरीफ में है अल्लाह के प्यारे रसूल सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया :–

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار

तर्जुमाः बड़े गिरोह की पैरवी करो इस लिए के जो अलग रहेगा वोह दोज़ख में अलग करके डाला जाएगा।

(मिश्कात शरीफ, बाबुल ए'तेसाम फस्ल 2, सफह 30)

दूसरी हदीस शरीफ में है:–

ایاکم والشعاب و علیکم بالجماعۃ والعامۃ

तर्जुमाः छोटी छोटी टुकड़ियों से बचो और बड़ी जमाअ़त के साथ रहो।

(मिश्कात शरीफ बाबुल ए'तेसाम फस्ल 2, सफह 31)

अहले इस्लाम बिलखुसूस हमारे इलाके के मुसलमानों के बारे में जमाअते अहले हदीस का क्या ख्याल है इसका अन्दाज़ह नाजेरीन मौलवी रजाउल्लाह के इन अल्फाज से लगाएँ जो उन्होंने अपनी किताब "फितनों की सर ज़मीन" के सफह 40 पर लिखे हैं, क़स्बा रिछा में वाक़ेअ अपने मदरसे की तारीफ करते हुए लिखते हैं "अलमुआ'हिदुल इस्लामिस सलफी बरेली जैसे शिर्क ज़दह इलाक़े में ना सिर्फ ये क एक बेहतर दीनी तालीमी तरबिय्यत गाह है जो शिर्क व बिदअ'त की जुलमात में रहनुमाई का फरीज़ा अन्जाम दे रहा है।"

गोया के इन लोगों के नज़दीक बरैली एक शिर्क ज़दह इलाका है और यहाँ के मुसलमान मुश्रिक हैं। काफ़िर है मुसलमान नहीं हैं।

एक और तअज्जुब की बात ये है की अहले हदीस, सय्यिदुना इमाम आ'जम अबु हनीफा व दीगर इमामों के अक़वाल व अफआल या उनकी कुतुब पर अ'मल करने को मना करते हैं और कहते हैं के खुदा और रसूल के सिवा किसी की न मानो जो कुछ देखना हो कुरआन व हदीस में देखो और अपने उलमा मस्लन इब्ने तैमिया,इब्ने क़य्यम,काजी शौकानी, इस्माईल देहलवी, सिद्दीक हसन कन्नौजी, भोपाली और सनाउल्लाह अमृत सरी की तसानीफ पर बिला चून व चरा अ'मल पैरा हैं और उनकी किताबों को खूब छापते और पढ़ते हैं

ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा के हम अपने मौलवियों की किताबों में लिखी सिर्फ उन्हीं बातों को मानते हैं जो कुरआन व हदीस. के मुताबिक हैं तो मेहरबानी करके बताईये के आपके ओलमा की तसानीफ़ में वह कौनसी बातें हैं जो कुरआन व हदीस के खिलाफ हैं। उनकी एक फहरिस्त

बना कर पेश कीजिए अभी आपका भरम खुला जाता है कि आप कुरआन व हदीस के पैरूकार हैं या अपने मौलवियों की किताबों के और अगर आप अपनी धर्म पुस्तकों की ग़लतियों की फहरिस्त पेश ना कर सके तो जाहिर है आपने उन किताबों को कुरआन व हदीस के बराबर का दर्जा दे दिया के उन्हें आपने कुरआन व हदीस की तरह ग़लतियों से पाक मान लिया है।

और जरा ये भी बताते चलिए के आप ये कैसे जानेंगे के उलमा की किताबों में कौन सी बात कुरआन व हदीस के खिलाफ है और कौन सी मुताबिक? और फिर जब आपके पास इतना इल्म है तो फिर उन किताबों की जरूरत ही क्या है? सीधे कुरआन व हदीस ही क्यों ना देखा जाए "होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार, मत मान किसी का क़ौल व किरदार।" का मतलब आपके नज़दीक पूरी तरह दुरूस्त हो जाए। और जब कुरआन व हदीस मौजूद हैं तो आपके मौलवियों ने किताबें क्यों लिखीं।

अब जमाअत अहले हदीस को चाहिए कि पहले अपने मौलवियों की तमाम किताबों और रसाईल, तक़्वीयतुल ईमान, जफरूल मुबीन, फ़तावा अमृतसरी , मे'यारूल हक़, नैलुल अवतार वग़ैरहा को कहीं खोद कर गाढ़ दें या नदी में बहादें के कुरआन व हदीस के होते हुए न कोई किताब लिखी जाए न छापी जाए ताकि कुरआन व हदीस पर सही अमल हो सके फिर उसके बाद हमसे बात करें के तुम लोग इमाम आज़म अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके अस्हाब के अक़वाल क्यों देखते हो और उनकी किताबें क्यों पढ़ते हो जब तेरहवीं चौदहवीं सदी के मौलवी इस्माईल देहलवी व सनाउल्लाह अमृतसरी, नजीर अहमद देहलवी, सिद्दीक़ हसन भोपाली, मौलवी मुहम्मद जूना गढ़ी, अब्दुस्सलाम बस्तवी की

किताबें आपके लिए क़ाबिले अ'मल हैं और ग़लतियों से पाक हैं तो हज़रत इमामे आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु तो हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सलल्लाहु अलैही व सल्लम से इस कदर क़रीब हैं के उन्होंने हुजूर को देखने वालों से मुलाक़ात की, तो उनकी और उनके अस्हाब की तसानीफ पर अ'मल करने से हमें रोकने का आपको हक़ क्या है?والی اللہ المشتکیٰ

मुसलमान भाई अच्छी तरह समझ गए होंगे के तक़लीद के मुखालेफीन के पास धोका देने के एलावा और कुछ नहीं। इस लिए के सय्यिदुना इमामे आ'जम अबु हनीफा अलैही रहमतु व रिज़वान व दिगर आईम्मा मुज्तहेदीन की तक़लीद कुरआन व हदीस के खिलाफ नहीं बल्के कुरआन व हदीस को समझने और उनसे फ़ैज पाने का एक जरिआ है।

पेड़ के पत्तों को ग़िज़ा अगर्चे ज़मीन ही से आती है लेकिन जड़, तने और शाखों के जरिआ बराहे रास्त कोई ग़िज़ा लेने के लिए चले तो शाख से टूटना पड़ेगा और फिर सूखकर हवा में उड़ जाएगा। وللہ المثل الاعلیٰ इस मिसाल से वाजेह हो गया के सहाबा–ए–किराम रिजवानुल्लाहि तआ़ला अलैहिम अजमईन को तक़लीद की जरूरत न थी क्यों के वह हुजूर नबी करीम अलैहिस सलातु वत्तस्लीम के हर वक़्त क़रीब रहते थे और उनके सामने कुरआन नाज़िल हुआ करता था जो सवाल दिल में उभरता सरकार से दरयाफ्त कर लेते थे उन्हें बेशक क़ुरआन व हदीस के एलावा किसी तीसरी चीज़ की जरूरत न थी जैसे दरख्त की जड़, कि उसको ज़मीन से क़रीब होने की वजह से ज़मीन से ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी वास्ते की जरूरत नहीं है और हम लोग जो बहुत बाद में पैदा हुए पत्तों की तरह हैं। कि जिन्हें तने की भी

जरूरत है और शाखों की भी तने, चारों इमाम हैं और शाखें उलमाए ज़माना।

तक़लीद के मुखालेफीन ये तो मुँह भर कर कह देते है के कुरआन व हदीस के होते हुए किसी की जरूरत नही लेकिन ये भी नहीं सोचते के तिब्ब व हिक्मत डॉक्टरी सर्जरी की हज़ारों किताबें होने के बावजूद मरीजों को डाक्टरों के पास पहुँचाना पड़ता है। वकालत और कानून की किताबों से अलमारियाँ भरी रहने के बावजूद छोटे छोटे मुक़द्दमों के लिए वकीलों की खुशामद करना पड़ती है। मिस्ल मशहूर है जिसका काम उसी को भाए।

इस से हमारे वह मुसलमान भाई भी सबक हासिल करें जो या तो अनपढ़ हैं या थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं या सिर्फ स्कूलों और अंग्रेजी, कालेजों में ही उम्र गुज़ारे हुए हों और मुफ्तियाने किराम के फतावा में कमी निकालते हैं और खुदा का खौफ नहीं रखते।

अहले हदीस हजरात को जमाअत से नमाज़ भी नहीं पढ़ना चाहिए क्यों के उनके यहाँ खुदा और रसूल के एलावा किसी और की पैरवी तो किसी मअना में जाईज़ ही नहीं और जमाअत में इमाम की पैरवी करनी पड़ती है कि उसके रूकूअ के साथ रूकूअ और सज्दे के साथ सज्दा करना पड़ता है और ये तक़लीद शख्सी के मुशाब्बह है क्यों कि ऐसा भी नहीं होता के एक रकअत एक इमाम के पीछे दूसरी रकअत दूसरे इमाम के पीछे पढ़ी जाए बल्के पूरी नमाज़ में एक ही शख्स की इत्तेबा की जाती है खुदा करे वह इसके जवाब में ये कह दें कि इमाम खुदा और रसूल के हुक्म से नमाज़ पढ़ा रहा है और उनका पैरूकार है इस लिए हम उसकी पैरवी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्अला तकलीद भी हल हो जाएगा के

हम लोग भी आईम्मा–ए–मुज्तहेदीन की तक़लीद इस लिए करते हैं के वोह खुदा व रसूल के पैरूकार हैं और हमें कुरआन व हदीस के अह़काम बताते हैं और उन्हें भी खुदा तआला ने इसका का हुक्म दिया है।

मुलाहिज़ा हो कुरआने मजीद की आयत करीमा, पारह न0 11, सूरह तौबा आयत न0 121:–

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِی الدِّیْنِ وَ لِیُنْذِرُوْا
قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُوْنَ۠

तर्जुमाः तो क्यों न हुआ के उनके हर गिरोह में से एक जमाअत निकले के दीन की समझ हासिल करें और वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाएँ इस उम्मीद पर के वह बचें।

इस आयते करीमा में कुछ लोगों के लिए साफ और सरीह हुक्म है कि वह पहले इल्म हासिल करें और फिर उससे कौम को फाईदा पहुँचाएँ।

जमाअते अहले हदीस के अफराद कुरआन व ह़दीस को समझने के लिए उर्दू व फारसी के तर्जमे और अ़रबी लुगत या'नी डिक्श्नरी की किताबें देखते हैं या नहीं? अब चूँकी ये तर्जमा लिखने वाले डिक्श्नरी मुरत्तब करने वाले मआजल्लाह न खुदा ही हैं न रसूल और आपको खुदा और रसूल के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं तो अब आपको चाहिए के कुरआने करीम का तर्जमा या अ़रबी डिक्श्नरी की किताब कभी न देखें वरना बक़ौले खुद मुशरिक क़रार पाएँगे या फिर कोई तर्जमा या डिक्श्नरी की किताब ऐसी बताई जाए। जो खुदाए तआ़ला ने नाज़िल की हो या रसूले पाक सलल्लाहु अलैही व

सल्लम ने लिखी या लिखवाई हो। ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

हम पूछते हैं के जिन मसाईल का जिक कुरआने मजीद और अहादीसे मुस्तफा में साफ तौर पर नहीं है उनके बारे में आप क्या करते होंगे नीचे हम चन्द मसाईल की एक फहरिस्त पेश कर रहे हैं और सारी जमाअत अहले हदीस को दा'वत है की सब मिलकर इन मसाईल का जवाब सिर्फ कुरआन व हदीस से दें।

(1) कोई शख़्स किसी मुल्क में असर की नमाज़ पढ़कर हवाई जहाज़ के ज़रिये सफ़र करे जब दूसरे मुल्क मे पहुंचे तो वहाँ अभी असर का टाइम शुरू न हुआ हो उसके पहुंचने के बाद शुरू हो तो यह असर की नमाज़ दोबारा पढ़ेगा या नहीं ? यूँ ही एक आदमी एक मुल्क में 30 रोज़े पूरे करके दूसरे ऐसे मुल्क मे हवाई सफर से पहुंचे जहाँ लोग रोज़े से हों यानी वहाँ रमज़ान का महीना ख़त्म होने में एक दिन बाकी हो तो यह रोज़ा रखेगा कि नहीं ?

(2) चलती ट्रेन में फर्ज नमाज़ पढ़ना जाईज़ है या नहीं?

(3) तार, टेली फोन और रेडियो के जरिये चाँद की खबर सुनकर रोज़ा या ईद मनाना जाईज़ है या नाजाईज़?

(4) गिलहरी, साँप, बिच्छू, बन्दर, छिपकिलि, खरगोश, घरों में रहने वाला मेन्ढक अगर कूएँ में गिरकर मर

जाए तो कुआँ पाक रहा या नापाक?

(5) झींगा, बगला, तोता, मैना, गुलगुचिया, मुरग़ाबी हलाल हैं या हराम?

(6) अरबी के एलावह और ज़बान में जुम्आ की नमाज़ का खुत्बा पढ़ना जाईज़ है या नाजाईज़?

(7) भैंस का गोश्त खाना जाईज़ है या नाजाईज़?

(8) ताँबे को पीतल से बराबर, बराबर या कम ज़्यादा करके उधार और नक़्द बेचना जाईज़ है या नहीं?

(9) सुअर का गोश्त पाक है या नापाक? कुरआन में सिर्फ खाना हराम बताया है, लेकिन नापाक होने का जिक्र किस आयत या हदीस में है?

(10) इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ह टूटता है या नहीं?

(11) बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से रोज़ह टूटेगा या नहीं?

(12) स्प्रीट, अल्कोहल पीना हराम है या हलाल? और ये दोनों चीज़ें पाक हैं या नापाक? सिर्फ कुरआन व हदीस से बताईये।

(13) कागज़ के जो नोट राईज हैं उनमें उधार या नक़्द घटा बढ़ा कर लेन देन सूद है या नहीं?

(14) सुअर की चरबी, हड्डी, खाल, ओझड़ी, गुरदे खाना हलाल है या हराम कुरआन में सिर्फ गोश्त का जिक्र है। और ये भी बताईये के ये सब चीज़ें पाक हैं या नापाक।

(15) जंगल, दरिया और खुशकी के तमाम जानवर और सब कीड़े मकौड़े और परिन्दों के नाम बनाम सिर्फ कुरआन व हदीस से बग़ैर क़यास किए हुए बताईये के इनमें

कौन कौन से हराम हैं और कौन से हलाल, और इनमें किसका पाखाना पेशाब और झूटा, पसीना और थूक पाक है और किसका नापाक। कुत्ते के नाम के साथ उसके बारे में ही दिखाईये के इसको खाना हराम है ये कौन सी आयत या हदीस में है।

(16) बेबी ट्यूब के जरिए बच्चा पैदा करना जाईज़ है या नाजाईज़? सिर्फ कुरआन या हदीस में इसका जिक्र बताईये इन्सानी आ'जा की पैवन्द कारी और उसकी खरीद व फरोख्त जाईज़ है या नाजाईज़ ये भी सिर्फ कुरआन व हदीस में दिखाईये।

गर्ज के इस क़िस्म के हज़ारहा मसाईल बयान किए जा सक्ते हैं के सराहतन जिनका जिक्र कुरआन व हदीस में नहीं है जाहिर है की इन मसाईल में कुरआन व हदीस की रौशनी में क़यास किया जाएगा और क़यास की इजाज़त हर शख़्स को नहीं दी जा सक्ती वरना उम्मत में जितने लोग होंगे उतने ही मस्अले। उलमा मुज्तहेदीन की तरफ रूजु किया जाएगा।

शायद आप ये कहें के चलिए इन मसाईल में हम भी मुजतहेदीन की तक़लीद कर लेंगे लेकिन क्या जरूरी है की किसी एक की करें। किसी मस्अला में एक की दूसरे में दूसरे की तक़लीद करेंगे या'नी जितने मस्अले होंगे उतने ही हमारे इमाम तो मेहरबानी करके बताईये के ऐसी कौनसी मशीन लगा रखी है जो ये बताए के इस मस्अले में इसकी और इस मस्अले में इसकी पैरवी की जाएगी और बिलफर्ज अगर कोई मशीन मिल भी जाए तो आप आईम्मा किराम के मुक़ल्लिद हुए या इस मशीन के। शायद हमारी इस तक़रीर से आप तकलीदे शख्सी की एहमियत को समझ गए होंगे। शायद आप कहें कि

इन मसाइल में बहुत से वह हैं जो बिल्कुल नये हों इमाम अबू हनीफा वँगरह चारों इमामों के ज़माने में भी न थे तो उनमें आप क्या करेंगे तो बात यह है कि हम वह मसाइल जो नये दौर और ज़माने के हालात की वजह से सामने आते हैं उनमें हम उस दौर के मुजतहिद मुक़ल्लिद की पैरवी करते है जिन्हें अरबाबे तरजीह कहा जाता है लेकिन आप के लिये तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जायेगी क्योंकि आपके नज़दीक तो हर शख़्स को सिर्फ़ कुरआन, हदीस काफ़ी है अल्लाह व रसूल के अलावा किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है चाहे वह कितना ही बडा अल्लाह वाला हो कितना ही रसूले पाक का पैरोकार हो कुरआन व हदीस का कितना ही बड़ा आलिम हो।

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

अब इन चन्द तमहीदी कलेमात के बाद किताब्चा में मजकूर ए'तेराजात के जवाबात मुलाहिजा फरमाएँ।

सवालात की तमहीद उठाते हुए मौलवी मुहम्मद जूना गढ़ी ने इसी आठ वरकी किताब्चे में ये भी लिखा है कि :—"इस ज़माना में तक़लीद शख्सी के बारे में कुछ ऐसा इख्तेलाफ फैला हुआ है की जिधर जाईये उसीका झगड़ा है।"

सच ये है की मौलवी मजकूर की यह खाम ख्याली है इस लिए के तक़लीद शख्सी पर सारी उम्मत का इत्तेफाक़ है कहीं इस पर झगड़ा नहीं है। सिवा उन चन्द मक़ामात के, जहाँ आप जैसे नामुक़ल्लेदीन तक़लीद के मुन्केरीन पहुँच जाते हैं वहीं ये झगड़ा है। और वह सारी दुनिया में चन्द बस्तियाँ हैं। गोया के इस झगड़े की बुनियाद और बानी आप लोग हैं अगर आप तक़लीद का इन्कार न करें तो कहीं झगड़ा ही न हो।

कई जगह देखा गया के सारी बस्ती के सब लोग हमेशा से रमजान में 20 रकअत तरावीह पढ़ते चले आए है इनमें कोई इख़्तेलाफ और झगडा नहीं लेकिन आपकी जमाअत का कोई एक फर्द वहाँ जाकर इख़्तेलाफ पैदा कर देता है और कहता है की हदीस मे आठ रकअत तरावीह आई हैं कोई सही व सरीह हदीस दिखा भी नहीं पाता और ख्वाह मख्वाह इत्तेफाक वालों में इन्तेशार का सबब बनता है कहीं रफ़अ यदैन और कहीं आमीन ज़ोर से पुकारने और कहीं नमाज में ऊपर हाथ बाँधने को लेकर अच्छी खासी कौम को खूब लड़ाता है और मज़े लेता है।

अहले हदीस मौलवी बतायें यह रफ़अयदैन (रूकऊ और सजदे में जाते वक़्त दोनों हाथों को कंधे तक लाना) ज़ोर से आमीन पुकारना सिर्फ 8 रकअ़त तरावीह पढ़ना, नमाज़ में हाथ सीने पर बांधना, अगर उनके नज़दीक ज़रूरी हो तो क्या इतना ज़रूरी है कि इनकी वजह से मुसलमानों को लड़ाया भी जा सकता है और उनमें जंग करायी जा सकती है ? सही बात यह है कि जहाँ जहाँ यह झगडे हैं यह सब आपकी जमाअत का कारनामा है। आपकी जमाअ़त इस्लाम के दुश्मनों ने मुसलमानों को लडाने ही के लिये बनाई थी हमारे आला हज़रत ने तो यह लिखा है हमारे इमामों ने उन अहादीस पर अमल फ़रमाया जिनमें रफ़अ़यदैन न करने का ज़िक्र है शाफ़ओ़ी लोग अपने इमामों की पैरवी करते हैं। इस में कोई झगड़े की बात नहीं यानी दोनों की नमाज़ दुरूस्त हो जायेगी

(मफ़हूम फतावा रिज़विया जि०6 सफ़ा 155) आप बताइये जो रफ़अयदैन न करे, आमीन आहिस्ता बोले, हाथ नाफ़ के नीचे बांधे उसकी नमाज होती है या नहीं उसकी नमाज़ में कितनी ख़राबी रह जाती है। जिस की वजह से कौम को लड़ाया जाता है।

तक़लीद शख़्सी पर ए'तेराजात के जवाबात

ग़ौर से देखा जाए तो उनके काफ़ी सवालात के जवाबात तो हम दे चुके हैं बाकि मान्दह सवालात चन्द ए'तेराजात हैं। जिन्हें अल्फाज की उलट फेर के जरिए गिन्ती में बढ़ा दिया गया है काफ़ी एतेराजात का खुलासा तो ये है।

सवाल : सय्यिदना इमाम आ'जम अबु हनीफा और इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल इन चारों इमामो से पहले सहाबा व ताबेईन के दौर में किस की तक्लीद की जाती थी उसकी तक्लीद आज भी क्यों न की जाए खुलफाए राशेदीन, सहाबा व ताबेईन व अजिल्ल–ए–सादाते किराम उस्तादों इसी अइम्माए किराम (चारों इमामों) और चारों इमामों के उस्तादों को छोड़ कर किसी और की तक्लीद क्यों की जाती है?

जवाब : इसका मुख्तसर जवाब तो यही है अइम्माए किराम (चारों इमामों) की तक्लीद में सहाबा व ताबेईन की मुखालिफत हरगिज़ नहीं बल्के उनकी तक्लीद इसीलिए की जाती है की उन्होंने जो कुछ फरमाया वह सब सहाबा व ताबेईन के अक्वाल व अफ्आल की रौशनी में फरमाया है अक्सर देखा गया है की अवाम को कोई जरूरत दरपेश आए तो मस्अला मालूम करने के लिए उलमा के पास जाते हैं अब कोई सर फिरा उनसे ये कहने लगे के कुरआन व हदीस और सहाबा व ताबेईन के अक्वाल होते हुए भी तुम फुलाँ मौलवी के पास क्यों गए तुमने कुरआन व हदीस की मुखालिफत की है तो जाहिर है इस सर फिरे का इलाज बरेली के पागल खाने में किया जाएगा और उसे बताया जाएगा के उलमाए दीन के पास सिर्फ ये समझ कर जाते हैं ये जो कुछ बताएँगे कुरआन व हदीस और बुजुर्गाने दीन के अक्वाल की रौशनी

में बताएँगे ये सवाल करने से कबल जमाअ़ते अहले हदीस को चाहिए था के अपने सारे अवाम पर पाबन्दी आईद करती के हरगिज़ किसी मौलवी से मस्अला न पूछा जाए बल्के कुरआन व हदीस को खुद देखा जाए।

अल हासिल अइम्मा–ए–किराम की तक़लीद कुरआन व हदीस व सहाबा व ताबेईन के अक़्वाल के खिलाफ हरगिज नहीं बल्के कुरआन व हदीस तक पहुंचने का एक जरिआ़ है।

रही ये बात के सहाबा व ताबेईन किसकी तक़लीद करते थे उसीकी तक़लीद आज भी की जाए तो ये सवाल भी बहुत सी गलतियों का मजमूआ है. बात दरअसल ये है कि सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम आलिम माकाना वमा यकून दानाए जमीए गुयूब हुजूर नबी करीम अलैहिस सलात व तसलीम से और ताबेईन सहाबा किराम से क़रीब थे उन्हें जो जरूरत दरपेश होती तो हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम से और ताबेईन सहाबा किराम से बराहे रास्त दरियाफ्त कर लेते उन्हें अपने ऊपर क़यास करना कहाँ की अक़्लमन्दी है?

एक डाक्टर है कि जिसको सिर्फ दवाओं और किताबों की जरूरत है और एक मरीज है जिसको उनके साथ साथ डाक्टर की भी जरूरत है। जमाअ़ते अहले हदीस का ये सवाल हर एक को अपने मिस्ल बशर समझने का नतीजा है। सहाबा व ताबेईन तो सारे मुसलमानों के पेशवा हैं खुद चारों इमाम भी उन्हीं की पैरवी करते हैं ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे के हम किसीके उम्मती नहीं क्यों के हमारे नबी करीम भी किसीके उम्मती न थे लेहाजा उम्मती न होना हुजूर की सुन्नत है। या ये कहे के चूँकी बादशाह तख्तशाही पर बैठता है लेहाजा उसके दरबार में हमभी उसके तख्त पर

उसके बराबर में बैठेंगे क्यों के ऐसा न करने पर जमाअते अहले हदीस बादशाह की मुखालिफत का फतवा सादिर कर देगी। आपने ईद व बकरईद के मौका पर नमाज़ पढ़ने वालों की कसरत देखी होगी और ये भी देखा होगा के पिछली सफ के मुक्तदियों को मुकब्बिरीन की आवाज़ की जरूरत पड़ती है लेकिन इमाम के क़रीब अगली सफ के मुक़्तदियों को इमाम की आवाज़ काफी होती है।

अब आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम पिछली सफ के उम्मती हैं हमें आईम्मा किराम की तक़लीद की जरूरत है और सहाबा किराम व ताबेईन अगली सफ के लेहाजा उन्हें हुजूर नबीय्ये अकरम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम की नज़दीकी काफी है। हमें अहादीस की रिवायत के लिए अस्नाद की जरूरत पड़ती है और कई कई वास्तों से मरवी अहादिस बुखारी व मुस्लिम व दीगर अहादीस की किताबों में लिखी हुई हैं। आप ताक़यामत ये नहीं बता सकेंगे के क्या सहाबा कराम भी अहादीस के साथ इस किस्म की अस्नाद बयान फरमाते थे अगर नहीं तो फिर तो आप बुखारी व मुस्लिम वग़ैरहा जैसी कुतुब को कतअन तरक करें जिनमें अहादीस के साथ साथ अस्नाद भी लिखी हैं। ये भी बताते चलिए के सहाबा किराम अपनी जमाअ़त को अहले हदीस कहते थे। या मो'मेनीन व मुस्लेमीन? या सहाबा किराम ने कभी खुद को सलफी लिखा? अगर नहीं तो आप खुद को सलफी और अपने इदारे को इस्लामी अस्सलफी क्यों कहते हैं? ये इस्लामी के बाद सलफी की जरूरत क्यों पड़ी? और ये इस्लाम में ज़्यादती है या नहीं?

सुब्हान अल्लाह! ये खूब रही के आप सलफी लिखें बोलें तो कतअ़न हलाल, हम इस्लामी, हनफी कहलाएँ तो शिर्क बिदअ'त और हराम, जबके हनफिय्यत तो हज़रत सय्यिदुना

इमाम अबु हनीफा की तरफ मनसूब है जो हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम से इस क़दर क़रीबुल अहद हैं के उन्होंने हुजूर के सहाबा–ए–किराम से मुलाक़ात की है। इमाम बुखारी व मुस्लिम और तिर्मिजी वग़ैरहम। मुहद्देसीन से इमाम अबु हनीफा का ज़माना सौ साल से ज़्यादा पहले है और सलफीय्यत तो बेचारी नई नवेली चौधवीं सदी की पैदावार है।

रही ये बात के सलफी के मअ़नी हैं सलफ या'नी पहले ज़माने के गुज़रे हुए बुज़ुर्गों को मानने वाला तो मैं पूछता हूँ कि यह चारों इमामे सलफ, बुज़ुर्गों और पहले वालों में नहीं हैं? अब आपके जवाब के साथ साथ हम भी एक सवाल करते चलें।

क्या ज़माना–ए–पाक नबवी व सहाबा व ताबेईन में अहादीस की अस्नाद लिखने खुदको अहले हदीस या सलफी कहलाने का रिवाज था या नहीं? अगर नहीं तो ये बिदअ'त हुई या नहीं? और हदीसे पाक كُلُّ بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار की बमूजिब पूरी जीमीइय्यते अहले हदीस व सलफीय्यत कहाँ पहुँची?

सवाल : तक़लीद सिर्फ आईम्मा–ए–अरबआ़ ही की क्यों की गई। या'नी इन्हिसार–ए–तक़लीद उनमें क्यों है?

जवाब : इन चार मज़ाहिब में तक़लीद का इनहेसार नज़्मे दीन क़ाईम रखने के लिए इज्माअ़ए उम्मत से साबित है। इमाम इब्न हजर मक्की लिखते हैं:–

اما فى زماننا فقال بعض ائمتنا لا يجوز تقليد غيرالائمة الاربعة الشافعى و مالک وابى حنفية و احمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لانّ هٰولاء عرفت قواعد مذهبهم واستقرت احكامهم و خدم تابعوهم و حرروها

فرعا فرعا و حكما حكما فلا يوجد الا وهو منصوص منهم اجمالا او تفصيلا بخلاف غيرهم فان مذاهبهم لم تحرر ولم تدون كذالكه

बअ़ज़ आईम्मा ने फरमाया हमारे ज़माने में आईम्मा अरबआ़ चारों इमामों के एलावा किसी और की तक़लीद जाईज़ नही क्योंकि इन हज़रात के मज़ाहिब के कवाईद मा'रूफ हैं और अहकाम मुस्तक़र और उनके मुत्तबेईन ने कवाईद व अहकाम को तफसील से लिखा उसके नतीजे में वही कवाईद पाए जाते हैं जो उनसे इजमालन या तफसीलन मनसूस हैं और दूसरों के मज़ाहिब इस तरह न लिखे गए न जमा किए गए।

(अलफत्हुल मुबीन ब शरह अल अरबईन लिलइमाम अहमद बिन मुहम्मद बिन हजर हैतमी मक्की पेज न0 474 की शरह अलहदीस नं0 18 मत्बाअ दारूल मिनहाज जद्दह)

कुरआने करीम की मशहूर तफसीर सावी शरीफ में साफ लिखा है।

لا يجوز تقليد ماعدالمذاهب الاربعة या'नी चारों इमामों के एलावा किसी की तक़लीद जाईज नहीं। और थोड़ा आगे बढ़कर है:– والخارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل जो इन चारों मज़ाहिब से खारिज है वह गुम्राह है और दूसरों को गुम्राह करने वाला है।

(तफसीरे सावी, जिल्द 3, पेज न0 9, सूरह कहफ)

हज़रत काज़ी सनाउल्लाह साहब पानी पती फरमाते हैं:

اهل السنة قدافترق بعد القرون الثلاثة اوالاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب فى فروع المسائل سوى هذه الاربعة

या'नी अहले सुन्नत तीन या चार सदी के बाद चार मज़ाहिब में मुनकसिम हो गए और फरोई मसाईल में इन चारों मज़ाहिब के एलावा कोई मज़हब बाक़ी न रहा।

(तफसीर मजहरी, जि० 2, पै० 64, मतबुआ इशाअतुल उलुम, देहली)

सय्यिदुना शैख अब्दुल ग़नी नाबुलसी फरमाते हैं:

انا تقليد مذهب من مذاهبهم الان غير المذاهب الاربعة فلا يجوز لاالنقصان فى مذاهبهم و رجحان المذاهب الاربعة عليهم لان فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الامة بل لعدم تدوين مذاهبهم و عدم معرفتنا الان بشروطها و قيودها و عدم وصول ذالک الينا بطريق التواتر حتى لو وصل الينا بشئ من ذالک جاز لنا تقليده لكنه لم يصل كذالک

लेकिन आज के दौर मे इन चार मज़हबों के एलावा किसी के मज़हब की तक़लीद जाईज़ नहीं है। ये इस लिए नहीं के उन लोगो के मज़हब मे कोई कमी है इन चार मज़हबों को उन पर बरतरी हासिल है क्यों के उनमें वोह खुलफाए राशेदीन भी हैं जिनको सारी उम्मत पर फ़ज़लिय्यत हासिल है। बल्के बात ये है की उनके मज़ाहिब तफसील के साथ लिखे न गए और आज पूरे तौर पर हम उन्हें नहीं जान सकते और वह हम तक तवातुर के साथ न पहुँचे हैं अगर वह इन शर्तों के साथ हम तक पहुँचे तो उनकी तक़लीद जाईज होगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

(खुलासतुल तहक़ीक़, पेज न0 3, मतबुआ इसतांबूल तुर्की)

इन अक़वाल के पेशे नज़र हम बड़ी सन्जीदगी के साथ जमाअ़ते अहले हदीस से मुतालबा करते हैं के सहाबा व अकाबिर ताबेईन में किसी के अक़वाल व अफआल उनके मज़हब के क़वाईद व अहकाम जो उनसे तवातुर के साथ

मनकूल हों। इस ज़माना में दिखाएँ फिर हमको उनकी तक़लीद की दा'वत दें या उनके शागिर्दों की लिखी हुई ऐसी किताब बताएँ जो फिक़हि उसूल पर मुश्तमिल हो और उसमे इस्लामियात के सारे अबवाब मौजूद हों और मज़हबे इमामे आ'ज़म अबु हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई ऐसा मस्अला बताएँ कि जिसमें अक़्ल को दखल हो और वोह क़ुरआन की किसी आयत या हदीसे पाक या सहाबा व तोबेईन के अक़वाल व अफआ'ल से मुस्तखरज न हो और अगर बुखारी व मुस्लिम वगैरह सिहाहे सित्ता की अहादीस की कुतुब में कोई इमाम साहब के खिलाफ है तो उसके कौल से मुतअल्लिक इमाम साहब की रिवायात कर्दह हदीस ज़्यादा मोअतबर होगी क्योंकि इमाम साहब का ज़माना इमाम बुखारी व मुस्लिम और तिरमिज़ी से सौ साल पहले है।

इमाम आ'जम रहमतुल्लाह तआला अलैही के विसाल के एक अर्से के बाद ये हजरात पैदा हुए और इमाम साहब ने जिस हदीस से मस्ला अखज किया है। उसको बाद के लोग अगर जईफ कहें तो जरूरी नहीं कि वह इमाम साहब तक जोअफ के साथ पहुँची हो كما لايخفى على من له ادنى بضاعة فى الحديث۔

मुआमला दरअसल ये है की सहाबा–व–ताबेईन का दौर इस्लाम का इब्तेदाई दौर था कुफ्फार से जंग व जिदाल का ज़माना था लेहाजा मुफस्सल तौर पर इस्तेखराजे कवाईद व अहकाम की तरफ पूरी तवज्जुह न दी गई। ज़मान–ए–नबवी पाक और सहाबा–ए–किराम से करीब होने की वजह से उन लोगों को इस चीज़ की जरूरत भी न थी जैसे कुरआने करीम पर ऐअराब या'नी ज़ेर, ज़बर पेश लगाने का काम हुज़ूर नबी अकरम सलल्लाहु अलैही सल्लम के विसाल शरीफ से

तकरीबन अस्सी 80 साल बाद खुलफाए बनु उमय्या के दौर में हुआ।

तीस पारों में कुरआने करीम की तक्सीम रूकुअ और मनाज़िल का तअय्युन भी बहुत बाद की चीज़ें हैं अब तकलीदे आईम्मा को दौरे सहाबा के बाद की चीज़ बता कर बिदअ'त व शिर्क व हराम की रट लगाने वाले रूकु और पारों के तअय्युन से खाली बग़ैर ज़ेर, ज़बर, पेश व मद व जज़म, के कुरआने करीम शाएअ़ करें। और अवाम को यूँ नही पढ़ने की इजाज़त दें।

खुलासा ये है की जिस तरह सहाबा–ए–किराम को कुरआने करीम पढ़ने के लिए ऐराब वग़ैरह की जरूरत न थी बाद को जब उसकी जरूरत महसूस की गई तो ये काम अन्जाम दिया गया जो आज तक राईज है। ऐसे ही जब मुल्क फतह हुए इस्लाम दुनिया में फैलने लगा और मुख्तलिफ मुआश्रों, माहौलों और ज़बानों में मुन्तकिल हुआ। मुख्तलिफ इनसानों की मुख्तलिफ जरूरियात के मुताबिक नए नए मसाईल भी सामने आए जिनका जिक सराहतन जाहिरन कुरआन व हदीस में न था तो खतरा था के कहीं कुरआन व हदीस के मुआनी की फहम में मनमानी न की जाए और सारे मुसलमानों को जिनमें कसरत से नौ मुस्लिम भी थे और वोह फौजी और तिजारती लोग भी थे। जिन्हें जंग व जिदाल और कारोबार में मस्रूफियत की वजह से बाक़ाईदा इल्म हासिल करके कुरआन व हदीस की सही मुराद को पाना, मुताआरिज अहादीसमें कवी व जईफ का तअय्युन नामुम्किन था और बाद के लोग अगर इल्म हासिल करें भी तो वह सय्यिदुना इमाम आ'जम अबु हनीफा और और बाक़ी तीनों इमाम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तरह आलिमे कुरआन व हदीस नहीं हो सकते कि जिनकी नज़र कुरआन

की हर आयत के शाने नुज़ूल हुज़ूर अलैहिस सलात वससलाम की हर एक हदीस और आपके नक़्शे क़दम पर चलने वाले सहाबा–ए–किराम की ज़िन्दगियों के एक एक गोशे और ज़बाने अरबी की सारी लुगात, मुहावरात और लब व लेहजा पर थी।

अलहासिल उम्मत की इस जरूरत के पेशे नज़र उन बुज़ुर्गों ने इल्मे फ़िक़्ह की तदवीन फरमाई ताके हर शख़्स मनमानी न कर सके। लिहाजा सिर्फ चार मज़ाहिब में इस्लामी मसाईल मुन्हसर करके बाद वालों पर एहसाने अजीम फरमा दिया: فرحمهم الله تعالى وجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء۔

और यह ऐसा ही है की जैसे समन्दर से चन्द नहरें निकाली जाएँ तो पानी सबमें उसीका होगा गोया ये चारों नहरें इल्मे दीन की, सीना–ए–पाके मुस्तफा सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम से जारी हुई और सब में उन्हीं के इल्म का समन्दर मौजेज़न है।

فالحمدلله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله تعالى۔

और मुट्ठी भर तक़लीद के मुखालेफीन जो अहले इस्लाम में रख़ना अंदाज़ी करके उन्हें बाँटना चाहते हैं उनके लिए भी हदीस मौजूद है।

मुलाहिजा हो मिशकात् शरीफ किताबुल इमारत पेज न0 320 बहवाला मुस्लिम।

ى قول مَنْ اتاكم وَامركم جَميعٌ عَلى رَجُل واحِدٍ يُريدُ ان يَّشقَّ عصاكم ويُفرّق جَماعَتَكم فاقتلوه۔

तर्जमा : रसूले पाक सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम फरमाते हैं के जब तुम किसी एक पर मुत्तफिक़ हो जाओ और

कोई अगर तुम्हारी लाठी चीरना चाहे और तुम्हारी जमाअत को बाँटना चाहे तो उसको कत्ल कर दो।"

सवाल : तकलीद शख्सी इस्तेलाही के माअ'नी क्या है?

जवाब : اتباع الرّجل غيره فيما سمعه يقول اوفى فعله على زعم انه محقق بلا نظر فى الدليل या'नी किसी को मुहक्किके शरई जानकर उसके क़ौल व फेल की इत्तेबा करना दलील से क़तए नज़र करते हुए।

सवाल : जो काम हुजूर सलल्लाहु तआ'ला अलैही व सल्लम या आप के सहाबा या ताबेईन के ज़माने में न हुआ हो उसे अगर बाद वाले दीनी जरूरत समझ कर करें तो आयते करीमा اكملت لكم دينكم जो कुरआन में है वह बतलाती है की दीने खुदा हर तरह मुकम्मल हो गया। फिर आईम्माए दीन की राय क़यास को भी दीन में दाखिल करना इस आयत के मनाफी तो नहीं?

जवाब : बेशक इसके खिलाफ नहीं और यकीनन इस आयते करीमा के बमौजिब दीने खुदा मुकम्मल हो गया। लेकिन कुरआन मे ये कहाँ लिखा है की उमूर दीन में गौर व खौज न करो। कुरआन और हदीस से मसाईल का इसतंबात न करो बल्के खुदाए तआला ने इसका हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरआने करीम में इर्शाद फरमाता है:–

ليتفقهوا فى الدين (सुरह तौबा,प० 11 आयत 122)

या'नी दीन में गौर व फिक्र करो उसको समझो उससे फिक़्ह हासिल करो। खुदाए तआला तो कुरआन में फिक़्ह हासिल करने का हुक्म दे रहा है। और अब मुनकेरीने तक़लीद फिक़्हे दीन को बिदअ'त कह कर खुदा के दुश्मन हुए या नहीं?

और दीन को क्या आपने हलवा समझ रखा है जिसको दाँत वाले और बे दाँत वाले सभी चट कर जाएँ। कान खोल कर सुनिए खुदाए तआला ने इसी कुरआने करीम में फरमाया है: يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا (सूरह बकरह प01 आयत 26) या'नी इसी कुरआन से लोग हिदायत पाते हैं और इसी कुरआन से कुछ लोग गुम्राह व बद्दीन भी हो जाते हैं। इस से जाहिर है कि हर कुरआन–कुरआन की रट लगाने वाले हिदायत याफ्ता नही होते और कुरआन को समझना कोई आसान काम नही और हर शख़्स के बस की बात नहीं और जब सारे लोग कुरआन की सही मुराद को नहीं पा सक्ते तो फिर वह कुरआन व हदीस से मसाईल हासिल करने वाले मुज्तहेदीन की तक़लीद नहीं करेंगे तो यकीनन गुम्राह हो जाएँगे।

इसमें तो कोई शक नहीं के दीन मुकम्मल हो गया लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे समन्दर में मोती तो कसरत से पाए जाते हैं लेकिन वह मोती हर एक के लिए हासिल करना आसान नही उसके लिए ग़ोताख्रोरों की जरूरत है ऐसे ही कुरआने करीम से मसाईले दीनिया हासिल करना हर कस व नाकस के बस की बात नहीं। इसके लिए सय्यिदुना इमाम आ'जम अबु हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्हु जैसे अकाबेरीने उम्मत की जरूरत है और जिसे ग़ोताखोरी की मश्क न हो वोह समन्दर की तह से मोती हासिल करने चलेगा तो बहुत पहले डूब कर मर जाएगा और मछलियों की ग़िजा बनेगा मुखालेफीने तक़्लीद को इससे अपना अन्जाम समझ लेना चाहिए:

कुरआने करीम में फरमाया़ गया:–

وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٥٩ (सू:अन्आ'म,प07,आ0 59)
नीज़ दूसरे मकाम पर है وَ كُلَّ شَیْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِیْٓ اِمَامٍ

مُّبِيْنٍ ۱۲ (सू :यासीन,प० 22,आ० 12) इस का साफ और सरीह मतलब है की हमने कुरआने करीम में हर शय का जिक्र कर दिया है किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है अब इन आयात के पेशे नज़र आप ये बताईये के कुरआने करीम में ये कहाँ लिखा है की शादी शुदह मर्द व औरत अगर ज़ना करें तो उनको संगसार करो और लिवातत (मर्द का मर्द से बद फ़िअली करना) करने वाले की शरअन कोई सज़ा है। या नहीं? और है तो क्या?

बताईये! गिरह काट और कफ़नचोर का हुक्म कुरआने करीम में कहाँ है? जिस औरत का शौहर लापता हो जाए उसके बारे में कुरआन में कहाँ लिखा है और क्या लिखा है? जुहर और अस्र व इशा में चार, मगरिब में तीन और फजर में दो रकअत फर्ज हैं हाजियों को चाहिए के वुह 8 जिलहिज्जा को मिना में और 9 को अर्फात में कयाम कर के रात मुज़दल्फा में गुज़ार कर फिर मिना में आ जाएँ ये सब कुरआन में कहाँ लिखा है। जुम्आ के एलावा पाँचों वक़्त की अजान का जिक्र कुरआन की कौन सी सूरत में है? ऐसे हज़ारहा मसाईल बयान किए जा सक्ते हैं के जिनका जिक्र सराहतन कुरआने करीम में मौजूद नही तो क्या मुआ़जल्लाह आप कुरआने मुकद्दस की इन आयात को झूटा कहने की जुरअत करेंगे जिनका मतलब ये है की हमने इस किताब में हर शय का जिक्र कर दिया है और अगर आप कह भी देंगे तो क्या तअज्जुब की बात है आखिर आप के इमाम व मौलवी इस्माईल साहब देहलवी ने रिसाला यकरोज़ी में खुदाए पाक के लिए झूट बोलना मुम्किन बताया है وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا शायद आपकी जमाअ़त के कोई अकलमन्द साहब ये कहने लगें के कुरआन में नहीं तो अहादीस में तो मजकूरा उमूर का जिक्र है तो उन्हें इस मौका पर ये बता देना बहुत जरूरी है की खुदा ने तो बेग़ैर हदीस

का जिक्र किए हुए फरमाया है कि हमने कुरआन में हर चीज़ का जिक्र कर दिया है।

आयते करीमा اليوم اكملت لكم دينكم का मतलब यही है जो आप ने समझा तो सय्यिदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी इस हदीस का क्या मतलब है।

عَنْ عُمَرَ اَنَّ اٰخِرَمَا نَزَلَتْ اٰيَتُ الرِّبٰوا وَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُوُفِّىَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ۔

तर्जमा : सबसे आखिर में सूद से मुतअल्लिक आयत नाज़िल हुई और हुजूर सय्यदे आलम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और हमसे सूद की तफसीर बयान न की तो तुम सूद और इसके शक से बचो।

(मिश्कात शरीफ, अबवाबुल बुयुअ पेज न0 246, बहवाला इब्ने माजा)

बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पेज न0 124 और मिश्कात शरीफ, बाबुल खुत्बतिस सलात पेज न0 123 पर हदीस है की हुजूर नबी करीम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम और सय्यिदुना अबु बकर व उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा के ज़माने में नमाज़े जुम्आ के लिए सिर्फ एक अजान उस वक़्त होती थी जब खतीब मेम्बर पर बैठता था। فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ۔ या'नी जब हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए और लोगों की कसरत हुई तो मक़ामे ज़ोरा पर एक अंजान और दिलाई जाने लगी।

एक और हदीस हज़रत जाबिर से मरवी सुनये अबु दाऊद बाब इत्क उम्हात अल विलाद पेज़ न0 551 पर है।

قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و ابى بكر فلم كانا عمر نهانا عنه فانتهينا.

या'नी हम ज़माना–ए–पाक नबुव्वत और हज़रत अबु बकर में उम्महात, औलाद की खरीद व फरोख्त करते थे और हज़रत उमर ने अपने दौर मे इस से रोक दिया और हम रूक गए।

सर जोड़कर बैठिए और बताईये के दीन के मुकम्मल हो जाने का वही मतलब है जो आपने समझा तो हज़रत उमर का कहना के सूद की तफसीर बयान होने से रह गई और उम्मुल वलद की खरीद फरोख्त से रोकना और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआ़ला 'अन्हु का कसरते अवाम की बिना पर जुम्आ की एक अजान बढ़ाने का क्या मतलब है। क्या आप कुरआन के मआ'ना हजरत उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ज़्यादा समझ गए हैं?

बात दरअसल ये है की किसी दीनी जरूरत या मस्लेहत के पेशे नज़र कोई काम किया जाए तो वोह दीन में ज़्यादती नही बल्के वह काम दीन ही में शुमार किया जाएगा। जैसें हज़रत सय्यिदुना उमर फारूक आ'जम रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अपने दौर में हालात बदलते देख कर औरतों को मर्दों के साथ मस्जिद में जमाअत में शिरकत से रोक दिया। हालाँके वह रसूले पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने मे आती थीं। उम्मुल मो'मेनीन सय्यिदतुना आ़ईशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने इस पर फरमाया के:

لو ادرک رسو الله صلى الله تعالى عليه و سلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل

(बुखारी शरीफ बाब खुरूज अलनिसा इलल मस्जिद पेज न0 120) या'नी आज औरतों से मुतअल्लिक जो बातें पाई जाने लगी हैं अगर

हुज़ूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम उन्हें देखते तो वोह औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते जैसे क़ौमे बनी इस्राईल की औरतें रोकी गई थीं। इस्लाम के इब्तेदाई दौर में मसाजिद पर मीनार नहीं बनाए जाते थे लेकिन जब अबादियाँ बढ़ी ऊँची ऊँची इमारतें बनने लगीं तो मस्जिदों की शान व शौकत जाहिर करने के लिए मीनार बनाए गए। और इसमें एक बड़ी हिक्मत ये थी के अजनबी आदमी को दूर से मस्जिद नज़र आ जाए।

तकलीद भी एक तरह की दीनी जरूरत है कि बाद के लोग बिलखुसूस अरब के एलावा दूसरे मुमालिक के लोग ज़माना–ए–नबवी से दूर और अ़रबी ज़बान के लब व लेहजे से पूरी तरह वाकिफ न होने की बिना पर दीन को कमाहक़्क़हू नहीं समझ सक्ते लेहाज़ा इन चारों इमामों में से किसी एक की तक़लीद करें जो ज़मान–ए–नबुव्वत और सहाबा–ए–कराम से करीब थे और जानते थे के कौन सी आयत कब नाज़िल हुई और कौन सी हदीस किस मौका पर फरमाई गई।

तअज्जुब बालाए तअज्जुब कि इल्मे फिक़्ह और तक़लीद को सिर्फ ये कह कर नज़र अन्दाज़ किया जाता है कि ज़माना–ए–पाक नबवी और सहाबा के बाद की चीज़ है और इल्मे उसूले हदीस और कवाइदे अ़रबी ज़बान या'नी नहव सर्फ को जमाअ़ते अहले हदीस अपने मदारिस के निसाब में लाज़िम क़रार दिए हुए है अगर हम ये सवाल करदें तो सारी जमाअ़त पर सन्नाटा छा जाएगा के ज़माना–ए–सहाबा किराम में क्या कुरआन व हदीस को समझने के लिए, नहव सर्फ, बलाग़त व मुआ'नी व बयान का सहारा लिया जाता था? क्या उसूले हदीस एक मुस्तक़िल फन की हैसियत से पढ़ा और पढ़ाया जाता था? क्या सहाबा–ए–किराम में ये गुफतगु होती थी के

कौन सी हदीस सही है और कौन हसन और जईफ? और जो सही है या हसन, वह लेजातेहि है या लेग़ैरेही? जरह मुब्हम काबिले कुबूल है या नहीं? जरह व ता'दील में तआरुज हो तो मकबूल क्या है?

क्या जमाअ़ते अहले हदीस बताएगी के सहाबा–ए–किराम के दौर में बुखारी व मुस्लिम थीं या दो सौ साल के बाद लिखी गई थीं? इस ज़माने में आजकल की तरह मदारिस थे? चन्दे होते थे? रसीदें छपती थीं जल्से होते थे? अलमुआहिदुल इस्लामि अससलफी रिछा में हर साल खत्मे बुखारी की रस्म मनाई जाती है। और इशतेहार छाप कर जल्सा भी होता है क्या ये भी हुजूर अकरम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम और सहाबा–ए–किराम के दौर में हुआ?

अगर नहीं तो ये सब اکملت لکم دینکم के मुनाफी हुआ या नहीं? खुलासा ये के जिस तरह कुरआन व हदीस को समझने के लिए कुतुबे तफासीर उसूले हदीस और कवाइद अ़रबी की जरूरत है ऐसे ही कलामे खुदा और रसूल अलैहिस सलात वस्सलाम को सही मअ'ना में समझ कर उस पर अ'मल पैरा होने के लिए इल्मे फिक़्ह और आईम्मा किराम की तक़लीद की जरूरत है।

खुलासा ये के اکملت لکم دینکم का मतलब ये हरगिज़ नहीं के अब उम्मत मुस्लेमा में कोई किसी से कोई दीनी बात मालूम न करे और न किसी को अपना बड़ा पेश्वा व इमाम ठहराए। बल्के जो अक़्ल में आए वोह करे जाए अगर ऐसा होता तो हदीस शरीफ में ये क्यों फरमाया जाता: اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اھتدیتم!

"मेरे सब सहाबा सितारों के मानिन्द हैं जिसकी पैरवी कर लोगे सही रास्ते पर रहोगे।"

(मिश्कात् शरीफ, बाब मनाकिब अलअस्हाबेहि पेज न० 554)

नीज़ फरमाता हैः

مَنْ سَرَّهُ بِحَبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ۔

जो जन्नत में उम्दा मक़ाम चाहे वोह जमाअ़त के साथ रहे क्योंकि शैतान अलग चलने वाले के साथ है।

(मिश्कात् शरीफ, बाब मनाकिब अलअसहाबेहि पेज न० 554)

और देखिए सरकारे दो आ़लम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम फरमाते हैः

عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ۔

मेरी और मेरे हिदायत याफ्ता जानशीनों की राह इख़्तेयार करो। (मिश्कात् शरीफ, बाबुल एतेसाम पेज न० 30)

अहादीसे मजकूरह से खूब वाजेह हो गया के दीन मुकम्मल हो जाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं के अकाबिर व मशाईखे उम्मत को नज़र अन्दाज़ करके कुरआन व हदीस में मनमानी की जाए बल्कें जो दीने खुदाए तआ़ला ने मुकम्मल फरमाया इस पर बुजुर्गों की रहनुमाई व रहबरी में चलना चाहिए।

हैरत है की जमाअ़ते अहले हदीस के इतने बड़े ज़बरदस्त आलिम मौलवी मुहम्मद जूनागढ़ी ने ये ऐतेराज कर दिया के जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर तक़लीद की क्या जरूरत? लेकिन ये भी नहीं जाना या जान बूझकर अन्जानं बने कि तक़लीदे आईम्मा या मशाईख की रहनुमाई बुजुर्गों की

रहबरी भी दीन है। सूरा-ए-फातिहा ही ध्यान से पढ़ लेते जिसमें हैः

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला उनका रास्ता जिन पर तेरा इनआम हुआ। (सूरहे फातिहा प० 1 आयत 5-6)

गोया के सीधा रास्ता इख़्तेयार करना बग़ैर बुज़ुर्गों की रहनुमाई के नामुम्किन है।

इसलिये जब सीधे रास्ते पर चलने की दुआ सिखाई गई तो यह भी कहलवाया गया "उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया।" तक़लीद की दुश्मनी में जो आयते करीमा नक्ल की उसकी तफसीर भी देखने की ज़हमत गवारा न की। आयते करीमाः اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ या'नी आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया। की तफसीर में आईम्मा के दो क़ौल हैं।

"एक तो ये के दीन मुकम्मल हो जाने का मतलब ये है की अहले इस्लाम को ग़ल्बा नसीब हुआ इनको बहुत सी फतुहात हासिल हुईं कुफ्फार या तो मुसलमान हुए या मग़लूब और मुसलमानों के लिए रास्ते पुर अमन और बस्तियाँ पुर सुकून हो गई और दुश्मनों का खौफ न रहा।"

इस तफसीर की रौशनी में मुनकेरीन तक़लीद के मक्सद को इस आयते करीमा से कोई तअल्लुक नहीं और उनकी ये रट लगाने का कोई मौका ही नहीं के दीन की तकमील के बाद तक़लीद आईम्मा क्यों? दूसरी तफसीर ये की गई है की हलाल व हराम बयान कर दिए गए। या'नी अब जो हलाल है वोह हलाल रहेगा और जो हराम है वोह हराम रहेगा अब कोई

नई शरिअत और नया नबी नहीं आएगा इससे भी जमाअते अहलेहदीहस के लिए तक़लीद को ग़ैर इस्लामी अम्र कहने की गुन्जाईश नहीं। क्यों के तक़लीदे आईम्मा कुरआन व हदीस की रोशनी में हराम व हलाल को जानने के लिए ही की जाती है।

तफसीर मदारिकुल तन्ज़ील जुज़ (भाग) अव्वल, पेज न० 270 मत्बा (प्रकाशक) अस्हुल मताबेअ, बम्बई पर इसी आयत के तेहत है:

(اكملت لكم دينكم) بان كفيتم خوف عدوكم و اظهرتكم عليهم كما يقول الملك اليوم كمل لناالملك اى كفينا من كنا نخافه او اكملت لكم ماتحتا جون اليه فى تكليفكم من تعليم

الحلال و حرام والتوقيف على شرائع الاسلام و قوانين القياس۔

तर्जमा : "मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। या'नी तुम्हें दुश्मनों का कोई खौफ न रहा और तुमको उनपर ग़ल्बा अता फरमाया जैसे बादशाह कहता है की आज हमारी बादशाहत मुकम्मल हो गई या'नी दुश्मनों से बे खौफ हो गए। या मुकल्लफ हो कर जिन उमूर की तुमको जरूरत थी उनको मुकम्मल फरमा दिया जो के हराम व हलाल सिखाना और शराए इस्लाम व क़वानीने कयास से आगाह करना है।"

मदारिक शरीफ के आखिरी कलेमात क़वानीन क़्यास ने तो सारी अहले हदीस जमाअत की कमर तोड़ दी क्यों के सवाल में अहले हदीस फाजिल ने क़यास को भी दीन के मुख़ालिफ़ बताया है और इस आयते करीमा की तफसीर से मा'लूम हुआ के क़्यास करना खुद परवरदिगारे आलम ने सिखाया है और उसके क़वानीन अपनी किताब में नाज़िल फरमाए हैं।

छठे पारे में सूरा–ए–माईदह की ये जो तीसरी आयत का टुकड़ा आपने लिखा है उसके इब्तेदाई कलेमात भी लिख दिए होते तो बात खुद ही वाजेह हो जाती के ये आयत किस मौके पर और किन हालात में नाज़िल हुई। मुलाहिजा फरमाईए आयत में यूँ है:

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ۱ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ـ الخ الاية

तर्जमा :–आज काफिर तुम्हारे दीन की तरफ से नाउम्मीद हो गए तो उन से न डरो और मुझसे डरो आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी फरमा दी। (सूरह माईदा प० 6 आ० 3)

हज्जतुलविदा के मौके पर जब अर्फात के मैदान में हुज़ूर खुत्बा दे रहे थे एक लाख से ज़्यादा अहले अरब मुसलमान आपका खुत्बा सुन रहे थे उस वक़्त ये आयते करीमा नाज़िल हुई खाना–ए–का'बा पर इस्लामी झण्डा लहरा चुका था। मक्का फतह हो गया था अरब के बड़े हिस्से पर इस्लामी हुकूमत काईम हो चुकी थी काफिर जो ये समझते थे के हम ताक़त व कुव्वत के जरिए इस्लाम को मिटा लेंगे और उस दीन को नहीं फैलने देंगे उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और वह ये समझ गए थे के अब इस्लाम हमारे बस का नहीं है तब ये आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया।

काफिर तुम्हारे दीन की तरफ से नाउम्मीद हो गए तो अब तुम उनसे बिलकुल ना डरो, मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। सारी अहले हदीस जमाअ़त के सारे मौलवियों के बसकी बात हो तो वह दिखाएँ के इस आयत की तफसीर में किसी सहाबी से ये मनकूल हो या किसी मुफस्सिर ने ये लिखा हो के इसका मतलब ये है की दीन मुकम्मल हो

गया। अब तक़लीद मत करना न कोई किसी से कुछ पूछे हर शख्स खुद ही कुरआन व हदीस से मसाईल निकाला करे।

सवाल : हमने सुना है की चारों इमाम तक़लीद को हराम फरमाते हैं?

जवाब : इस सवाल के साथ आपको ये भी लिखना चाहिए था के चारों इमामों ने तक़लीद को हराम कौन सी किताब के किस सफहे (पेज) पर लिखा है सही बात यह है कि आपको सवाल करने का ढ़ंग नहीं है ये कोई बात है कि हमने सुना है गोया आपका किसी बात को सुन लेना सनद के लिए काफी है क्या आप तक रसूलुल्लाह सलल्लाहो तआला अलैही व सल्लम की ये हदीस नहीं पहुँची के हुजूर ने इर्शाद फरमाया है:–

"كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع"

आदमी के झूटा होने के लिए यही काफी है की हर सुनी हुई बात बयान करे। (या'नी जो हर सुनी हुई बात बयान करे वह झूठा है)

(सही मुस्लिम, जिल्द 1, पेज न0 8, मिश्कात् शरीफ बाबुल ए'तेसाम, फस्ल अव्वल, पेज न0 28)

सवाल : शामी में लिखा है की चारों आईम्मा–ए–किराम ने अपना मज़हब कुरआन व हदीस बताया है लेहाजा कुरआने करीम और हदीस की ताबे'दारी क्यों न की जाए।

जवाब : बेशक आईम्मा किराम ने ये फरमाया है लेकिन उससे हमारी बात और मजबूत हो गई के जिनका मज़हब कुरआन व हदीस हो उनकी तक़लीद भी यक़ीनन कुरआन

हदीस की ताबे'दारी होगी जिधर गाड़ी का इन्जन जाएगा तो डिब्बे भी वहीं जाएँगे।

सवाल : इज्माअ़ की तारीफ क्या है और इज्माअ़ किन लोगों का मो'तबर है तक़लीद शख़्सी पर इज्माअ़ कब हुआ और किन लोगों का?

जवाब : उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबहा अस्सलात वस्सलाम के सालेह मुज्तहेदीन का किसी एक ज़माने में किसी अम्र क़ौली या फे'ली पर इत्तेफाक़ इज्माअ़ कहलाता है जबसे तक़लीद की जरूरत महसूस की गई या'नी तबा ताबेईन के दौर से आजतक तकलीदे शख़्सी पर उम्मत का इज्माअ़ रहा है तक़लीद के मुखालिफ कभी कभी और कहीं देखने में आए हैं जैसा के अजीम मुहद्दिस व फकीह इमाम तहतावी ने दुर्रे मुख़्तार की शरह में इसकी वज़ाहत की है

هذه الطائفة لناجية المسماة باهل السنة والجماعة قد اجتمعت اليوم فى المذاهب الاربعة هُمْ الحنفيون والمالكيون والشفعيون والحنبليون ومن كانا خارجًا من هذه المذاهب الاربعة فى هذا الزمان اهل البدعة والنار.

या'नी वह नाजी (जन्नती) गिरोह जिसको अहलेसुन्नत वलजमाअ़त कहा जाता है वह चार मज़ाहिब या'नी हनफी, मालेकी, शाफेई और हम्बली में मुन्हसिर हो गया है और फी ज़माना जो इन चारों के एलावा हैं वोह अहले बिदअ़त और नारी (जहन्नमी) हैं। (तहतावी अललदुर्रे मुख़्तार, हिस्सा 4, पेज न0 153)

और जमाअ़ते अहले हदीस के ममदूह व माने हुये बुज़ुर्ग शाह वलीऊल्लाह साहब देहलवी जो मौलवी इस्माईल साहब देहलवी के दादा भी हैं वह फरमाते हैं:

وبعد الما تين ظهرفيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لايعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان ذلک هوالواجب فى ذلک الزمان

और दूसरी सदी के बाद लोगों में किसी एक मुज्तहिद के मज़हब को इख्तेयार करना राईज हो गया और कम ही कोई ऐसा बचा जो किसी एक मुज्तहिद का मुकल्लिद न हो गया और इस दौर में ऐसा ही करना वाजिब ठहरा।

(अल इन्साफ फी बयाने सबबे इख्तेलाफ मत्बूआ मक्तबा एशीक.पे019)

कहिये शाह वलीऊल्लाह साहब के फरमान के मुताबिक तो हुज़ूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के ज़माने पाक से सिर्फ दो सौ साल का फासला हो जाने पर लोगों के लिए किसी एक इमाम व मुज्तहिद की तकलीद और उसके मज़हब को इख्तियार करना वाजिब हो गया था और आप आज चौदह सौ साल के बाद भी बराहे रास्त कुरआन व हदीस से मसाईल अख्ज करने के दावेदार हैं और शाह साहब के फरमान को पेशे नज़र रख कर ये भी बताईए क्या दो सौ हिजरी के बाद सारी उम्मत गुम्राह हो गई थी? मुआ'जल्लाही रब्बिल आ'लामीन। यही शाह साहब इसी किताब में थोड़ा आगे लिखते हैं:

وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرٌّ الهمه الله تعالى العلماء وجمعهم عليه

खुलासा ये है की मुज्तहेदीन में से किसी के मज़हब को इख्तेयार कर लेना एक राज़ है कि जिसको अल्लाह तआला ने उलमा के दिलों में डाला और उन्हें इस पर जमअ' कर दिया।

अलहासिल जब सिर्फ दूसरी सदी के बाद ही उम्मते मुस्लेमा को कुरआन व हदीस समझने के लिए और उनपर सही मआ'ना में अ'मल पैरा होने के लिए एक ख़ास इमाम की ज़रूरत पड़ने लगी थी तो आज हम लोग भी खुदाए तआला और उसके रसूले पाक सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के

बताए हुए रास्ते को समझने के लिए अगर मुक़ल्लिद है तो ये कुछ भी जाए हैरत नहीं।

खुद हदीस शरीफ में इसकी सराहत है हुजूर रहमते आलम,नूरे मुजस्सम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम इर्शाद फरमाते हैं:

إنّ الله لايجمع امّتى على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ فى النار. (رواه الترمذى،مشكوة،ص ٣٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

तर्जमा : अल्लाहु रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत को गुम्राही पर जमअ' न फरमाएगा और जमाअ़त के साथ खुदा की मदद है। और जो अलग रहेगा वह बरोज़े कयामत भी सबसे अलग करके जहन्नम में झोंका जाएगा।

(रवाहु तिंमिजी, मिश्कात पे0 30 बाब एतेसाम बिल किताब व सून्नह)

इस हदीस को पढ़कर अहले हदीस हजरात को जल्द दामने तकलीद थाम लेना चाहिए क्यों के जहन्नम से बचने की फिक्र करना बहुत जरूरी है इसमें कोई शक नहीं है की आज सारी उम्मत किसी न किसी इमाम की मुकल्लिद है। ख्वाह वोह सय्यिदुना इमाम आ'जम अबु हनीफा रजियल्लाहु तआ़ला अन्हु हों या इमाम शाफेई व मालिक व इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम और तक़लीद के मुखालेफीन दुनिया में उँगलियों पर गिनने के लाईक़ हैं और हुजूर सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम फरमाते हैं के मेरी उम्मत गुम्राही पर जमा न होगी।

मुखालेफीने तकलीद की क़लील ता'दाद का अन्दाज़ा नाजेरीन इससे लगाएँ के अभी हाल में जब इन लोगों ने अज़राह तखरीब कारी एक अखबार में ये शाए कर दिया के तीन मरतबा और एक मरतबा तलाक़ देना बराबर है। तो हिन्दुस्तान

भर के तक़रीबन हर मक्तबा फ़िक्र वालों ने उसकी मज़म्मत की। और उन बेचारों की आवाज़ नक्कार ख़ानों में तूती की आवाज़ की हैसियत भी इख़्तेयार न कर सकी। अल्बत्ता बी0जे0पी0, और आर0एस0एस के लीडर बहुत ख़ुश हुए कि मुसलमानों में भी कुछ हमारे मिस्ल बशर मौजूद है।

सवाल : चारों मज़कूरा इमामों में फ़ुलाँ एक के मसाईल सच्चे हैं इसका इल्म मुक़ल्लिद को कैसे हुआ?

जवाब : चारों के मसाईल सच्चे और हक़ हैं किसी एक इमाम के मज़हब को इख़्तियार करने का मतलब ये नहीं के दूसरे की राह ग़लत व बातिल है और चूँकि ये इख़्तेलाफ़ अपने अपने तरीका–ए–इज्तेहाद से पैदा होता है और इज्तेहादी इख़्तेलाफ़ में दोनों का दुरूस्त होना और सबको अच्छा बताना ख़ुद हदीस शरीफ़ में सरकार दो आलम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम से साबित है मुलाहिज़ा फ़रमाईए। जंगे ख़न्दक से वापसी पर सरकार सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा पर जब हमले का इरादा फ़रमाया तो जानिसारों को हुक्म फ़रमाया के बनु कुरैज़ा पर हम्ला करना है हर शख़्स अस्र की नमाज़ वहीं चलकर पढ़े। रास्ते में अस्र का वक़्त हो गया तो जानिसार दो गिरोहों में तक़्सीम हो गए कुछ का ख़्याल था के हुज़ूर का मक़सद ये नहीं था के ख़्वाह वक़्त निकल जाए मगर नमाज़ रास्ते में न पढ़कर बनु कुरैज़ा ही में पढ़ी जाए लेहाजा उन लोगों ने वक़्त निकलने और सूरज ग़ुरूब होने के ख़ौफ़ से नमाज़ रास्ते ही में पढ़ली और कुछ अस्हाब ने फ़रमाया के जब सरकार का हुक्म है की नमाज़े अस्र वहीं चल कर पढ़ी जाए हम रास्ते में नहीं पढ़ेंगे ख़्वाह वक़्त निकल जाए। या'नी एक जमाअत ने ज़ाहिर लफ़्ज़ पर अ'मल किया और दूसरी ने मअना की गहराई पर नज़र की। सरकार से जब इस अम्र का ज़िक्र

किया गया तो हर दोनों जमाअतों को पसन्द फरमाया। और किसी को गलत न कहा।

हदीस के अल्फाज इस तरह हैं:

عَنْ ابنِ عُمَر قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و سلّمْ لَنَا لَمَّا رجع مِنَ
الاحْزَاب لَایُصَلِّیَنَّ احَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِی بَنِی قُرَیْظَۃ فَادْرَک بَعْضُھُمُ
الْعَصْرَ فِی الطَّرِیْق وَ قَالَ بَعْضُھُمْ لَا نُصَلِّی حَتّٰی نَاْتِیَھَا وَقَالَ بَعْضُھُمْ بَلْ
نُصَلِّی لَمْ یُرِدْ مِنَّا ذٰلِکَ فَذُکِرَ ذٰلِکَ لِلنَّبِی صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و سلّم
فَلَمْ یُعَنِّفْ احَدًا مِّنْھُمْ.

तर्जमा : हजरत सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं के जब सरकार सलल्लाहु तआला अलेही व सल्लम ग़ज़्वा अहज़ाब (ख़न्दक़ की लड़ाई) से वापस तशरीफ लाए तो हम लोगों से फरमाया के हर शख्स नमाज़े अस्र बनु कुरैज़ा में चलकर पढ़े। तो कुछ हजरात को अस्र का वक्त रास्ते में ही हो गया तो उनमें बअज़ ने फरमाया के हम नमाजे अस्र हुज़ूर के फरमान के मुताबिक बनु कुरैज़ा की बस्ती में पहुँचने के बाद ही पढ़ेंगे और बअज हजरात की ये राय हुई के हुजूर का मकसद ये नहीं था (ख्वाह वक़्त जाता रहे मगर नमाज़े अस्र बनु कुरैज़ा ही मे पढी जाए) बल्के हम लोग नमाज़ रास्ते ही में अदा करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं के जब ये बात हुजूर के सामने लाई गई तो आपने दोनों जमाअतों में से किसी को नापसन्द नहीं फरमाया। या'नी दोनों को सही बताया।

(बुखारी शरीफ जिल्द 1 पेज न0 169 बाब सलातुत तालिब वल मतलूब)

बुखारी के उसी पेज पर हाशिए में है:

صلوا فی بنی قریظۃ مع ترک الوقت

या'नी उन लोगों ने नमाज़ अस्र बनु कुरैज़ा ही में पढ़ी हालाँकि वक़्ते अस्र जाता रहा था।

जब एक गिरोह वक़्त के अन्दर रास्ते में और दूसरा गिरोह वक़्त गुज़रने या'नी सूरज गुरूब होने के बाद नमाज़े अस्र पढ़कर दोनों सरकार की नज़र में इख़्तेलाफ़े राय व तरीक़ा–ए–कार के बावजूद महबूब व पसन्दीदा हो सकते हैं तो हनफ़ी व शाफ़ई व मालेकी व हम्बली भी मसाईले फ़रोइ'या में इख़्तेलाफ़ के बावजूद महबूब व मक़्बूल हो सकते हैं। और जो पाँचवीं राह इख़्तेयार करे या'नी इन चारों पर ए'तेराज़ करे वोह मरदूद व मक़हूर है क्योंकि वह उन्हें बुरा कह रहा है और अस्हाबे किराम ने एक दूसरे को बुरा न कहा था और आपस में इख़्तेलाफ़ के बावजूद किसी की बुराई न की थी न तअ'न व तश्नीअ जैसे के अहले हदीस गिरोह मुक़ल्लेदीन के पीछे पड़ गया है।

ऐसा ही एक और वाक़ेआ हदीसे पाक में है की हुज़ूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के ज़माने में दो हज़रात सफ़र पर तशरीफ़ ले गए रास्ते में एक जगह पानी न मिलने की वजह से मिट्टी से तय्यम्मुम करके नमाज़ अदा की। आगे बढ़े तो पानी मिल गया वक़्त बाक़ी था एक साहब ने वुज़ु करके नमाज़ दोहराई दूसरे साहब ने नहीं दोहराई वापसी में दोनों ने किस्सा हुज़ूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के सामने बयान किया तो हुज़ूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने दोनों को सही फ़रमाया किसीको ग़लत न बताया और फ़रमायाः

"कि जिसने नमाज़ नहीं दोहराई उसने सुन्नत के मुताबिक़ काम किया और जिसने दोहराई उसके लिए दोगुणा सवाब है।" (मिश्कात शरीफ़ बाबुल तय्यम्मुम फ़स्ल सानी पेज न० 88)

चूँकि चारों मजाहिब मकबूले बारगाह हैं। लेहाजा जिस किसी पर अ'मल किया जाए वह हक व दुरुस्त होगा जैसे एक समन्दर से चार नहरें निकाली जाएँ तो हर नहर से पीने वाला समन्दर का ही पानी पिएगा ये चारों मजाहिब कुरआन व हदीस से माखुज है लेहाजा इनमें से हर एक की तकलीद कुरआन व हदीस की इत्तेबा होगी। और यह इख़्तिलाफ उन्ही मसाइल मे है जिसमें अक्ल और समझ का भी दखल है। इन्ही को फुरूअी मसाइल कहते हैं और जो मसाइल कुरआन व मुतवातिर, मशहूर, हदीसों से साफ तौर पर साबित है उनमें किसी को किसी से कोई इख़्तिलाफ नहीं।

इस बात को समझाने के लिए मैं एक और मिसाल लिखता हुँ,

" एक शाही महल तक पहुँचने के लिए अलग अलग चार रास्ते हैं एक पश्चिम से दूसरा पूरब से तीसरा उत्तर से और चौथा दक्षिण से और बादशाह के दरबार तक जाने मे पब्लिक में से कोई किसी रास्ते से गया हर एक गिरोह ने अलग अलग रास्ता अपनाया जाहिर है की सब बादशाह तक पहुँच जाएँगे लेकिन कुछ सर फिरे कहने लगे के हम सिर्फ एक रास्ते से क्यों जाएँ जब चारों सही हैं तो चारों से जाएँगे थोड़ी देर एक पर चले उसे छोड़ा फिर दूसरा पकड़ा फिर लौटे और तीसरे पर फिर चौथे पर, युँ ही कभी कोई कभी कोई रास्ता अपनाया जाहिर है की ये बादशाह तक कभी न पहुँचेंगे।

(तेली के बैल को घर ही कोस पच्चास)

हुजूर नूरे मुजस्सम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम इर्शाद फरमाते हैं: اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم

मेरे सहाबा सितारों की मिस्ल हैं जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे।

सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में भी काफी इख्तेलाफ रहा है उनमें भी किसी एक की इत्तेबा का हुक्म दिया गया है और चलिए हमसे आपने ये फरमाया के किसके मसाईल सच्चे हैं ये ईल्म मुकल्लिद को कैसे होगा? लेकिन जहाँ अहादीसमें इख्तेलाफ है वहाँ आप ये कैसे जानेंगे के कौन सी हदीस क़ाबिले अ'मल है और कौन नहीं या किसी मुहद्दिस या आलिम की मानेंगे तो उसके मुक़ल्लिद आप हो जाएँगे या नहीं? या हुजूर अनवर नूरे मुजस्सम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम बिज्जात खुद आपको बताने आएँगे के फुलाँ जईफ है और बिलफर्ज हुजूर तशरीफ ले आए तो ये बादे विसाल तसरूर्फ होगा। जो आपके मज़हब के क़तअ'न मुनाफी है। क्यों के आपके मौलवी इस्माईल साहब देहलवी तो हुजूर को मर कर मिट्टी में मिलने वाला लिख चुके हैं मुआजल्लाह। और अहादीस में इख्तेलाफ काफी है। मसलन मुस्लिम शरीफ हिस्सा 1 पेज न0 157 "बाबुल वजु मिन मा मसतिन नार" में हज़रत ज़ैद बिन साबित अन्सारी और हज़रत आईशा सिददीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक हदीस है توضئو من مست النار या'नी हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया के आग पर पकी हुई चीज को खाकर वुजू करो। मुस्लिम शरीफ के इसी पेज पर है की हज़रत अबु हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु को देखा गया के वजु कर रहे और फरमा रहे हैं के मैंने पनीर खाया है इस लिए वुजू कर रहा हुँ क्योंकि रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने फरमाया है कि "आग से पकी हुई चीजें खा कर वजु करो।

और बुखारी "शरीफ बाब मन लम यतवज़्ज़ा मिन लहमिश शात" पेज न0 34 पर एक हदीस है:

عن عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاء

यानी रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने बकरी के शाने का गोश्त तनावुल फरमाया और नमाज़ पढ़ी लेकिन वुजू नहीं किया नीज़ बुखारी शरीफ के इसी पेज पर है की हज़रत अबु बकर व उमर व उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने गोश्त खाने के बाद वुजू फरमाया।

मजकूरा बयान से जाहिर है की एक हदीस के मुताबिक पकी हुई चीज़ों को खाने से वुजू टूट जाता है और दूसरी से नहीं। अब पता नहीं कि आप अहले हदीस कैसे बनेंगे? मुकल्लिद तो इसलिए नहीं बने के चारों मज़ाहिब के मसाईल में इख्तेलाफ है अब ये अहादीस का इख्तेलाफ आपको अहले हदीस भी तो नहीं बनने देगा। मुलाहिजा हो। बुखारी शरीफ पेज न0 27 पर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है: توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم مرة مرة

यानी रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने आजाए वजु को सिर्फ एक एक बार धोया और उसी पेज पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है की हुजूर सलल्लाहु तआला अलैहे व सल्लम ने आजाए वुजू को दो–दो बार धोया और पेज 28 पर हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तीन तीन बार धोने की रिवायत है। यहाँ बताईए के आप तीनों में से किस को मानेंगे और हदीस के एलावा किसी और की मदद लिए बगैर मुताबेकत कैसे करेंगे? मिश्कात् शरीफ पेज न0 41 "बाब मा युजिबुल वुजू" में एक हदीस है हज़रत आईशा सिददिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهٖ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلَا يَتَوَضَّأُ۔

या'नी रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम अपनी बीवी का बोसा लेते और बग़ैर वुज़ू किए नमाज़ अदा फ़रमा लेते। और उसी पेज न0 41 पर हज़रत सय्यिदुना उमर फ़ारुक़ आ'ज़म और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मस्ऊद से एक ही मफ़हूम की तीन अहादीस मरवी हैः

واللفظ لابن عمر من قبل امرأته ومسّها بيده فعليه الوضوء

या'नी जिसने अपनी बीवी का बोसा लिया या हाथ से छुवा तो उसपर वज़ु करना लाज़िम है। मज़ीद देखते चलिए! मिश्कात शरीफ़ पेज न0 41 पर है की रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने फ़रमायाः

اذا مسّ احدكم ذكره فليتوضأ या'नी जो शख़्स उज़्वे तनासुल (लिंग) को छूए तो उसको चाहिए के वुज़ू करे और उसी से मुत्तसिल दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम से पूछा गया के क्या उज़्वे तनासुल को छूने के बाद वुज़ू करना होगा ? तो फ़रमायाः

هَلْ هُوَ اِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ

या'नी वोह तुम्हारे जिस्म के और हिस्सों की तरह एक हिस्सा है या'नी और हिस्सों को छूने से वुज़ू नहीं जाता ऐसे ही उसको छूने से भी।

और देखिये मिश्कात् शरीफ पेज न0 42 पर अमीरुल मा'मेनीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से मरवी है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैहे व सल्लम ने फ़रमायाः

اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ

या'नी अगर जिस्म से खून निकल कर बह जाए तो वज़ु करना होगा और बुखारी शरीफ पेज न० 29 "बाब मन लम यराअल वुज़ू इल्ला मा खरज मिनल मख्रजैन" में है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है:

انّ النّبی صلّی اللہ تعالٰی علیہ و سلّم کان فی غزوۃ ذات الرّقاع فرمی رجل بسھم فنزفہ الدّم فرکع وسجد و مضٰی فی صلٰوتہ۔

या'नी ग़ज़वाए ज़ात अर्रेक़ाअ के मौक़े पर हुज़ूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम की मौजूदगी में एक साहब के बहालते नमाज़ तीर लगा। और कसरत से खून निकला लेकिन वह नमाज़ पढ़ते रहे।

सिर्फ वज़ु के बयान से मुतअल्लिक तीन चार पेज की हमने आपको इस कदर मुखतलिफ अहादीस दिखाईं। अगर हजारों हज़ार पेज पर मशतमिल पूरी बुखारी व मुस्लिम और मिश्कात वगैरहा से छांट कर अहादीसे मुखतलिफा तहरीर की जाएँ तो एक ज़खीम किताब तय्यार हो जाएगी।

और इन अहादीस में जिन बुज़ुर्गों ने ततबीक़ (ऐसे माना बयान करना कि दोनों में मुताब्क़त हो जाये) की सूरत निकाली है या नासिख (बाद वाला हुक्म) व मन्सूख (पहले जो हुक्म था) या मक़बूल व मतरूक की वज़ाहत की है। उनकी तो आप मानेंगे नहीं। ख्वाह वह इमाम अबु हनीफा हों या शाफेई व मालिक व इब्न हम्बल या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, या इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम व इब्ने जौज़ी। क्योंकि जिसकी मानों उसी के आप मुकल्लिद हो जाएँगे और कुरआन व हदीस के एलावा किसी और की इत्तेबा हो जाएगी। मगर हमारे लिए तो मुआमला आसान है की हम तो हदीस मे तआर्रुज इख़्तिलाफ के वक़्त उन अहादीस पर अ'मल कर लेते हैं। जिनको हज़रत इमाम आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़्यादा

दुरूस्त जानते हुए काबिले अ'मल ठहराया है क्यों के वोह हुजूर अलैहिस सलात वससलाम और सहाबा-ए-किराम के ज़माना से नेहायत क़रीब होने की बिना पर हमसे कहीं ज़्यादा अहादीस को जानते थे। इस मौक़ा पर ये बता देना जरूरी है कि तक़लीद सिर्फ उन अहकाम व फरोई मसाईल में की जाती है। जो कुरआन व हदीस से इस्तेम्बात करके निकाले जाएँ। रहे अक़ाईद दीनया और वह अहकाम व मसाईल जो सराहतन साफ तौर पर कुरआन व हदीस में मज़कूर हैं उनमें हम भी किसी इमाम की तक़लीद नहीं करते बल्के कुरआन व हदीस ही से सनद लाते हैं। जैसे तौहीद व रिसालत से मुतअल्लिक अक़ीदा या नमाज़ व रोज़ा, हज, ज़कात की फर्जिय्यत, शराब व खिन्ज़ीर की हुरमत नमाज़ की रकअतें वगैरह। इस किस्म के मसाईल में हम भी किसी इमाम के मुकल्लिद नहीं है अल्बत्ता वह मसाईल जो सराहतन कुरआन व हदीस में न हों या हों। तो उनसे मुतअल्लिक अहादीस मुखतलिफ आई हैं तो उनमें सिवाए तक़लीद के चारए कार नहीं।

अहादीस में जो हमने अभी इख्तेलाफ जिक किया है इससे हमारे मुसलमान भाई परेशान हरगिज़ न हों के आखिर ऐसा हुआ क्यों। बात दरअसल ये है की जिस तरह हकीम व डाक्टर मरीज की हालत के ऐतबार से दवा और नुस्खे बदलते रहते हैं इसी तरह अल्लाह के रसूल सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने मुखतलिफ मवाकेअ' पर जैसी जरूरत होती थी वैसे ही अहकाम सादिर फरमाए और चूँकि आप क़ानून साज़ थे आप जो फरमा देते थे उसे जब चाहते ब इज़्ने इलाही बदल देते थे। और ये इखतेयारात आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से अता फरमा दिए, थे।

जैसे इब्तेदाए इस्लाम में बजाए खाना-ए-का'बा के बैतुल मुकद्दस की तरफ रूख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी अब

अगर बिलफर्ज कोई शख्स इस हाल में हुजूर को नमाज पढ़ता देखकर उसी ज़माने में किसी दूसरे मुल्क में चला जाए तो वोह यही बताएगा के नमाज़ में किब्ला बैतुल मुकद्दस है लेकिन उसके मुतअल्लिक तो कुरआन की आयत नाज़िल हो गई। लेहाजा ये नस्ख (हुक्म बदलना) अवाम व ख्वास तक पहुँच गया। लेकिन इसके एलावा सदहा उमूर ऐसे हैं के सहाबा में से जिसने जो सुना और हुजूर को जैसे करते देखा वही लोगों को बता दिया। इसलिए अहादीस में इख्तेलाफ वाकेअ हुआ। उस ज़मीने में भी कुछ इस्लाम दुश्मन थे जो हदीसे गढ़ लेते थे और मुसलमान बनकर बयान करते थे। अब ये छाँट फटक करना के हुजूर ने कौन सी बात किस मौके पर फरमाई और फिर उसकी जगह पर दूसरा हुक्म कब इर्शाद फरमाया। कौन सी आयत किसी मौके पर नाज़िल हुई ये सब हमारे आपके बस की बात नहीं। लेहाजा इस किस्म के उमूर में आईम्मा किराम की तक़लीद की जाती है और इस मुआ'मला में इसकी कोई जरूरत नहीं कि ये तलाश किया जाए के चारों में कौन हक़ पर है बल्के चारों अललहक और मकबूले बारगाह हैं। इनमें से किसी भी एक की तक़लीद की जा सकती है। जैसे हज़रत मौलाए काईनात अली अलमुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सय्यिदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जंग व जिदाल, क़तल व ग़ारत गिरी और खूंरेज़ी के बावजूद दोनों ही हजरात का एहतेराम किया जाता है। किसी को भी बुरा भला नहीं कहा जाता।

और ये भी नहीं हो सकता के चारों पर अ'मल किया जाए वरना लोग जिस मस्अले में जिधर आसानी देखेंगे उसी पर अ'मल करेंगे और आराम तल्बी ऐश परस्ती मज़हब बन जाएगा।

जैसे इमाम शाफ़ेई के यहाँ जब तक जान का खतरा न हो। तय्यम्मुम की इजाज़त नहीं और इमाम आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ वजु करने से बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का खतरा हो तब भी तय्यम्मुम की इजाज़त है। लेहाजा इसमें इमाम आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान करदा मस्अले पर आसानी के पेशे नज़र अ'मल किया जाए और जिस्म से खून निकल कर बह जाए तो इमाम शाफ़ेई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ वजु बाकी रहता है और इमाम आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ वजु टूट जाता है। लेहाजा इस मस्अले में इमाम शाफ़ेई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तक़लीद की जाए

गर्ज के जिधर आराम वही हमारा मजहब और इस्लाम, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी बनकर रह जाएगा । इस आराम तल्बी से बचाने के लिए फोक़हा ने हुक्म दिया जो जिसका मुक़ल्लिद है वोह जुम्ला मसाईले फ़िक़्हिया में उसी की तक़लीद करे।

ये ऐसा ही है जैसे कोई जंगल या किसी भी नई जगह ये फ़ैसला न कर सके किब्ला किधर है और कोई बताने वाला भी न हो तो उसके लिए हुक्म है की दिमाग पर ज़ोर दे जिधर ज़्यादा झुकाव हो उसी जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ले नमाज़ दुरूस्त हो जाएगी। ख्वाह ग़लत रूख पर हो ऐसे ही मुज्तहिद ऐसे मस्अले में जो क़ुरआन व हदीस में सराहतन मज़कूर न हो या अहादीस मुताआ'रिज हों ग़ौर व खौज करके कुव्वते इज्तेहाद से एक राय मुताअय्यन करेगा इसमें अगर वोह ग़लती पर हो तो भी दुरूस्त माना जाएगा और मुक़ल्लिद के लिए उसकी तक़लीद लाज़िम होगी। और जो मुज्तहिद नहीं वह चारों इमामों में से जिसकी तक़लीद करे हक़ पर

होगा जैसा के खुद खुदावन्दे करीम ने कुरआने मजीद में फरमायाः لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता।
(सूरहे बकरा प० 3 आ० 286)

सवाल : फिक्ह की मौजूदा किताबों में बहुत से ऐसे मसाईल हैं जिन्हें सुनने से कए(उल्टी) आने लगे क्या ये मसाईल भी फिलवाकेअ अबु हनीफा के हैं?

जवाब : आपका सवाल अधूरा है आपको वह मसाईल जिक्र करना चाहिए था जिन्हें पढ़ने या सुनने से आपको कए आने लगती है और अगर किसी को कए में मुब्तला दिखादें तो आपकी बात और मजबूत हो जाएगी। वरना डरो उस दिन से के जिस दिन हक़ीक़त बे नेक़ाब होगी और गलत बयानी की सज़ा मिलेगी। और आपको कए आ भी गई हो तो इसमे तअज्जुब की बात क्या है हक के सामने बातिल को तो कए आ ही जाती है। और कुछ लिखिये तो फिर हम भी सुनायेंगे आपको आपके घर की दास्तान।

सवाल : जरा मेहरबानी कर के ये बताईए के फिक्ह की मौजूदा किताबों में से कोई एक भी ऐसी है जिसे इमाम आजम अबु हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद लिखा हो।

जवाब : उन्होंने खुद न लिखकर अपने शागिर्दों से लिखवाईं उनके शागिर्दों की तसानीफ से उनका मज़हब जाहिर है आप की भी नेहायत मेहरबानी होगी अगर ये बता दें के हदीस की मौजूदा किताबों में कोई एक भी ऐसी है जिसको पैगम्बरे इस्लाम ने खुद लिखा हो या कम अज़ अज़ हज़रत अबु बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह

इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर वगैर हम सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम की लिखी हुई हदीस की कोई मशहूर किताब इस जमाने मे दिखादें।

सवाल : चारों इमाम अफजल हैं या चारों खलीफा? जब चारों इमामों की तक्लीद फर्ज है तो चारों खुलफा की डबल फर्ज क्यों न हो और चारों खुलफा की तक्लीद से किसने मना किया?

जवाब : चारों इमामों ने जो कुछ फरमाया वह सब खुलफाए किराम व दीगर सहाबा-ए-किराम के अकवाल व अफआल की रौशनी मे फरमाया है। आप बताईए के मौलवी इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम, इस्माईल देहलवी, काजी शौकानी, सनाऊल्लाह अमृतसरी, मियाँ नजीर हुसैन देहलवी, सिद्दीक हसन भोपाली, अब्दुससलाम बस्तवी, सफिउर्रहमान मुबारक पूरी, क्या सहाबा किराम से अफ्ज़ल हैं के सहाबा किराम के अकवाल होते हुए उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं और उनपर अमल भी किया जाता है।

सवाल : अगर चारों इमाम कुरआन व हदीस से मसाईल लेते रहे तो हमें कुरआन और हदीस से मसाईल लेने में गैर मुकल्लिद बन जाने का खौफ क्यों हो?

जवाब : चलिए कम अज कम आपने ये इकरार किया कि चारों इमाम कुरआन व हदीस से मसाईल लेते रहे हम खुदाए तआला का शुक्र अदा करते हैं के उसने हमें ऐसे इमामों का मुकल्लिद बना दिया है कि जो मसाईल कुरआन व हदीस से लेते थे। जाहिर है की कुरआन व हदीस से मसाईल लेनें वालों की तक्लीद कुरआन व हदीस की इत्तेबा होगी और

आपका दावा–ए–इज्तेहाद छोटा मुँह बड़ी बात है। लगता है की कल को आप ये भी कह देंगे के हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम अहक़ामे इलाही वही के जरिआ हासिल करते थे तो हमें भी वही के जरिआ मसाईल हासिल करने में कोई खौफ क्यों हो। आपकी इस क़िस्म की बातों ने फिरक–ए–अहले कुरआन को जन्म दिया है वह कहते हैं कि कुरआन के होते हुए किसी और की जरूरत नहीं और आप लोग कहते हैं कि कुरआन व हदीस हमें काफ़ी है लेकिन हम कहते हैं कुरआन की भी जरूरत है हदीस की भी और कुरआन व हदीस को समझने और उन पर अमल करने के लिये फ़िक़ह, तफ़सीर और तक़लीद की भी ज़रूरत है और हदीस की भी जरूरत है। आपका ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई बीमार यह कहने लगे कि मैं डाक्टर के पास क्यों जाऊँ मेरे लिए डक्टरी की किताबें और मेडिकल स्टोर बहुत काफ़ी हैं और खतरनाक बीमारियों का इलाज किताबों और दवाखानों से करने लगे। बस युँ ही समझ लीजिए के जिस तरह मेडिकल स्टोर मे दवाएँ हैं लेकिन वोह सबके लिए नहीं बल्के उनसे फाइदा पहुँचाना डाक्टरों का काम है। यूँ ही कुरआन व हदीस में मसाईल हैं लेकिन उनको पाना मुज्तहेदीन का काम है।

सवाल : खनाए का'बा में चार मुसल्ले कब बिछाए गए। सुना ह कि ये सातवीं सदी की बिदअ'त है?

जवाब : हम बता चुके हैं के दीनी जरूरत और अहले इस्लाम की सहूलत के पेशे नज़र अगर कोई काम किया जाए तो वोह बिदअ'ते सैयआ नहीं होता हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़ तरावीह जमाअ़त के साथ रोज़ाना अपने दौर में पढ़वाई और फरमाया: نعم البدعة هذه ये अच्छी

बिदअ'त है। या'नी ये नया काम अच्छा है। (बुखारी शरीफ बाब क्यामे रमजान, पेज 269)

हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जानशीनों ने मुसलमानों की सहूलत के पेशे नजर सातवीं सदी में चार मुसल्ले क़ाईम कर दिए थे ताकि जो जिस इमाम का मुक़ल्लिद है वह उसी के तौर पर नमाज़ अदा करे। आप बताईए कि जिस ज़माने में ये चार मुसल्ले क़ाईम किए गए थे। उस ज़माने में जबके दुनिया के अन्दर लाखों जय्यिद उलमा–ए–किराम मौजूद थे क्या किसी ने इसकी मुखालिफत की? और जिन मश्हूर उलमा ने मुखालिफत की उनके नाम क्या हैं?

और अगर आप ये नाम न शुमार करा सके तो इस पर उम्मत का इज्माअ़ साबित हो जाएगा और हदीस हम नक़्ल कर चुके के सरकार सय्यदे आलम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम फरमाते हैं के मेरी उम्मत गुम्राही पर कभी जमा न होगी।

यहाँ हम सही बुखारी की एक ऐसी हदीस नक़्ल कर दें के जिसको पढ़ कर या तो मुनकेरीने तक़लीद होश में आ जाएँगे और वोह हर नए काम ख्वाह वह उम्मत के लिए कितना ही जरूरी और कैसा ही कारे खैर हो उसको बिदअ'त बिदअ'त की रट लगाकर बुरा कहना छोड़ देंगे या फिर इस हदीसे मुबारिका को पढ़ कर उनकी पूरी जमाअ़त पर सन्नाटा छा जाए गा। होश उड़ जाएँगे। आँखें फट जाएँगी और उन्हें दिन में तारे नज़र आ जाएँगे ये एक ऐसी हदीस है जिसमें ग़ैर मुक़ल्लिदिय्यत और वहाबिय्यत के तकरीबन सारे क़िल्ए ढह दिए गए हैं। मुलाहिजा फरमाईए।

तर्जमा : सहाबी–ए–रसूल हज़रत ज़ैद इब्न साबित से मरवी है वह फरमाते हैं के जंगे यमामा के मौके पर मुझको हज़रत

रादियिल्लाहु अबु बकर सिद्दिक़ ने बुलाया मै हाजिर हुआ तो देखा के उनके पास हज़रत उमर भी तशरीफ फरमा हैं हजरत अबु बकर ने मुझसे फरमाया के ये जनाब उमर मेरे पास आए और बोले के यमामा के दिन कुरआन के क़ारी बहुत शहीद हो गए हैं। मैं डरता हुँ के अगर और जंगों में इसी तरह कुरआन के क़ारी शहीद होते रहे तो बहुत सा कुरआन जाएअ हो जाएगा। लेहाजा मेरी राय है की आप कुरआन जमा करने का हुक्म दे दें मैंने (अबु बकर ने) उमर से कहा के तुम वह काम कैसे करोगे जो रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम ने न किया तो उन्होंने या'नी हज़रत उमर ने कहा। लेकिन अल्लाह की क़सम! ये अच्छा काम है उमर बार बार ये कहते रहे हत्ता के अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया और मैंने हज़रत उमर की राय में मस्लेहत देखी। रावी हदीस जनाब जैद कहते हैं के हज़रत अबु बकर ने मुझसे फरमाया के तुम एक जवान और अक़लमन्द आदमी हो हमें तुम पर ए'तेमाद है। और तुम रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम के पास वही लिखते रहे हो। लेहाजा तुम ही कुरआन को तलाश करो।

जनाब जैद फरमाते हैं के अल्लाह की क़सम अगर वह मुझे पहाड़ों में से किसी पहाड़ को हटाने का हुक्म देते वह भी मुझपर इतना गिराँ न होता जितना के कुरआन जमा करने का हुक्म मुझ पर भारी पड़ा मैंने कहा के आप लोग वह काम क्यों करते हैं जो रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम ने न किया इसपर हज़रत अबु बकर ने कहा वह काम खुदा की क़सम बहुत अच्छा है फिर जनाब अबु बकर बार बार मुझसे ये फरमाते रहे। यहाँ तक के अल्लाह तआ़ला ने इसके लिए मेरा सीना भी खोल दिया। जिसके लिए जनाब अबु बकर व उमर का सीना खोला। फिर मैंने कुरआन की तलाश शुरू की उसे

खजूर की शाखों पत्थरों और लोगों के सीने से जमा करने लगा। हत्ता के सूरए तौबा का अखिरी हिस्सा हज़रत खुजैमा अन्सारी के पास मिला उनके एलावा और किसी के पास न मिला या'नी لقد جاءكم से खत्म सूरह तक फिर ये औराक हज़रत अबु बकर के पास रहे हत्ता के रब ने उन्हें वफात दी। फिर ताहीन हयात हज़रत उमर के पास फिर हज़रत हफ्सा बिन्ते उमर के पास।

(बुखारी जि0 2,पेज 745,बाब जमउल कुरआन और मिश्कात् पेज 183)

हदीस का मफहूम ये है की कुरआने करीम सरकारे दो आलम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्ल्म के ज़माना पाक में इज्तेमाई शक्ल में न था। बल्के कोई सूरत व आयत किसी के पास और कोई सूरत आयत किसी के पास इस तरह मुतफर्रिक़ तौर पर लोगों के पास महफूज था। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अबु बकर से अर्ज किया और उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित को बइसरार हुक्म दे कर जमऐ कुरआन का कारनामा अन्जाम दिया और सभी हजरात ने ये बावर फरमा लिया कि काम अगर्चे नया है लेकिन खैर है अच्छा है लेहाजा इसका करना वाजिब व जरूरी है।

इस हदीस का मुतालेआ करने के बाद कई उमूर साफ होकर जेहन में आते हैं :

(1) अगर पहले के लोगों ने कोई काम न किया हो और उसमें कोई दीनी इस्लामी मस्लेहत हो तो बाद वाले लोग उसको कर सक्ते हैं।

(2) हर नया काम बिदअत व गुम्राही नहीं होता जबके वोह कारे खैर हो और उसमें कोई कौमी व मिल्ली फाईदा हो।

(3) दीनी मदर्से, जल्से, इशाअते कुतुब, नियाज़ व फातिहा, मिलाद, सलाम व क़याम वग़ैरह अगर्चे कुरूने ऊला में वे ऐनेही मौजूदा शक्ल पर ना पाए जाएँ। लेकिन ये सब काम अच्छे हैं और उनसे बहुत से दीनी क़ौमी फाईदे हैं लेहाजा ये सब जाईज़ व मुस्तहसन और बाईसे अज्र व सवाब हैं।

(4) अगर ज़माना–ए–सिद्दीक़ी में हर नए काम को बिदअ'त बता कर उससे रोकने वाले लोग मौजूद हाते तो कुरआन जैसी लाज़वाल और बेमिसाल ने'मते इलाहिया से उम्मत महरूम रह जाती।

(5) मा'लूम हुआ के हर नए काम के बिदअ'त व गुम्राहि न होने पर दौरे सिद्दीकी ही में सहाबा–ए–किराम का इज्माअ हो गया था। यहाँ ये कहने की भी मुअतरिज को गुन्जाईश नहीं कि चूँकी ये काम दौरे सिद्दीक़ी का है और हदीस में है कि मेरी और खुलफाए राशेदीन की सुन्नत को लाज़िम पकड़ो क्योंकि हजरते सिद्दीक़ ने हज़रत उमर के और हज़रत ज़ैद ने दोनों हजरात के फरमाने पर ये नहीं कहा कि खिलाफते राशिदा है। लेहाजा जो होगा वह सुन्नत होगा बल्के ये फरमाया कि काम नया है मगर बेहतर तो है।

(6) हर बात के लिए ये नहीं मा'लूम करना चाहिए के इसके बारे में वही कब आई क्योंकि बअज़ उमूर ऐसे होते हैं के रब्बे करीम उनके लिए अपने बन्दों के दिल खोल देता है और उन्हें तौफीक़े खैर मरहमत फरमाता है। और उनके दिल में डाल देता है।

जिस किताब्चे के सवालों के जवाब मे हम यह लिख रहे हैं उसमें तक़लीदे शख़्सी पर किये गये अक्सर ए'तेराज का जवाब इस हदीसे सही सरीह में बफज़्लेहि तआ़ला मौजूद है।

فلله الحمد اولًا وآخرًا۔

सवाल : इस तक़लीद के बारे में कुछ अल्लाह व रसूल ने भी फरमाया कि नहीं अगर फरमाया है तो क्या फरमाया है?

जवाब : जी हाँ कई मक़ामात पर कुरआने करीम ने आईम्माए किराम की तक़लीद का हुक्म फरमायाः मुलाहिजा हो।

तक़लीद का सबूत आयाते कुरआनिया और अहादीस व तफसीर से

आयत न० 1:

إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

तर्जमा : हमको सीधा रास्ता चला उनका रास्ता जिन पर तू ने एहसान किया। (सूरह फातिहा, पारह न० 1 आ० 5–6)

कहिए सीधे रास्ते के बाद ये कहने की क्या जरूरत है उनके जिन पर तू ने एहसान किया। इसका साफ मतलब ये है की सीधे रास्ते को नहीं समझ सकोगे। उनके नक़्शे क़दम पर चलो जिन पर मेरा एहसान है। ये तक़लीद की तरफ खुला इशारा है।

हज़रत इमामे आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उन लोगों में से हैं जिनपर खुदा ने बे पनाह एहसान फरमाया। शैखैन ने अबु हुरैरा से और तबरानी ने इब्ने मस्ऊद से रिवायत की है की रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है لو كان العلم عندالثريا और अबु नईम की रिवायत में है

لو كان معلقا بالثريا لتناوله رجل ابنا فارس۔ या'नी ईमान या इल्म अगर सुरय्या सितारे पर भी होगा तो अहले फारस में से एक शख़्स उसको ले आएगा।

(मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हिस्सा 2. पेज 297. बुखारी हिस्सा 2. किताबुत तफसीर बाब कौले व आखरीन मिन्हुम म. पेज न0 727)

और अल्फाज मुस्नद अहमद बिन हम्बल के हैं।

मुहद्देसीन की एक जमाअत का ख्याल इस हदीस में हज़रत इमाम आ'जम अबु हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा है। क्योंकि आप नस्ल के एतिबार से फारसी थे और अहले फारस में आपकी मिस्ल कोई आलिम व फक़ीह न गुज़रा।

और इमाम आ'जम अबु हनीफा की शाने मक़ाम व मर्तबा तो ये है की हजरत इमाम शाफेई भी जब उनके मज़ार शरीफ पर हाजरी देने आए तो वहाँ इमाम साहब के मस्लक के मुताबिक़ नमाज अदा फरमाई। बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ी। रफअ़ यदैन न किया। फजर की नमाज में दुआए क़नूत न पढ़ी।
(खैरूातुल हिसान लिल इमाम इब्ने हजर मक्की, अल इन्साफ लिलशाह वली मोहदिसे देहलवी पेज 28)

इस हिक़ायत से ये भी मा'लूम हुआ के चारों इमामों में बावजूद फुरोई मसाईल में इज्तेहादी एख्तेलाफ के एक दूसरे से नफरत न थी बल्के अदब व एहतेराम किया करते थे और बेशक चारों मस्लक हक़ हैं।

<u>आयत न0 2</u> اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم

(सूरहे निसा, प0 5, आ0 59)

तर्जमा : इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और अपने में से हुक्म वालों की।

बताईए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सलल्लाहु तआला अलैहि व सल्ल्म की इताअत के बाद ये किसी और की इताअत का हुक्म कुरआने करीम में क्यों है? आपका वोह कौल कहाँ गया के हमें कुरआन व हदीस के एलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। शायद आप ये कहें के हुक्म वालों से सलातीने इस्लाम मुराद हैं। तो वाजेह रहे की सलातीन का मर्तबा अहले इल्म के बाद है क्योंकि सुल्तान भी उलमा से पूछ कर ही फैसले करेगा और उनके हुक्म पर उसे भी चलना पड़ेगा। तभी वह इस्लाम का सुल्तान कहलाएगा और सुल्तान भी तो न खुदा है न रसूल वह खुदा और रसूल के एलावा ही तो है या वह आपका खुदा व रसूल है मुआजल्लाहि रब्बिल आलामीन।

आयत न0 3 فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ۴۳

(सूरह नहल प0 14, आ0 43)

तर्जमा : ऐ लोगो! इल्म वालों से पूछो अगर तुम न जानते हो। इस आयत में इल्म वालों की तरफ लोगों को रग़बत दिलाई गई। और उनकी तक़लीद का हुक्म दिया गया है और हजरत इमाम आ'जम अबु हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर इल्म वाला उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ।

आयत न0 4 وَ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

तर्जमा : मेरी तरफ रूजुअ लाने वालों की इत्तेबा करो।

(सूरह लुकमान प0 21., आ0 15)

आयत न0 5

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون١٢٢ ○

(सूरह तौबा,प0 11, आ0 122)

तर्जमा : तो क्यों न हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमाअ़त निकले के दीन की समझ हासिल करें और वापस आकर अपनी क़ौम को डर सुनाएँ इस उम्मीद पर के वोह बचें।

इस आयत से मा'लूम हुआ के हर शख्स पर मुज्तहिद बनना जरूरी नही बल्के बअ़ज़ तो फकीह बनें और बअ़ज़ उनकी तक़लीद करें।

आयत न0 6 يوم ندعوا كل اناس بامامهم ١

(सूरह बनी इस्राईल प0 15, आ0 71)

तर्जमा : जिस दिन हम हर जमाअ़त को उसके इमाम के साथ बुलाएँगे।

इस आयत की तफसीर में तफसीर रूहुल बयान में लिखा है: او مقدم في الدين فيقال يا حنفي يا شافعي या'नी ये इमाम दीनी पेशवा है तो क़यामत में कहा जाएगा। ऐ हनफि, ऐ शाफेई।

आयत न0 7

و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم ١ و ساءت
مصيرا ○

(सूरह निसा प0 5 आ0 115,)

तर्जमा : और जो मोमिनों के खिलाफ राह चले हम उसको उसके रुख पर फेर देंगे। और जहन्नम में पहुँचाएँगे और वोह बुरा ठिकाना है।

बताईए ये खुदा और रसूल सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के जिक के साथ मो'मेनीन के जिक की क्या वजह है और फी जमाना आम मो'मेनीन के खिलाफ कौन चल रहा है?

आयत न0 8

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

तर्जमा : ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। (सूरहे तौबा प0 11, आयत 119)

और इसमें कोई शक नहीं के चारों इमाम सच्चे हैं। लेहाजा जो उनके साथ है उनमें से किसी का मुक़ल्लिद है वोह सादक़ीन और सच्चों के साथ है।

(मुस्लिम शरीफ हिस्सा 1 बाब बयान इन्नद्दीन अन्नसीहत में हज़रत तमीम दारी से मरवी है:

हदीस 1

إِنَّ النَّبِى صلى الله تعالى عليه وسلم قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

या'नी रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया के दीन खैरख्वाही है अल्लाह और उसके रसूल के लिए और उसकी किताब के लिए और इमामों के लिए और आम मो'मेनीन के लिए।

(सही मुस्लिम, जि0 1, पेज न0 54)

इस हदीस की शरह में इमाम नववी फरमाते हैं।

وقد يتناول ذالک على الائمة الذين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول ماروو ه و تقليدهم فى الاحكام۔

या'नी ये हदीस उन इमामों को भी शामिल है जो ओलमाए दीन हैं और उलमा की खैरख्वाही ये है कि उनकी रिवायत कर्दा अहादीस को कुबूल किया जाए और अह्कामे दीनया में उनकी तक़लीद की जाए।

__हदीस 2:__ तफसीर दुर्रे मन्सूर में فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٤٣ की तफसीर में एक हदीस हज़रत अनस इब्ने मालिक से मरवी है:

ان الرجل يصلى و يصوم و يحج و يغزو و انه لمنافق قالوا يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق قال لطعنه على امامه و امامه من قال قال الله فى كتابه فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔

रसूले पाक अलैहिस सलात वस सलाम ने इर्शाद फरमाया के आदमी नमाज़ व रोज़ा व हज अदा करने और जेहाद करने के बावजूद मुनाफिक़ होता है। अर्ज किया गया क्यों, फरमाया अपने इमाम पर ता'नाज़नी की वजह से इमाम कौन है? फरमाया, रब ने فاسئلوا الآية या'नी इमाम से मुराद अहले इल्म हैं।

__हदीस 3:__ मिश्कात् शरीफ बाबुल फराईज, पेज 264 में बरिवायत बुखारी है की हजरत अबु मूसा अशअरी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद के बारे में फरमाया के لاتسئلونى مادام هذا الحبر فيكم۔ या'नी जब तक तुममें इब्ने मस्ऊद जैसा ज़ी इल्म मौजूद है तुम मुझसे कुछ न पूछो। तक़लीदे शख्सी का इससे बढ़कर सबूत और क्या होगा। हज़रत अबु मूसा अशअरी ने ये नहीं कहा के सिर्फ कुरआन व हदीस देखो ये भी न कहा के

जिससे चाहो उससे पूछो बल्के फरमाया के सिर्फ इब्ने मस्ऊद से पूछो यही तो तक़लीदे शख़्सी का मफहूम है।

हदीस 4: मिश्कात् शरीफ पेज 35 बरिवायत तिर्मिजी, अबु दाऊद इब्ने माजा, बैहक़ी की हदीस है:

نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه غير فقيه
ورب حامل الى من هو افقه منه

या'नी अल्लाह जलालुहू उस बन्दे को खुश रखे जिसने मेरी हदीस अच्छी तरह याद रखी और दूसरों तक पहुँचाई और बहुत से लोग वह हैं कि आयात व अहादीस उन्हें याद हैं लेकिन वह उन्हें पूरी तरह समझते नहीं। और बहुत से लोग अपने से ज्यादा समझने वालों को पहुँचा देते हैं।

ठण्डे दिलसे सोचिए और बताईए हुजूर अकरम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम का ये फरमाने आली शान क्या इस बात का सबूत नहीं है कि अहादीस को याद कर लेने रट लेने और उनकी गहराई तक पहुँचने में बड़ा फर्क है। अगर आपके दिल में जरा भी खौफे खुदा रह गया है तो हमारी पेशकर्दा इस हदीस को पढ़कर आप जरूर इकरार करेंगे के अहादीस को समझना हर शख्स के बस की बात नही और बिना अक्ल पर ज़ोर दिए ये बात भी वाजेह है की जो खुद नहीं समझ सकते वह यकीनन अहले इल्म व फिक्ह की तकलीद करेंगे। न के यूँ ही अन्धेरे में लाठी चलाएँगे? तअज्जुब की बात है की जमाअ़ते अहले हदीस का हर फर्द तो ख्वाह वोह दुकानदार हो या किसान खुद को मुहददिस, समझता है और माँ के पेट से मुज्तहिद पैदा होता है और सहाबी–ए–रसूल सय्यिदुना अबु मूसा अशअरी फरमाते हैं के मुझसे न मा'लूम करो बल्के जो मस्अला पूछना हो वोह इब्ने मस्ऊद से पूछो। (रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा)

हदीस 5: बुखारी व मुस्लिम से मरवी मिश्कात् शरीफ "किताबुल इल्म" पेज 32 पर हदीस है।

مَنْ يُرِدِاللهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِىْ

या'नी हुज़ूर पुरनूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम फरमाते हैं के अल्लाह तआला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है उसको दीन के मुआमले में तफक्क़ोह और सूझ बूझ अता फरमाता है और देता है खुदा लेकिन बाँटने वाला मैं हुँ।

ये हदीस भी खुले तौर पर बता रही है की दीनमें सूझ बूझ हर एक को नहीं मिलती बल्के वह खास नेअमते इलाहिया है जो अपने खास बन्दों को बवसीला नबी करीम सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम अता फरमाता है हर कस व नाकस को नहीं मिलती लेहाजा उनके लिए तक़लीद के सिवा चाराए कार नहीं।

एलावा अज़ीं चन्द अहादीस हमारे गुज़िश्ता जवाबात में गुज़र चुकी है ये आठ आयात और पाँच अहादीस राहे हक़ के मुतलाशी के लिए बहुत काफी हैं मज़ीद जरूरत समझी जाएगी तो पेश की जाएँगी।

सवाल : जब इमाम चार हैं और उन चार में से एक की तक़लीद करनी है और हम जाहिल हैं हमें क्या खबर कि उनमें से किसके मस्अले सही हैं और किसके ग़लत हम कैसे हनफ़ी, शाफेई बन जाएँ?

जवाब : चारों मजहब सही हैं। गलत कोई नहीं इस सवाल के जवाब में हम आपसे पूछते हैं के जंगे सिफफ़ीन में जो लोग हज़रत सय्यिदुना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के

साथ थे उन्हें ये इल्म कैसे हुआ के हज़रत अली हक़ पर हैं और जो हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे उन्हें हज़रत अमीर मुआविया के हक़ पर होने का इल्म कैसे हुआ और दोनों जानिब हज़ारों सहाबा–ए–किराम थे उन्हें आप क्या कहेंगे वह हक़ पर थे कि या बातिल पर? तो कौन हक़ पर और कौन बातिल पर?

बात दर असल ये है की ये सब तौफ़ीके इलाही से होता है दिल उसके दस्ते कुदरत में हैं जिधर चाहता है मोड़ देता है इस क़िस्म के सवालात करना आपकी बड़ी नादानी और फ़ितना सामानी है।

और फिर जब ये वाजेह किया जा चुका के चारों हक़ हैं और किसी एक को एख़्तेयार करना दुरूस्त है तो फिर इस तरह के सवालात बे महल बेजरूरत और बकवास हैं जिधर तबीअत माईल हो बेख़ौफ व ख़तर उस मज़हब को अपनाईये। अल्बत्ता मज़हब बदलने की इजाज़त नहीं कि कभी हनफ़ी और कभी शाफ़ेई क्यों कि ये मज़हब के साथ खिलवाड़ और मज़ाक है और फिर ये कि वह जिस मज़हब पर है हक़ पर है तो फिर दूसरे की तरफ इन्तेकाल की हाजत क्या है। हदीस शरीफ में इस मज़हबी तलव्वुन मिज़ाजी को मुनाफ़िक़ की पहचान फरमाया गया और ये हदीस अभी मअ हवाला अगे आरही है।

सवाल : अगर ये चारों मज़हब हक़ हैं तो एक मज़हब पर अ'मल करने से हक़ की तीन चौथाई हमसे छूट रही है।

जवाब : किसी बात को हक़ मानना और बात है और उस पर अ'मल करना और बात। मसलन आसमानी किताबें तौरैत, इन्जील और ज़बूर को हम हक़ मानते हैं। लेकिन आज हमारा उन पर अ'मल नहीं। अगर उन किताबों का "जैसी नाज़िल

हुई थी'' उसी (منزل من السماء) हालत पर कोई नुस्खा आप को मिल जाए तो उस पर आप अ'मल करेंगे या नहीं और जब उसपर अ'मल नहीं करेंगे तो क्या उसको नाहक़ और बातिल कहने की जुराअत करेंगे?

अजब नही के कल को आप ये कहने लगें के कुरआन व तौरैत, ज़बूर व इन्जील जब चारों हक़ हैं और खुदाए तआला के कलाम हैं तो फिर सिर्फ एक (कुरआन) पर अ'मल क्यों? इस तरह हक़ की तीन चौथाईयाँ हमसे छूट रही हैं लेहाजा चारो किताबों में नाज़िल शुदा अहकाम को अपनाया जाए।

शायद आप फरमाएँ के कुरआन के जरिए दूसरे अम्बियाए किराम पर नाजिल शुदा अहकाम व फरामीने इलाहिया मन्सूख हो गए तो हम कहते हैं के वोह नाहक़ बातिल और मुआजल्लाह झूटे और ग़ैर आसमानी तो नहीं हो गए?

अल्हासिल बिला तश्बीह महज बतौरे तम्सील अर्ज कर रहा हुँ के जिस तरह कुरआने करीम के तशरीफ लाने और उस पर अ'मल लाजिम हो जाने से दूसरी आसमानी किताबों प्रर अ'मल मन्सूख हो गया इसी तरह किसी एक मुज्तहिद के मुक़ल्लिद के लिए दूसरे आईम्मा के मज़ाहिब बमन्ज़िला नस्ख हैं या'नी वह उन पर अ'मल नहीं कर सक्ता। अल्बत्ता ये फर्क जरूरी है कि वहाँ कुरआने करीम पर अ'मल मुतअय्यन है और उसके एलावा दूसरी राह इख्तेयार करना बातिल व ग़लत है या'नी वह राह ग़लत नहीं है बल्के उसको अपनाना और इख़तेयार करना बातिल व ग़लत है और यहाँ चारों में किसी एक का तअय्युन नहीं है कि सिर्फ उसीका मुक़ल्लिद रहे बल्के जिसकी चाहे तक़लीद करे हाँ जब किसी एक का हो जाए तो फिर इधर उधर जानवरों की तरह मुँह न मारे।

अब हम आपसे पूछते हैं कि एक शख्स जंगल या समन्दर में या किसी ऐसी जगह है की जहाँ उसके लिए नमाज़ में किब्ले का तअय्युन नहीं हो पा रहा है कि किधर मुँह करके नमाज़ पढ़े न कोई अलामत न कोई बताने वाला। अब वोह क्या करेगा?

अहले हदीस मौलवी तो शायद ये बताऐंगे के कभी इधर कभी उधर घूम घूम कर नमाज पढ़ता रहे और अगर उसने जहनी झुकाव की बिना पर किसी एक जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ी तो उससे पूछेंगे तुझे ये इल्म कैसे हुआ के किब्ला इधर है और चूँकी उसको इजाजत है कि अपने गुमान से जिधर चाहे मुँह करके नमाज पढ़े और हर चहार तरफ मुँह करने का हक है लेकिन पढ़ेगा एक ही जानिब तो अहले हदीस मौलवी एतेराज करेंगे के तूने हक की तीन चौथाई क्यों छोड़ दी। बल्के कभी इधर कभी उधर घूमता रहता और पूरा हक हाथ में लेता।

हदीसे पाक में है:

आमिर बिन रबिआ कहते हैं के हम हुजूर के साथ एक अन्धेरी रात में सफर कर रहे थे तो हम ना जान सके कि किब्ला किधर है तो हममें से हर एक ने जिधर जिसका मुँह पड़ा नमाज़ पढ़ ली जब सुब्ह हुई तो हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम से ये जिक्र किया गया तो कुरआने करीम की ये आयत नाज़िल हुई:

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

पूरब पश्चिम अल्लाह ही के लिए हैं तो तुम जिधर मुँह करो हर तरफ अल्लाह का जलवा है।

(जामे तिर्मिजी हिस्सा 2,अबवाबुत तफसीर पेज 120)

दारकुत्नी और हाकिम की रिवायत हज़रत जाबिर से युँ है।

हम सफर में थे आसमान में अन्धेरा था तो क़िब्ले के मुआमले में हम हैरान हुए तो जिसकी समझ में जैसा आया उसने उस रूख पर नमाज़ पढ़ी और हर एक ने जिस रूख पर नमाज़ पढ़ी वहाँ एक लाईन खींच दी जब सुब्ह हुआ तो पता चला के हमने किब्ला के रूख पर नमाज़ नहीं पढ़ी है। हुजूर से जब जिक्र किया गया तो आपने फरमाया तुम्हारी नमाज़ अदा हो गई।

(दारकुत्नी हिस्सा 1, पेज 381, फत्हुल क़दीर हिस्सा 1, पेज 278, मत्बुआ बरकाते रजा, पोरबन्दर)

तो जिस तरह ये ग़लत रूख पर इख़्तेलाफे जेहत के बावजूद सब नमाज़े हो गई यूँ ही चारों मस्लक फुरोई मसाईल में बावजूद इख्तेलाफ के हक दुरूस्त हैं और तो और ये देखिए आपकी जमाअत के बहुत पुराने ममदूह जनाब शैख इब्ने तैमिया साहब क्या लिख गए:

जिस शख्स ने किसी खास मज़हब का इल्तेज़ाम कर लिया फिर बग़ैर किसी शरई उज़्र या बग़ैर किसी दलीले मुरज्जिह के और किसी मज़हब के आलिम के फतवे पर अ'मल किया तो वोह शख्स अपनी ख्वाहिश का पैरूकार है एक हराम काम का इर्तेकाब कर रहा है।

(मज्मु' अलफतावा लिलशैख इब्ने तैमिया, हिस्सा 20, पेज 220–221 मत्बुआ बाअमर फहद बिन अब्दुल अजीज,सऊदी अरबिया)

मुरत्तिबे सवालात मौलवी मुहम्मद जूनागढ़ी तो मर गए लेकिन शायद हमारे इस बयान से उनके चेले चांटों और

सवालनामा शाए काने वाले अहले हदीसों की आँखें कुछ खुलें।

إنّ الله يهدى مَن يَّشاء الى صراط مستقيم.

खुलासा ये के चारों मज़ाहिब का हक़ और उन पर अ'मल जाईज़ होना على سبيل الانفراد والتبدل है ना कि على سبيل الجمع या'नी हर शख़्स जिसका चाहे उसका मुक़ल्लिद बने न कि सबको अपनाए मसलन किसी औरत को दस लोगों ने निकाह का पैग़ाम दिया और उसको सबसे निकाह करने का हक़ है और सबसे निकाह उसके लिए जाईज़ है जिससे चाहे कर ले तो उन सब से जाईज़ होने और सबके पैग़ाम क़ुबूल करने का मतलब ये है कि अलग अलग जिस किसी एक की चाहे बीवी बन जाए ना कि ये मतलब है की सबकी जोरू बयक वक़्त बनकर बैठ जाए अहले हदीस मौलवी उसको ये मशवरा देंगे के सबकी जोरू बने अगर सिर्फ एक की रहेगी तो हक़ के 9 हिस्से हाथ से छूट जाएँगे। क्योंकि हर एक निकाह करने का उसको हक़ हासिल है।

सवाल : ये जाहिर है की चारों मजहबों में हलाल व हराम का फर्क़ है फिर उन चारों को बरहक़ मानने और कहने के क्या मा'नी। एक ही चीज़ को एक कहे हराम हम कहें सच है और दूसरा हलाल कहे और हम कहें सच है क्या अंधेर है उसे जरा तफरील से समझाया जाए वरना दामने तक़लीद हमारे हाथ से छूट जाएगा।

जवाब : जो हराम व हलाल कुरआने करीम और अहादिसे मुबारिका से सराहतन साफ़ तौर साबित है उनमें हरगिज़ इख़्तेलाफ नहीं कि एक ने हराम कहा और दूसरे ने हलाल। मसलन जुआ खेलना, शराब पीना, सुअर और मुरदार खाना,

क़त्ले मो'मिन, सूद लेना, ज़िना करना, झूट ग़ीबत वग़ैरहा उमूर को हरगिज़ किसी इमाम ने हलाल नहीं कहा सबने हराम ही फरमाया।

और नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना, गाए, बकरी, भेड़, ऊँट का गोश्त खाना, सच बोलना, माँ बाप की खिदमत वग़ैरहा उमूरे कसीरा को कोई हराम नहीं कहता। बल्के सबके नज़दीक ये उमूरे खैर हैं बल्के उनमें से अक्सर फर्ज व वाजिब हैं जिनको छोड़ना हराम है।

अल्बत्ता वह उमूर जिनका हराम व हलाल होना कुरआन व हदीस में सराहतन वाजेह अन्दाज़ में मजकूर नहीं। या उनके बारे में हदीसें दोनों तरह की पहुँची। या कुरआन व हदीस में कोई ऐसा लफ्ज आया के जिसके कई मा'ना हो सक्ते हैं वग़ैरहा इस तरह के असबाब पाए गए तो फुकहा–ए–किराम और आईम्मा–ए–इज़ाम को ग़ौर व खौज करना पड़ा और कुरआन व हदीस की रौशनी में सोच व बिचार उन्होंने किया तो नतीजतन कहीं कहीं इख्तेलाफ भी हो गया और जाहिर है कि जिन उमूर में ग़ौर व खौज और राय को भी दखल हो। उनमें इख्तेलाफ का होजाना यक़ीनी है। क्योंकि इन्सानी अक़्लें सब एक जैसी नहीं होतीं। और जब वह मसाईल कुरआन व हदीस में सराहतन मजकूर नहीं तो उनमें उम्मत के अहले इल्म व फजल और ज़माना–ए–रिसालत से कुर्ब रखने वालों को ग़ौर व खौज करने का हक़ भी समझ वालों के लिए काबिले कुबूल है।

मिसाल के तौरपर सूद से मुत'अल्लिक अहादीस में सिर्फ छः चीज़ों का जिक्र है, सोना, चाँदी, गेहुँ, जौ, खुजूर, नमक या'नी हुजूर नबी करीम सलल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से सिर्फ उन छः चीज़ों में ही सूद का हराम होना साबित है, बाकी

किसी चीज़ का ज़िक्र हदीस में नहीं। और कुरआने करीम में तो बग़ैर किसी तफ़सील के सिर्फ खाने की बुराई और उसकी मुमानेअत आई है।

सूद किसे कहते हैं? इसकी हक़ीक़त क्या है? और किस हाल में सूद है? और किसमें नहीं इसका कुरआने करीम में बज़ाहिर कोई ज़िक्र नहीं और हदीस में है तो मज़कूर सिर्फ छः चीज़ों के एलावा किसी हाल में लेनदेन सूद ना रहे। मसलन ताँबा, पीतल, गिल्टी, स्टील, लोहा, अलयुमिनियम वग़ैरह किसी भी धात में सिवाए सोने और चाँदी के, बादाम, मुनक्का, अखरोट, काजु, पिस्ता और चलग़ूज़ा, या'नी छुवारे और खुजूर के एलावा तमाम मग़ज़ियात में और जुवार–बाजरा, चावल, मक्का, उड़द, मसूर, चना, मटर, वग़ैरह गेहुँ और जौ को छोड़कर तमाम अनाजों में सेब, सन्तरा, आम केला, अमरूद, अनार वग़ैरह किसी फल में लौंग, इलायची, लहसन, प्याज वग़ैरह तमाम अश्या में घटा बढ़ा कर उधार नक़द लेनदेन सब जाईज़ व हलाल हो जाए और सिवाए उन छः चीज़ों के किसी अनाज फल, मसाले ग़र्ज कि किसी भी चीज में सूद न रहे।

यहाँ तक के आजकल जो काग़ज़ का नोट है उसमें घटा बढ़ाकर लेना सूद ना रहे। पूरी जमाअत अहले हदीस मुनकेरीने आईम्मा व तक़लीद में से किसी के बस की बात होतो सोना, चाँदी, गेहुँ, जौ, खजूर और नमक के एलावा किसी भी चीज़ में यहाँ तक के काग़ज़ के नोटो के लेन देन मे सिर्फ कुरआन व हदीस से सूद होना साबित करे।

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

और ये बात नेहायत बईद अज़ अक़्ल और इस्लाम जैसे हिकमतों वाले मज़हब के मिज़ाज से दूर है कि सिर्फ इन छः

अश्या में सूद हराम हो और बाकी में नहीं गेहुँ में सूद हो और चावल में नहीं, जौव में हो और मटर, चना उड़द, मसूर में नहीं। नमक में हो और शकर में नहीं। छुवारे, खजूर में हो और बादाम, मुन्कके में नहीं। ये किस क़दर बईद अज़ अक़्ल व क़यास और इस्लाम पर काबिले ए'तेराज बात है। लेहाजा आईम्मा–ए–मुज्तहेदीन ने ग़ौर व खौज किया और क़यास फरमाया। हज़रत इमाम शाफेई रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया के हदीस शरीफ में जो सोने चाँदी का ज़िक्र है उससे मुराद सिर्फ सोना और चाँदी नहीं बल्के हर वोह चीज़ है जो सोने और चाँदी की तरह क़ीमत बनने की सलाहियत रखती हो क्योंकि सोने चाँदी से सिक्के बनाए जाते थे जो बतौर क़ीमत इस्ते'माल होते थे।

और गेहुँ, जौ, खजूर, और नमक से मुराद उनके यहाँ वोह सारी चीज़े हैं जो लोगों के खाने के काम में आती हैं ख्वाह दवा के तौर पर हों या गिजा के, या महज ज़ाइके के लिए या'नी "सूद होने का" उनके यहाँ सोने चाँदी में समनियत (क़ीमत बनना) है और बाक़ी चारों में मतऊम होना। या'नी खाने पीने की चीज़। और इमाम आ'जम अबु हनीफा रहमतुल्लाह अलैही के यहाँ सोने चाँदी में "सूद होने का" वज़न (तोला जाना) और बाकी चारों में कैल (नापा जाना) है।

या'नी इमाम आ'जम के नज़दीक सोने चाँदी से मुराद हर वह चीज़ है जो तोलकर बेची और खरीदी जाती है और गेहुँ, जौ, नमक और ख़जूर से मुराद हर वोह चीज़ है जो नाप कर बेची जाती है। (ख़्याल रहे की उस ज़माने में गल्ले और अनाज बर्तनों से नापकर बेचे और खरीदे जाते थे)

तो इमाम शाफेई के यहाँ लोहे, पीतल, ताँबे, में सूद नहीं क्योंकि ये अश्या न तो उरफन क़ीमत बनती हैं और ना खाने

पीने के काम में लाई जाती हैं लेकिन इमाम साहब के यहाँ उनमें भी सूद हो जाएगा। क्योंके ये वज़न करके बेची जाती हैं।

यूँ हीं अगर एक अंडे को दो अंडों के और एक बकरी को दो बकरियों के एवज नकद बेचे तो इमाम आ'जम के यहाँ ये हराम नहीं क्यों के अंडे और बकरी वग़ैरह ये चीज़ें नापतौल से नहीं बेची जातीं बल्के गिन्ती और शुमार से बेची और खरीदी जाती हैं। और इमाम शाफेई के यहाँ ये कमी बेशी सूद व हराम हो गई क्यों के अडे और बकरी मतऊमात से हैं या'नी खाई जाने वाली चीज़ें हैं।

على هذا القياس۔

इस तरह इख्तेलाफ की और भी सैकड़ों सूरतें बयान की जा सक्ती हैं लेकिन इख्तेसार के पेशे नज़र हम सिर्फ इतने ही पर इक्तेफा करते हैं।

नाजेरीन! समझ गए होंगे कि ये इख्तेलाफ हराम व हलाल के उन उमूर मे नहीं जिनका जिक्र वाजेह अन्दाज़ में कुरआन व हदीस में मौजूद हो, बल्के वहाँ है जहाँ हुक्म सराहतन कुरआन व हदीस में मज़कूर नहीं। और कुरआन व हदीस ही में ग़ौर व खौज किया गया और उसी ग़ौर व खौज के नतीजे में इख्तेलाफ भी वाक़ेअ हो गया और जब दोनों फरीक़ मुखलिस हैं और दोनों की नियत खैर है तो बावजूद इख्तेलाफ के दोनों हक पर हैं और दोनों ही इन्दल्लाह तआला अजर व सवाब पाने वाले। अब इस बारे में हम एक हदीस भी जिक्र कर दें जिसको पढ़कर जमाअत अहले हदीस की आँखें चौंधा जाएँ और अहले ईमान के दिल मुनव्वर व

रौशन हो जाएँ। सही बुखारी हिस्सा 2 बाब अजरि अलहाकिम पेज 1092 में है:

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطاء فله اجر۔

तर्जमा : हज़रत अम्र इब्न अलआस से मरवी है की हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब हाकिम इज्तेहाद से फैसला करे और सही फैसला कर दे तो उसके लिए दो अज्र हैं और जब इज्तेहाद से फैसला करे और उससे गलती हो जाए तो भी उसके लिए एक अज्र है।

इस हदीस को सामने रखकर बताएँ, मौलवीयाने अहले हदीस के आप तो फरमा रहे हैं कि हराम व हलाल का फर्क हो जाए तो दोनों हक़ कैसे हो सक्ते हैं और यहाँ तो हुजूर इज्तेहाद में ग़लती और खता करने वाले को भी अज्र व सवाब की खुशखबरी एनायत फरमा रहे हैं। ये ग़लती पर अज्र व सवाब की बशारत आपकी नाक़िस व क़ासिर खोपड़ी मै समाना शायद ना मुम्किन होगा।

बताईए! इस हदीस से दीन में इज्तेहाद करने नज़र व फिक्र ग़ौर व खौज करने और उसमें अगर खता भी हो जाए फिर भी उसके ऊपर अज्र व सवाब मिलने का सबूत हुआ या नहीं?

और चूँकी ये पैग़म्बरे इस्लाम अलैहिस सलात व वससलाम का फरमान है। हिन्दुस्तानी आईन की कोई दफा नहीं लेहाजा हाकिम से मुराद हाकिमे इस्लाम होंगे और वह सही मा'ना में अहले इल्म हैं बादशाहे इस्लाम अगर आलिम ना हो तो उसके लिए उलमा की इत्तेबा और उनके मुताबिक़ अहकाम सादिर करना जरूरी है।

और जो मसाईल कुरआन व हदीस में साफ तौर पर न मिल सकें उनमें ग़ौर व खौज करना भी हदीस ही से साबित है। मुलाहिजा फरमाईए:—

عَنْ مُعَاذ ابن جَبَل اِنْ رَسُولَ الله صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلّمْ بَعَثَهُ اِلىَ اليَمَن فَقَال كيْفَ تَقْضِى قَالَ اقْضِىْ بِمَا فِىْ كِتَابِ الله قَالَ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِى كِتَابِ الله قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلَ الله قَالَ اِنْ لَمْ تَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلَ الله قَالَ اَجْتَهِدُبِرَاْىْ قَالَ الحَمْدُ لِلّه الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلَ الله۔

हज़रत मुआज बिन जबल को हुजूर ने यमन का गवर्नर बना कर भेजा तो उनसे पूछा तुम कैसे फैसले करोगे कहा कुरआन से फरमाया कुरआन में ना मिले तो, अर्ज किया हुजूर की हदीसों से। फरमाया और अगर हदीस में भी ना मिले तो, अर्ज किया के जहन पर खूब ज़ोर देकर फैसला करूँगा। हुजूर ने फरमाया उस अल्लाह के लिए हम्द है जिसने अपने नबी के क़ासिद को सही रास्ते की तौफीक अता फरमाई।

(तिर्मिजी जि० 2,बाब माजाअ फी अलकाजी युसीब व यख्ती,पेज 159. मिश्कात,पेज 324)

और खुद कुरआने करीम में है खुदाए तआला फरमाता है

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَبْصَار۔ तर्जमा : इबरत लो ऐ आँख वालो।

(सूरहे हशर प० 28,, आयत 2)

इबरत के मा'ना यही तो हैं के एक चीज को देखकर ग़ौर व खौज करने के बा'द उस पर दूसरी को क़यास किया जाए। क़यास का सबूत इससे बढ़कर और किया होगा।

इस आयत के यही मा'ना अहले हदीस के धर्म गुरू शाह इस्माईल साहब देहलवी से भी मरवी हैं वह लिखते हैं:

अख़ीर दर्जा क़यास का है कि मुज्तहिदों ने अपने क़यास से فاعتبروا يا اولی الابصار के हुक्म के मुताबिक़ निकाला।

(तज़कीरुल अख़वान माअ तक़वियतुल ईमान फस्ले 6. पेज 232. मतबुआ मक्तबा थानवी देवबंद)

और फरमाईये हमसे आप सवाल कर रहे हैं के इख़्तेलाफ के बावजूद चारों हक पर कैसे होंगे लेकिन सहाब–ए–कराम में जो इख़्तेलाफ वाक़ेअ हुआ उसमें किसको हक पर कहेंगे और किसको बातिल पर? जैसे बुख़ारी और मुस्लिम शरीफ में है की हज़रत सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा तवाफ में रमल या'नी अकड़–अकड़ कर चलने को सुन्नत नहीं मानते थे बल्कि फरमाते थे कि हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने कुफ्फारे मक्का के सामने इज़्हारे कुव्वत के लिए फरमाया था और अब ना वहाँ मुश्रिक हैं और ना इस अ'मल की जरूरत है। और बाकी सहाबा–ए–किराम रमल को बाद में भी सुन्नत मानते हैं। और इस हुक्म को बाक़ी रखते हैं।

(मुस्लिम शरीफ जि0 1 पेज 411 बाबु इस्तेहबाब अलरमल फी तवाफ)

इस इख़्तेलाफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को मुआजल्लाह आप ग़लत मस्अला बताने वाला कहेंगे या दूसरे सहाबा–ए–किराम को या बावजूद इख़्तेलाफ के जम्हूर सहाबा के क़ौल पर अ'मल करके हर दो फरीक़ का एहतेराम करेंगे जो. आप का जवाब वही हमारा जवाब।

यही मशहूर मुफस्सिर व मुहद्दिस व फक़ीह सहाबिए रसूल सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो हुज़ूर रिसालत मआब के चचा ज़ाद भाई हैं जिनके फजाईल व मनाक़िब अहादीस व सीरत की किताबों में शुमार

से बाहर हैं उनके नज़दीक ये घरेलू और पालतू गधा हराम नहीं था। यानी वो उसके गोश्त खाने को हराम नहीं फरमाते थे। जब कि और तमाम सहाबा-ए-किराम उसे हराम कहते थे।

सही बुखारी में है:

अम्र बिन दीनार कहते हैं मैंने जाबिर इब्न जैद से कहा कि लोग समझते हैं के हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ने पालतु गधे का गोश्त हराम फरमा दिया है तो उन्होंने कहा के हकम बिन अम्र अलगिफारी हमसे बस्रा में ये बात बयान करते थे وَلٰكِنْ اَبٰى ذٰلِكَ الْبَحْرُ اِبْنُ عَبَّاسٍ लेकिन वह जो इल्म का समन्दर हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो इस बात से इन्कार करते हैं।

(बुखारी शरीफ जि0 2 बाबु लुहुमुल हुमरिल इन्स्यति पेज 830)

यहाँ ये बात भी काबिले ग़ौर है की इस इख्तेलाफ के बावजूद हदीस केरावी उन्हें इल्म का समन्दर कह रहे हैं। इसी मफहूम की अहादीस की शरह करते हुए शारेह मुस्लिम हजरात इमाम नववी लिखते हैं:-

गधे के बारे में इख्तेलाफ है जम्हूर सहाबा व ताबेईन और बाद वाले लोग उसे हराम कहते हैं

وقال ابن عباس ليست بحرام وعن مالك ثلث روايات الخ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उसे हराम नहीं कहते और हज़रत इमाम मालिक से तीन तरह की रिवायात हैं एक मक्रूह होने की और दूसरी हराम होने की और तीसरी हलाल होने की।
(शरहे सही मुस्लिम हिस्सा 2, पेज 149)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जिन हदीसों में गधा खाने से हुजूर ने मना फरमाया है उनकी तौजीह में फरमाते थे के गधों से सामान ढोने का काम लिया जाता था। लेहाजा इस लिए मना फरमाया के अगर वोह खाए जाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी।

बुखारी शरीफ जि02 बाब कौलिल्लाही अज्जवजल वला तन्किहू लिमुश्रिकाति हत्ता यु'मिन्न के तहत एक हदीस में हज़रत सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का किताबिया औरतों से निकाह के मस्अले में इख्तेलाफ मरवी व मज़कूर है या'नी उनके नज़दीक नसरानिया और यहूदिया औरत से निकाह जाईज़ ना था जबके बाकी सहाबा–ए–किराम जाईज़ कहते थे और बहुत से सहाबा ने उनसे निकाह किए भी थे।

एलावा अज़ीं हज़रत उमर फारूक़ आ'जम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख्याल है के तय्यम्मुम सिर्फ बे वुजू के लिए है जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसके लिए तय्यम्मुम नहीं और बाकी सहाबा "हर दो सूरतों में तय्यम्मुम मानते थे यहाँ तक के इस इख्तेलाफ से मुताअल्लिक हंदीस शरीफ में हज़रत अबु मूसा अश्अरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद का मुनाजिरा भी मरवी है। हवाले के तौर पर देखिए।

(मुस्लिम शरीफ, पेज 161, बाब अलतय्यामुम)

हज़रत उमर फारूक़ और हज़रत अम्मार बिन यासिर के दरमियान इस मस्अले में बहस व गुफतगु वाली हदीस भी इसी मक़ाम पर देखी जा सकती है।

अब बताईए! कि आप इन हजरात में से किसी को मुआजल्लाह बातिल परस्त और ग़लती पर कहने की हिम्मत करेंगे या इख्तेलाफ होने के बावजूद एक पर अ'मल। लेकिन दोनों फरीक़ैन की बुजुर्गी व बर्तरी तसलीम करेंगे।

मज़ीद देखिए बुखारी शरीफ हिस्सा 1, पेज 171 और 172 पर हज़रत सय्यिदुना आईशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा और सय्यिदुना उमर फारूक़ रज़ियल्लाहो तआला अन्ह के दरमियान ता'जीब मय्यत बु बूकाए अहलिही से मुताअल्लिक़ इख्तेलाफ मशहूर मजकूर है। अमीरूल मो'मेनीन फरमाते थे के घर वालों के रोने से मय्यत पर अज़ाब होता है और उम्मुल मो'मेनीन इसके खिलाफ थीं के घर वालों के रोने पीटने से मय्यत के अजाब का कोई ताअल्लुक़ नहीं है।

अब कहिए इस्लाम की उन दोनों अजीम तरीन शखसिय्यतों में से आप किसको ग़लत कहेंगे और किसको सही। किसको हक़ परस्त कहेंगे और किसको बातिल परस्त?

औरत को पक्की तलाक़ देने के बाद शौहर पर उसका नान नफ़क़ा इद्दत के अन्दर है या नहीं इस बारे में एक सहाबिया खातून सय्येदतुना फातमा बिन्ते क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इख्तेलाफ दिगर सहाबा और सहाबियात से सही मुस्लिम हिस्सा 1, पेज 485 पर मजकूर है।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के दरमियान तशहहुद (अत्तहय्यात) का इखतेलाफ किसे मा'लूम नहीं है हदीस की तक़रीबन सारी किताबों में मनकूल है।

गर्ज़ के इस क़िस्म के बहुत सारे इखतेलाफात सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान

मौजूद थे जो कुतुबे अहादीस में देखे जा सक्ते हैं। बावजूद इन इख्तेलाफात के अ'मल तो अगर्चे सब पर नहीं किया गया न सब पर हो सक्ता है। लेकिन किसी सहाबी रसूल को बातिल परस्त नाइक़ और ग़लत राह पर नहीं कहा जाता और ना ही उन पर लाअ़न ताअ़न जाईज़ ये खुली गुम्राही और बदमज़हबी व बद्दीनी है।

इसी तरह आईम्मा अरबआ में किसी एक की तक़लीद का ये मतलब हरगिज नहीं के बाक़ी बातिल व ग़लत और झूठे है अ'मल ख्वाह किसी पर हो लेकिन हक़ सबको जानना लाज़िम जरूरी है।

यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है की ये इख्तेलाफ व इज्तेहाद का हक़ हर कस व नाकस को नहीं उसी को है जो मुजतहिद हो और ये सहाबा मुजतहिद थें।

ये सब हम वाजेह कर चुके हैं या'नी जो इतना इल्म रखता हो के कुरआन व हदीस से मसाईल अख्ज कर सके उसको तक़लीद की जरूरत नहीं और उसके लिए कितना इल्म चाहिए उसकी तफसील तो किताबों में देखिए।

मसलन("अलफजल अलमौहबी") आ'ला हज़रत रजियल्ला तआला अन्हु की तस्नीफ और "अक़दुल जीद" शाह वलि अल्लाह साहब कुदसरहु की तस्नीफ वग़ैरहा यहाँ सिर्फ इतना सुन लीजिए के इस क़दर इल्म वाला गुजिश्ता एक हज़ार साल से कोई नहीं।

मतलब ये है की जो लोग तबीबे हाजिक और माहिर हकीम व डाक्टर हैं उनके लिए दवाएँ काफी हैं उन्हें किसी और हक़ीम की इत्तेबा की जरूरत नहीं। और जो हकीम व डाक्टर नहीं उसे दवाओं की भी ज़रूरत है और हकीमों डाक्टरों की भी

लिहाजा जो अलल इतलाक़ मुजतहिद मुस्तकिल है उसके लिए कुरआन व हदीस काफी है उसको दूसरे मुजतहिद की जरूरत नहीं। और जो मुज्तहिद नहीं उसके लिये कुरआन हदीस काफी नहीं किसी मुज्तहिद की तकलीद भी ज़रूरी है।

सवाल : जब हमारे नज़दीक चारों मज़हब हक़ हैं फिर अहले हदीस जो एक बरहक़ मज़हब के मुताबिक़ आमीन,रफ़अ यदैन और सूरह फातिहा बजा लाते हैं उन पर ताअन व तश्नीअ क्यों की जाए?

जवाब : अहले हदीस को बदमज़हब व गुम्राह व बद्दीन कहना और उन पर ताअन व तशनीअ करना सिर्फ इसलिए नहीं के वोह आमीन व रफ़अ यदैन वाले हैं बल्के वोह मुकल्लेदीन को बिदअ'ती व गुम्राह यहाँ तक के मुश्रिक तक कहते हैं। हवाले के लिए देखिए जमाअत अहले हदीसके इमाम व पेशवा मियाँ नजीर हुसैन देहलवी की किताब "मे'यारुल हक़-बहस तलफीक़" पेज 183।

और अहले हदीस तो किसी एक मज़हब में न रह कर आज़ाद खयाली और आवारा गर्दी, मनमानी को मज़हब बनाए हुए हैं।

हदीस शरीफ में हुजूर ने खुद ऐसे लोगों को मुनाफिक फरमाया है। सरकार फरमाते हैं।

मुनाफिक़ की मिसाल उस गर्भ बकरी की तरह है जो दो बकरों के दरमियान चक्कर लगाए कभी उस बकरे के पास पहुँच जाए और कभी उस बकरे के पास।

(मिशकात् शरीफ, बाब अलकबाइर, पेज 17)

और तक़लीद पर चूँकी इज्माअए उम्मत हो चुका जैसा के शाह वलि अल्लाह साहब के हवाले से हम पिछले सवालात के

जवाबात में कलमबन्द कर चुके। और इज्माअए उम्मत का मुन्किर गुम्राह है हदीस के जरिए हम पहले भी नकल कर चुके हैं फिर याद दिलादें। सरकार फरमाते है:

छोटी छोटी टुक्ड़ियों से बचो और बड़े गिरोह के साथ रहो।
(मिशकात शरीफ, पेज 30)

और फरमाते है– बड़े गिरोह की पैरवी करो जो अलग चलेगा वोह जहन्नम में अलग करके ठूँसा जाएगा।

(मिशकात शरीफ, पेज 31)

चारों आईम्मा के मुक़ल्लेदीन अगर्चे मसाइले फरोइय्या इज्तेहादिया मे इख़्तेलाफ रखते हैं लेकिन बाहम एक दूसरे को बुरा नहीं कहते ना किसी इमाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और गैर मुकल्लेदीन हर इमाम के मुक़ल्लिद को गुम्राह कहते हैं। वरना उन्हें तक़लीद पर ए'तेराज और उससे मुताअल्लिक सवालात शाए करने की जरूरत क्यों दरपेश आई। बल्कि इसी किताबचे (जिसका ये जवाब लिखा जा रहा है) मे पेज 4 पर तकलीद को पलीद कहा गया है और जाहिर है की पूरी उम्मते मुसलेमा आज मुक़ल्लिद है तो सारी उम्मते मोहम्मदिया على صاحبها الصلوٰة والسلام तो मुआजल्लाह पलीद नहीं हो सकती उन्हें पलीद कहने वाले ही यक़ीनन पलीद हैं।

एलावा अज़ीं ग़ैर मुक़ल्लिदीने ज़माना, शैख मुहम्मद इब्न अब्दुल वह्हाब नजदी के पैरू हैं और वहाबी हैं। मौलवी इस्माईल दहलवी की "तक़वियतुल ईमान" पर कुरआन से ज़्यादा अकीदा रखते हैं जबके इस किताब में रसूले खुदा सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम और आपकी उम्मत मुबारका के बजुर्गों की शान मे सरीह गालियाँ लिखी गई हैं जिस पर सारी दुनियाए इस्लाम में हलचल मच गई है लेकिन

फिरका–ए–गैर मुक़ल्लेदीन अहले हदीस अब भी उसे अपनाए हुए है।

जरूरत पड़ने पर हम "تقویۃ الایمان" की गुस्ताखी आमेज़ कुफ्री इबारतें मअ हवालाजात नक़ल करेंगे। इस मौक़े पर सिर्फ इसी पर इक्तेफा करते हैं के आ'लाहज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान साहब ने "تقویۃ الایمان" से मौलवी इस्माईल देहलवी के जो कुफ्रियात शुमार कराए हैं और "الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیۃ" किताब लिखी है उसका जवाब एक सदी गुज़रने के बावजूद गैर मुक़ल्लेदीन ने आज तक क्यों नही दिया और बसकी बात है तो अब उसका जवाब शाएअ करे।

खुलासा ये के चारों आईम्मा के मुक़ल्लेदीन में जो इख़तेलाफ है वह मसाईल में है और फरोई. इसी लिए कोई किसी पर लअन. तअन नहीं करता सब अहले हक़ व सदाक़त है। और गैर मुक़ल्लिदीन से जो इख़्तिलाफ़ है वह अक़ाइद में है और उसूली ये ऐसा ही है जैसे एक बेअदब गुस्ताख दरीदा दहन, दुशनाम तराज़, ज़बान दराज़ और दूसरा बाअदब आशिक़ अक़ीदतमन्द ज़बान को क़ाबु में रखने वाला।

पहले इख़तेलाफ की मिसाल वह हदीस है जो मअ हवाला हमं बयान कर चुके हैं। या'नी बनु कुरैज़ा पर हमले के वक़्त सहाबा–ए–किराम का अस्र की नमाज़ के मुआमले में मुखतलिफ हो जाना कुछ का रास्ते में और कुछ का वहाँ पहुँच कर पढ़ना और हुजूर का दोनों को पसन्द फरमाना और वोह भी बुखारी शरीफ की हदीस जिसमें है की सरकार ने फरमाया के हाकिम अपने फैसले में ग़ल्ती पर हो तब भी उसके लिए अज्र है। और दूसरे इख़तेलाफ की मिसाल हुजूर का वोह फरमान है जिसमें फरमाते हैं

"जब तुम किसी एक की इत्तेबा पर मुत्तफिक हो जाओ और कोई शख्स तुम्हारी लाठी को चीरना चाहे तो उसको क़त्ल कर दो। (मिशकात् शरीफ, किताबुल इमारा, पेज 320)

सवाल : चारों इमाम इमामत की हैसियत से दुनिया में आए इससे पहले दुनिया मे सौ साल गुजर चुके थे ना ये इमाम थे ना ये मुकल्लिद? तो उस वक़्त के मुसलमान मुसलमान भी थे या ना और मुसलमान थे तो पूरे या अधूरे क्यों के तक़लीद तो उस वक्त थी ही नहीं बल्के वह इमाम भी ना थे जिनकी तकलीद शुरू हो गई। अगर बावजूद तकलीद ना करने के वोह लोग मुसलमान थे और कामिल मुसलमान थे तो आज इस्लाम का कौनसा रूप मारा जा रहा है। जो तकलीद की जरूरत पेश आई।

जवाब : तक़लीदे शख्सी शरई इस्तेलाहि जो दूसरी सदी के करीब राईज हुई उसकी तो उन लोगों को जरूरत ही ना थी जब जरूरत दरपेश आई तब ये राईज हुई।

अल्बत्ता दौरे सहाबा–ए–किराम और ताबेईन में भी हर शख्स मनमानी नही करता था। ना अज़ खुद कुरआन व हदीस से मसाईल का इस्तम्बात करता था बल्के उनमें जो अकाबिर व मशाईख व मुज्तहेदीन थे उनसे मसाईल दरियाफ्त करने और उनकी पैरवी करने का रेवाज था। सहाबा–ए–किराम में चारों खुलफा–ए–किराम और अब्दुल्लाह इब्न मस्ऊद, हज़रत अबु मूसा अश्अरी, हज़रत मुआज बिन जबल, हज़रत उबैय बिन कअब, हज़रत ज़ैद बिन साबित हज़रत आईशा सिददीका, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर वग़ैरहम मुज्तहेदीन थे और लोग मसाईल में इन हजरात की तरफ रूजु करते थे।

कुतुबे अहादीस में हज़रत अबु मूसा अश्अरी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु का ये फरमान मजकूर है:

لاتسئلونی مادام هذا الحبر فیکم

या'नी हज़रत अबु मूसा अश्अरी ने फरमाया के मुझसे मसाईल ना पूछो जब तक ये इल्म का बहरे ना पैदे किनार (बहुत बड़ा समन्दर) या'नी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद तुम में मौजूद हैं। (मिश्कात शरीफ, बाबुल फराईज, पेज 264)

हज़रत अबु मूसा अश्अरी के इस फरमान से तो तक़लीदे शख्सी की ताईद होती है की वह सबसे पूछने के लिए नहीं फ़रमाते बल्के सिर्फ और सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद की तकलीद का हुक्म देते हैं गोया के उस दौरे मुबारक में बल्के तक़लीद का मुतलक़न इन्कार ग़लती है, नादानी है।

और उस दौर के बाद ताबेईन के ज़माने में भी मसाईल के मुआमले में बे लगामी ना थी बल्के कुछ अरबाब इल्म व फजल थे जो मरजेअ खलाईक बने हुए थे उनसे मसाईल दरियाफ्त किए जाते और अपनी शरई जरूरतों के वक़्त उनकी तरफ रूजुअ किया जाता था।

शाह वलि उल्लाह साहब देहल्वी फरमाते हैं:

فعند ذلک صار لکل عالم من علماء التابعین مذهب فانتصب الی کل بلدامام الخ۔

इस तरह उलमा ताबेईन में से हर आलिम का अपनी तौजीह के मुताबिक अलैहीदा मस्लक हो गया और इस तरह हर इलाके में एक इमाम बन गया जैसे सईद बिन अलमुसय्यिब और सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर उनके बाद ज़हरी और

क़ाजी यहया बिन सईद और रबिया बिन अबि अब्दुलरहमान मदीना तय्यबा मे इमाम हुए।

अता बिन अबी रोबाह मक्का मुअज्जमा में इब्राहीम अन्नरवई और शुअबी कूफा में हसन बसरी बसरा में, ताऊस बिन कैसान यमन में, मकहूल शाम में इमाम बने। रजि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन।

(अल इन्साफ फी बयाने सबबे इख्तेलाफ पै06)

अल्बत्ता चूँकी वह लोग मुखलिस दीनदार खुदाए तआला से डरने वाले नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहने वाले थे। लेहाजा उनके लिए तक़लीद की इतनी सख्त जरूरत ना थी जो बाद में पेश आई और इस दौर में आम तौर से तक़लीदे शरई इस्तेलाहि का ना रेवाज था और ना वह अलल इतलाक शरअन कोई अम्रे वाजिब था। ना उसकी जरूरत थी।

बाद में जैसे जैसे ज़मानए पाक रिसालत मआब से दूरी की वजह से उसकी बरकतें कम होती चली गई लोगों में आजाद ख्याली बे राह रवी ख्वाहिशाते नफसानिया की पैरवी, इखलास में कमी पाई जाने लगी। अवाम का इल्मी मे'यार पहले के मुकबले घट गया। तो तक़लीद की जरूरत भी ज़्यादा महसूस की गई और आखिर कार दो सदी के बाद किसी ना किसी इमाम की तक़लीद अवाम पर वाजिब क़रार दी गई।

हज़रत शाह वलि अल्लाह साहब मुहददिस देहलवी अपनी मशहूर किताब" حجۃ اللہ البالغۃ " में फरमाते हैं।

ان هذه المذاهب الاربعۃ المدونۃ المحررة قد اجتمعت الامۃ او من يعتد بها منها على جواز تقليد ها الى يومنا هذا وفى ذالک من المصالح مالا يخفى لا سيما فى هذه الايام .الخ

बेशक चारों मज़ाहिब जो तरतीब व तहरीर शुदा हैं सारी उम्मत और उसके क़बिले शुमार लोग इन मज़हबों की तक़लीद जाईज़ होने पर हमारे ज़माने तक सब मुत्तफिक हैं और इस तक़लीद में बड़ी हिकमतें हैं खास कर इस दौर मे जो इल्म हासिल करने के मुआमले में हौसले और हिम्मत की कमी और ख्वाहिशाते नफसानी की पैरवी का दौर है और हर राय वाले को अपनी ही राय पसन्द आ रही है।

(हुज्जतुल्लाहिल बालेग़ा हि0 1, पेज 154, मतबा कुतुब खाना रशीदया देहली)

यहाँ हम नाजेरीन को ये भी बता दें के यही शाह वली अल्लाह साहब हैं के जमाअत अहले हदीस के उलमा भी इनकी ता'रीफ व तौसीफ करते हैं और इनकी किताबों से सनद लाते हैं। उनकी एक किताब "अल इन्साफ फी बयाने सबबे इख़्तेलाफ" का उर्दू तर्जमा एक अहले हदीस फाजिल मौलवी मुहम्मद अब्दुल्लाह ने लिखा है जिसका नाम "फिक़्ही इखतेलाफ की अस्लियत" रखा है अहले हदीस के मक्तबा तर्जमान देहली से छप चुका है।

ये जवाब देने के बाद हम मुअतरिज साहब से पूछते हैं के जब दूसरी सदी के बाद अवामी जरूरत के पेश नज़र। तक़लीद वाजिब करार दी गई और दुनिया में तक़रीबन सभी अहले इस्लाम किसी ना किसी इमाम के मुक़ल्लिद होकर इस्लामी अहकाम पर अ'मल पैरा हो गए तो इन बारह सौ साल के मुसलमान मुसलमान रहे भी या नहीं?

और मुसलमान थे तो पूरे या अधूरे क्योंकि मुनकेरीने तक़लीद तो इस दौर में ऊमूमन थे नहीं। तो अगर बावजूद मुक़ल्लिद होने के वोह लोग मुसालमान थे और कामिल मुसलमान तो

अब इस्लाम का कौन सा रूप मारा जा रहा है जो तक़लीद के इन्कार की जरूरत पेश आई है?

सवाल : फराईज तो सब खुदा उतार चुका वही तो हुज़ूर सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम के बाद बन्द हो गई सौ साल बाद इमाम दुनिया में आए तो अब किस आस्मान से कौन सा फरिश्ता कौन सी वही लेकर आया जिससे सौ साल के बाद इन आईम्मा में से एक एक की तक़लीद फर्ज हुई। ये हनफि,शाफेई कुरआन व हदीस में इनका जिक्र कहाँ है?

जवाब : आयाते कुरआनिया और अहादीसे मुबारका से हम मुतलकन तक़लीद का सबूत तफसील से बयान कर चुके क्या सूरह फातिहा की ये आंयत मुबारका :

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦

"ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिनपर तेरा इनआम हुआ।" (सूरहे फातिहा प० 1 आ० 5–6)

से क्या ये साफ और वाजेह नहीं हो जाता के सीधा रास्ता चलने के लिए युँही अटक्ल बअ़ज़ी से काम नहीं चलेगा। बल्के कुछ खासाने खुदा बन्दगाने मौला मर्दान–ए–हक़ आगाह की रहनुमाई जरूरी है और उनको अपने पेशवा मुक़तदा और ईमाम बनाना होगा। रहा तक़लीदे शख़्सी शरई इस्तेलाहि का वजूब तो खयाल रहे की वाजिब का मुक़दमा भी वाजिब होता है या'नी जिसको किए बग़ैर किसी वाजिब पर अ'मल ना हो सके वोह खुद भी वाजिब होगा तो चूँकी शरिअ़ते इस्लामिया के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना हर मुसलमान पर निहायत ज़रूरी व लाज़िम है। और ज़मान–ए–रिसालत मआब से दूरी रखने वालों के लिए शरिअ़ते इस्लामिया को मुकम्मल तौर पर समझना और उस पर चलना बग़ैर तक़लीदे अईम्मा के मुम्किन

नहीं। जिस तरह उनके लिए शरिअते इस्लामिया लाज़िम व जरूरी है इसी तरह उस पर चलने के लिए तक़लीद अईम्मा भी लाज़िम व जरूरी है और वाजिब है।

आपका ये ए'तेराज ऐसा ही है जैसे किसी पर नमाज़ फर्ज हो और पानी भी दस्तेयाब है। मसलन कुवाँ भी है डोल और रस्सी भी हासिल कर सक्ता है और फिर भी मिट्टी से तय्यम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले और कोई जीहोश इससे ये कहे की तूने तय्यम्मुम क्यों किया। तेरे लिए रस्सी डोल हासिल करना कुवें से पानी खींचना फर्ज था तो वोह कहे कि वही तो हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के बाद बन्द हो गई तो कौन सा फरीश्ता कौन से आसमान से ये वही ले कर आया के रस्सी डोल हासिल करना और कुवें से पानी खींचना इस्लाम में फर्ज है।

या कोई शख्स बावजूद मालदार मुस्ततीअ होने के हज ना करे दौलत घर में लिए बैठा रहे और कोई कहे तो बोले के कौन सा फरीश्ता किस आसमान से वही लेकर आया या कुरआन में कहाँ लिखा है की हज कमेटी के दफ्तर से फार्म हासिल करो फिर उसकी खाना पुरी करो। टीका लगवाओ। बैंक डराफ्ट बनवाओ वग़ैरह इन सब उमूर की फर्जिय्यत और वजूब कहाँ से साबित है?

इन दो ही मिसालों से जमाअत अहले हदीस को आइने में अपनी सूरत नज़र आ जाएगी। (इन्शा अल्लाह तआला)

खुलासा ये है कि जो काम लाज़िम व जरूरी या फर्ज व वाजिब होता है तो उसके वोह मुक़दमात व तमहीदात जिनके बग़ैर वोह हो नहीं सक्ता वोह सब भी लाज़िम व जरूरी होंगे। ख्वाह वह तअ़यीन के साथ हो या बिला तअ़यीन।

इस मौके पर हम तकलीदे शख्सी जरूरी का मफ्हूम समझाने की खातिर अपने अवाम मुसलमान भाईयों के लिए एक मिसाल भी बयान करदें।

जो शख्स हरमे मुहतरम मक्का मुअज्जमा या उसके आस पास का रहने वाला है उस पर हज की फर्जिय्यत और उसकी अदाएगी के लिए सिवाए मा'मूली इस्तेताअत और थोड़ी सी जिस्मानी ताक़त के कुछ भी फर्ज व वाजिब नहीं। और जितनी दूरियाँ बढ़ती जाएँगी उतनी ही जरूरियात बढ़ती जाएँगी यहाँ तक के दूसरे मुल्क के बाशिन्दों के लिए फार्म, वीज़ा, पास्पोर्ट, टीका, और बैंक ड्राफ्ट वग़ैरहा बहुत सारे उमूर लाज़िम व जरूरी हैं। कि जिनपर हज की अदाएगी के लिए जाना मुनहसिर है।

उसी तरह जो लोग ज़माना–ए–पाक रिसालत मआब से एक दम करीब हैं उनको इताअते खुदा व रसूल के लिए सिवाए कुरआन व हदीस के वाकेई किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी और जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती गई जरूरतें भी बढ़ती गई। यहाँ तक के ग़ैर मुजतहिद के लिए किसी मुजतहिद की पैरवी लाजिम हो गई और फिर दूसरी सदी के बाद अईम्मा–ए–अरबआ में से किसी एक इमाम की तक़लीद जरूरी हो गई। शे'र

तेरे गुलामों का नक़्शे क़दम है राहे खुदा

वह क्या बहक सके जो ये सुराग ले के चले

और अब जो ना हनफी है ना शाफेई ना मालिकी और ना हम्बली वोह गुम्राह है वोह نولہ ما تولی का इन्तेजार करे और نصلہ جہنم के लिए तय्यार रहे और फिर ساءت مصیرا का अन्जाम देखे।

अब हम जमाअते अहले हदीस के दादा बुर्जुग्वार मौलाना शाह वलि अल्लाह साहब देहलवी की तस्नीफ "अलइन्साफ फी बयाने सबबे अलइख़तेलाफ" की एक इबारत नकल कर दें जिसके ज़रिआ शाह साहब के कलम से ही इस एतेराज का नेहायत उम्दा जवाब हो जाए फरमाते हैं:

فان قلت كيف يكون شيئ واحد غير واجب فى زمان واجبا فى زمان اخر مع ان الشرع واحد

قلت الواجب الاصلى هو ان يكون فى الامة من يعرف الاحكام الفرعية من ادلتها التفصيلية اجمع على ذالك اهل الحق و مقدمة الواجبة واجبة فاذا كان للواجب طرق متعددة وجب طريق من تلك الطرق من غير تعين واذا تعين له طريق من تلك وجب تلك الطريق بخصوصه كما اذا كان رجل فى مخمصة شديدة يخاف منه الهلاك وكان لرفع مخمصة طرق من شراء الطعام والتقاط الفواكه من الصحراء واصطياد مايتقوت به وجب تحصيل شيئ من هذه الطرق لا على التعين فاذا وقع فى مكان ليس هناك صيدو فواكه وجب عليه بذل المال فى شراء الطعام و كذالك كان لسلف طرق فى تحصيل هذا الواجب وكان الواجب تحصيل طريق من تلك الطرق لاعلى التعين ثم انسدت تلك الطرق الاطريق واحد فوجب ذلك الطريق بخصوصه وكان السلف لايكتبون الحديث ثم صاريو منا كتابة الحديث واجبة لانّ رواية الحديث لا سبيل لها اليوم الابمعرفة هذه الكتب وكان السلف لايشتغلون بالنحو واللغة وكان لسانهم عربيا لايحتاجون الى هذه الفنون ثم صاريومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة لبعد العهد عن العرب الاول وشواهد مانحن فيه كثيرة جدا وعلى هذا ينبغى ان القياس وجوب التقليد لامام بعينه.

तर्जमा : अगर कोई एं'तेराज करे कि ये कैसे हो सक्ता है कि एक वक़्त में कोई चीज़ वाजिब ना हो और दूसरे वक़्त में वही चीज़ वाजिब हो जाए हालांकि शरिअत एक ही है तो इसका जवाब ये है की अम्र वाजिब दरअसल ये है की उम्मत में कोई शख्स ऐसा होना चाहिए जो फरोई अहकामे शरिअत का इल्म उसके तफसीली दलाईल के साथ रखता हो इस बात पर सब अहले हक़ मुत्तफिक़ हैं और जिस पर कोई अम्र

वाजिब मौकूफ होता है वोह बात भी वाजिब होती है और जब अदाए वाजिब के मुतअददद तरीके हों तो उनमें से किसी एक तरीके को एखतेयार करना लाज़िम होगा उसके लिए किसी खास तरीके का तअय्युन लाज़िम नहीं और जब उसका एक ही तरीका हो तो खास वही तरीका लाज़िम होगा। जैसे के एक शख्स भूख की शिददत में मुब्तला हो और उसे हिलाक हो जाने का डर है (और जान बचाना वाजिब है) और भूक दूर करने के मुखतलिफ तरीके उसके बस में हों मस्लन खाना खरीद सक्ता है, जंगल से फल तोड़ सक्ता है और किसी हलाल जानवर का शिकार भी कर सक्ता है तो उसको जान बचाने के लिए बिला तअय्युन उनमें से किसी एक तरीके को शरअन एखतेयार करना वाजिब होगा, लेकिन वह किसी एक मकाम पर हो जहाँ न शिकार हो ना फल तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका या'नी माल खर्च करके खाना खरीदना वाजिब है (तो ये खाना खरीदना वाजिब नहीं लेकिन जान बचाने के लिए खरीदना वाजिब हो गया क्यों के जान बचाना वाजिब है)

इसी तरह अस्लाफ के पास वाजिबे अस्ली (या'नी) अहकामे शरअ से वाक्फियत हासिल करने) के और भी तरीके थे और उन तरीकों में से किसी एक का एखतेयार करना वाजिब था किसी खास तरीके का तअय्युन जरूरी ना था फिर जब सिवाए एक तरीके सारे तरीके खत्म हो गए तो यही मखसूस तरीका (या'नी तक़लीद) वाजिब रहा, चुनान्चे सल्फ में हदीसें नहीं लिखी जाती थीं लेकिन आज हदीसें लिखना वाजिब है क्योंकि आज कुतुबे अहादीस के सिवा हदीसों की रिवायत की और कोई सूरत नहीं इसी तरह अस्लाफ इल्मे नहव व लुगत हासिल ना करते थे, क्योंकि अरबी उनकी अपनी ज़बान थी और उन्हें उन उलूम में सर खपाने की जरूरत ना थी लेकिन

हमारे इस ज़माने में अरबी ज़बान का इल्म बाकाइदा हासिल करना वाजिब हो गया। क्योंकि पहले के अहले अरब का ज़माना बहुत दूर चला गया। इस तरह हमारे इस बयान की और भी बहुत सारी मिसालें हैं (या'नी जिस तरह नहव व लुगत व किताबते अहादीस और उनकी अस्नाद का हुसूल वाजिब है) उसीपर एक मुअय्यन इमाम की तक़लीद के वाजिब होने को भी कयास करना चाहिए। (अलइन्साफ फि बयाने सबबे इख़्तेलाफ, पेज 22, मकतबा ऐशिक टर्की)

हज़रत शाह वलि अल्लाह साहब का ये बयान लिखने के बाद हमें तक़लीदे शख्सी पर मजकूरा सवाल के जवाब में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। अल्बत्ता पलट कर उनसे एक सवाल हम भी करदें। मोतरिज साहब ये बताएँ हदीस का इल्म हासिल करने के लिये सिर्फ इल्मे अस्नादे हदीस व अहवाले रूवात और नहव सर्फ व लुग़त का सीखना वाजिब है या नहीं? अगर वाजिब नहीं है तो अहले हदीस के मदारिस में ये दाखिले निसाब क्यों है और अगर कहिए कि वाजिब है तो फराईज तो सब खुदा उतार चुका वही तो हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के बाद बन्द हो गई। तो अब कौन से आसमान से कौन सा फरीश्ता कौन सी वही (मुआजल्लाह) लेकर आया कि जिससे अस्नादे हदीस व अहवाले रूवात नहव सर्फ व लुग़त का सीखना वाजिब हो गया?

उल्झा है पावँ यार का जुल्फे दराज़ में

लो आप अपने दाम में सय्याद आ गया

सवाल : अहलेसुन्नत व जमाअ़त की क्या ता'रीफ है जबके मुक़ल्लिद ना सुन्नत से दलील ले सके ना जमाअ़ते सहाबा के इज्माअ़ से फिर उसको अहलेसुन्नत व जमाअ़त क्यों कहा जाए?

जवाब : एक हदीस शरीफ में है तुम पर मेरी और मेरे राह याब हिदायत याफ्ता जानशीनों की सुन्नत और उनका तरीका लाज़िम है और दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया के अल्लाह की मदद जमाअ़त के साथ है। तो पहली हदीस में वारिद लफ्ज सुन्नत और दूसरी का जमाअ़त मिलाकर अहलेसुन्नत व जमाअत लफ्ज बन गया गोया के अहलेसुन्नत वह जमाअ़त है जो नबी–ए–करीम अलैहिस सलातु वस्सलाम की नबुव्वत व रिसालत पर ईमान रखने के बाद आपके खुलफा और जानशीनों महबूबाने बारगाह को पेशवा और मुक्तदा मानती है और आपके तरीक़ए ज़िन्दगी को समझने के लिए अईम्मा–ए–किराम की तक़लीद भी करती है और मुकल्लिद सुन्नते रसूल तक ही पहुँचने के लिए अईम्मा–ए–किराम की तक़लीद करता है ना के दौलत मन्द अमीर व रईस व वज़ीर बनने के लिए लिहाजा आपका ये ए'तेराज बेकार है की मुक़ल्लिद सुन्नत से दलील नहीं ले सक्ता और ये सरासर आपका इल्ज़ाम और बुहतान है।

बताईए! कहाँ कौन सी किताब में किसने लिखा है मुक़ल्लिद के लिए मुतलकन सुन्नत से दलील पकड़ना मना है अल्बत्ता वह मसाईल व अहकामे फरोइया जो साफ और सरीह तौरपर कुरआन व हदीस में मजकूर नहीं उनमें आम आदमी सुन्नत से दलील कैसे लाएगा।

सवाल : क़यामत के दिन हम्दे इलाहि का झण्डा सिर्फ पैग़म्बरे खुदा सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम के हाथ में होगा या इन चारों इमामों के झण्डे अलग अलग लहलहा रहे होंगे। हौजे कौसर सिर्फ हुजूर सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम का ही होगा या चारों इमामो के भी होंगे अगर सिर्फ हुजूर ही के साथ है तो इधर उधर मुँह क्यों मारें।

जवाब : لواء الحمد या'नी हम्दे इलाहि का मख़सूस झण्डा तो अज़रूए हदीस यक़ीनन सरकार सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम ही के दस्ते पाक में होगा। लेकिन आप बताईए के चारों इमाम जिन्होंने उम्र भर इबादत व रियाजत दर्स व तदरीस और सरकार के दीनकी खिदमत की वह इस झण्डे के नीचे होंगे या नहीं? और जब वह इस झण्डे के नीचे होंगे तो जो इनके साथ होगा उनके दामनों से लिपटा होगा और उनके क़दमों में गिरा होगा वह भी इस झण्डे के नीचे आएगा नहीं?

यूँही हौज़े कौसर के मालिक तो बेशक हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम हैं लेकिन आप बताईए के हौजे कौसर के ये जाम इमामे अबु हनीफा,इमामे शाफेई,इमाम मालिक,इमामे अहमद बिन हम्बल को सरकार के दस्ते पाक से मिलेंगे या नहीं? और जब ये हजरात हौजे कौसर की तरफ बढ़ेंगे तो उनके मुक़ल्लेदीन व नाम लेवा उनके पीछे पीछे कतारों में चलेंगे तो क्या ये अपने जानिसारों को धक्के देकर भगाएँगे?

और बताईए मुक़्तदी इमाम के पीछे होते हैं या नहीं? उसमें तो कोई शक नहीं के मालिके हौजे कौसर सरकार हैं لواء الحمد يومئذ بيدى आपही के लिए ज़ेबा है लेकिन कुरआने करीम पारह 15, सूरह बनी इसराईल, की आयते करीमा 71 क्यों भूल गए जिसमें रब फरमाता है :

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ (پ ١٥ سوره بنى اسرائل، آيت ٧١)

या'नी रोज़े क़यामत हर गिरोह को हम उसके इमाम के साथ बुलाएँगे।

और कुरआने करीम ही से ये भी साबित है की अम्बियाए किराम के सदक़े में उनके उम्मतियों से सिद्दीक़ीन व शोहदा और सालेहीन या'नी खुदाए तआला के नेक बन्दे बरोज़े कयामत मवाक़ेअ रहमत व जन्नत में तन्हा नहीं होंगे बल्के अपने साथ कुछ औरों को भी लिए होंगे। देखिए रब फरमाता है :

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ ۶۹

"जो अल्लाह व रसूल का हुक्म माने तो उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया या'नी अम्बिया और सिद्दीक़ और शहीद और नेक लोग और ये क्या ही अच्छे साथी हैं।" (सूरह अलनिसा, पारह 5, आयत 69)

गोया कि वह अकेले जन्नत में न जायेंगे अपने साथियों को भी लेकर जायेंगे तो तय है की यक़ीनन शफाअत कुबरा का ताज आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सलल्लाहु तआला अलैही वसल्लम के सरे मुबारक पर सजाया जाएगा और हौजे कौसर और लेवाऊल हम्द के हक़दार बरोज़े क़यामत मालिक व मुखतार आप ही ठहराए जाएँगे लेकिन अहादीस से ये भी साबित है कि आपके सदक़े में आपकी उम्मत के कुछ मुबारक अफराद नुफूसे कुदसिया भी खल्क़े खुदा को राहत पहुँचाएँगे। रहमते इलाहि की बारिशों में गुस्ल कराएँगे, गुनाहों खताओं की नापाकी से छुटकारा दिलाएँगे। और अपनी शफाअत से जन्नत अता फरमाएँगे इन्शा अल्लाह तआला। मुलाहिजा फरमाईए चन्द अहादीस।

हदीस : बुखारी व मुस्लिम में है:

فَيَقُولُ اللهُ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ. الخ الحديث.

खुदाए तआला फरमाएगा (बरोज़े क़यामत) फरीश्ते भी शफाअत कर चुके अम्बिया भी और ईमान वाले भी अब सिर्फ अरहमुर्र राहेमीन बाक़ी रहा फिर अपने दस्ते कुदरत की एक मुट्ठी भर कर जहन्नम से निकालेगा।

(सही मुस्लिम हिस्सा 1,पेज 103 और मिशकात् शरीफ बाब अलहौज व अलशफाअत पेज 490)

और इसी हदीस में ये भी है की मो'मेनीन से फरमाया जाएगा: اخرجوا من عرفتم या'नी तुम जिसको पहचानते हो उसको दोज़ख से निकाल लो।

अब बताईए यहाँ तो हदीस में आम मो'मेनीन की शफाअत का ये हाल है फिर चारों इमामों खास कर सय्यिदुना इमाम अबु हनीफा जैसे कामिलुल ईमान जिन्होंने चालीस साल तक इशा के वजु से फजर की नमाज़ पढ़ी हो बरोज़े क़यामत उनकी फैजे रसानी, नफा बख्शी, और जन्नत नवाज़ी का क्या आलम होगा।

हदीस : तिर्मिजी, दारमी, और इब्ने माजा में है:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी जदआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है की मैंने हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम से सुना है की मेरी उम्मत के एक शख्स की शफाअत से इतने लोग जन्नत में जाएँगे जिनकी ता'दाद क़बीलाए बनु तमीम के अफराद से भी ज़्यादा होगी।" (मिशकात् शरीफ पेज 494, तिर्मिजी हिस्सा 2, पेज 67, बाब माजाआ फि अलशफाअत)

हदीस : मिशकात् शरीफ और इब्ने माजा में है:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةٌ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ۔

"सय्यिदुना ऊसमान ग़नी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी है की रसूलुल्लाह सलल्लाहु तआ़ला अलैह व सल्लम ने फरमाया। बरोजे कयामत तीन गिरोह शफाअत फरमाएँगे पहले अम्बिया फिर ओलमा फिर शहीद।

(इब्ने माजा पेज 330, बाब जिक्र अलशफाअत, मिशकात् शरीफ, पेज 494, बाब अलहौज वलशफाअत)

हदीस : तिर्मिजी शरीफ में है:

عَنْ اَبِیْ سَعِيْدِ الْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِیْ مَنْ يَّشْفَعُ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ۔

मेरी उम्मत के कुछ लोग कई जमाअ़तों की शफाअत करेंगे और कुछ एक कबीले की और कुछ चन्द लोगों की और कुछ सिर्फ एक शख्स की यहाँ तक के ये लोग उनकी शफाअत से जन्नत में जाएँगे। इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं ये हदीस हसन है।

(तिर्मिजी शरीफ, हिस्सा 2, पेज 67, बाब माजाआ फि अलशफाअत)

इन अहादीस के होते हुए कोई बिलकुल खुला गुम्राह ही होगा। जो बरोज़े क़यामत उम्मते मुहम्मदीया के उलमा व सुलहा व अईम्मा की शफाअत का मुतलकन इन्कार करे और ये बक्वास करे के हम्दे इलाहि का झण्डा तो हुजूर सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम के हाथ में होगा और मालिक हौजे

कौसर आप होंगे फिर हमें इधर उधर मूँह मारने की क्या जरूरत है। और ये भी जान लीजिए के हुजूर के जानशीनों की तक़लीद इधर उधर मूँह मारना नही बल्के हुजूर की ही इताअत इत्तेबा और पैरवी है। और हदीस शरीफ में नाम लेकर उलमा के लिए फरमा दिया गया के क़यामत के रोज तीन (3) गिरोह शफाअत फरमाएँगे। अम्बिया, उलमा और शोहदा तो अईम्मा-ए- अरबआ़ सय्यिदुना इमामे अबु हनीफा, इमामे मालिक, इमामे शाफेई, इमामे अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआ़ाला अन्हुम अजमईन तो ऐसे इल्म वाले हैं के लाखों उलमा को उनकी गुलामी पर फख्र है। खुलासा ये के आयाते कुरआनिया व अहादीसे मुस्तफविय्या से ये बात खूब वाजेह हो गई के बरोज़े क़यामत सरकारे दो आ़लम सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम का दरबार फैज आम तो सजा ही होगा। आपकी उम्मत के उलमा व सोलहा व शोहदा की करम फरमाईयों, बन्दा नवाज़ियों और गुलाम परवरी के जलवे भी क़ाबिले नजारा होंगे।

सवाल : अगर किसी मुक़ल्लिद के पास कोई सही हदीस पहुँचे और वोह उसके इमाम के क़ौल के खिलाफ होतो उसे क्या करना चाहिए और जो ये कह कर इस हदीस को टाल दे के ये मेरे मज़हब में नहीं वोह मुसलमान रहा या इस्लाम से खारिज हो गया।

जवाब : ये सवाल करने के साथ साथ ये भी बताना चाहिए था के आज उसे ये पता कैसे चलेगा के कौन सी हदीस सही है और कौन ग़ैर सही। ये पता करने के कौन कौन से रास्ते हैं उन सब की वजाहत करना भी आप पर लाज़िम है। हैरत है चौदह सौ कुछ साल हो गए पैगम्बरे इस्लाम अलैहिस सलाम के विसाले मुबारक को और उनकी हदीसों के सही व सक़ीम होने का फैसला अब होगा। आपको ये भी लिखना

चाहिए था के किस इमाम के मज़हब में कौन कौन से मस्अले किस किस सही हदीस के खिलाफ हैं? और हदीस के सही होने पर किसने मुहर लगाई है? और वह मुहर लगाने वाला उस इमाम के हम पल्ला और बराबर है या नहीं? और वह मजहबे इमाम के खिलाफ हदीस को सही कहने वाला इस इमाम से बाद में पैदा हुआ या पहले? और किन किन वजूह से हदीस सही हो जाती है और उन वजूह में से कुतुबे असूल में अ'मले अहले इल्म व इजतेहाद भी है कि नहीं? और इमाम तिर्मिजी ने जमा बैनल सलातैन के बयान में एक हदीस के रावी हनश बिन कैस को जईफ करार देकर और हदीस के जेअफ की तरफ इशारा करके ये जो फरमाया है कि والعمل على هذا عند اهل العلم

तर्जुमा: अहले इल्म का इस पर अमल है।

इसका क्या मतलब है? खुलासा–ए–कलाम ये के मुकल्लिद के लिए लाज़िम है कि वह अपने इमाम के मज़हब पर क़ाइम रहे क्योंकि वह उस इमाम से ज़्यादा हदीस के सही और ग़ैर सही होने को नहीं जानता। और जो कुछ जानेगा वह किसी मुहददिस की किताब में पढ़कर या किसी मौलवी की ज़बान से सुनकर तो वह बजाए अपने इमाम के उस मुहददिस या मौलवी का मुक़ल्लिद हो जाएगा। या'नी उसको उस पर ए'तेमाद और भरोसा करना पड़ेगा। तो फिर उसपर भरोसा करने के बजाए अपने इमाम ही पर क्यों ना भरोसा करे, ख्वाह मख्वाह इधर उधर मुहँ मारता फिरे और बअल्फाजे हदीस मुनाफिक कहलाएगा।

हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली फरमाते हैं

مخالفة المقلد متفق على كونه منكر أبين المحصلين

सारे बड़े बड़े इल्म वालों का इस बातपर इत्तेफाक़ है कि मुक़ल्लिद का अपने इमाम की मुखालिफत करना शरिअत के खिलाफ और बुरी बात है।

(अहयाऊल ऊलुम उद्दीन हिस्सा 2, कितावुल अम्र बिलमा'रूफ अलबाव अलसानी अर्कुन अलसानी, पेज 321,मत्बुआ सूरत)

और यही इमाम गज़ाली "कीमयाए सआदत" में यूँ लिखते हैं :

مخالفت کردن صاحب مذہب خویش نزد ہیچکس روانہ بود

यानी अपने इमाम की मुखालिफत करना किसी के नज़दीक जाईज़ नहीं है।

(कीमयाए सआदत अस्ल नहम, पेज 395, मत्बुआ तेहरान, व मुतर्जम उर्दू पेज, 429 मत्बुआ अदबी दुनिया मटिया महल देहली)

ये इमाम गज़ाली उन लोगों में से हैं जिनके इल्म व फजल पर उम्मते मुस्लेमा को नाज़ है।

और खुद शाह वलि अल्लाह साहब भी फरमा गए।

والمرجح عند الفقهاء ان العامی المنتسب الی مذهب له مذهبٌ فلا تجوز له مخالفته

अहले इल्म में ये बात तय हो चुकी के आम आदमी जो किसी मज़हब की तरफ मन्सूब है और उसका मुकल्लिद है उसके लिए उस मज़हब की मुखालिफत जाईज़ नहीं है।
(अक़्दुल जीद, पेज 52, बाब पाचवाँ मत्बुआ अस्ताम्बोल तुर्की)

ख्याल रहे कि किताबों की शक्ल में हदीस लिखने का काम बाज़ाब्ता तौर पर हुजूर सलल्लाहु तआला अलैही व सल्लम के विसाले मुबारक के दो सौ साल गुज़रने के बाद हुआ है। तो इस दो सौ साल के अर्से में कौन सी हदीस किस किस से

रिवायत होकर किसके पास पहुँची उस सबकी छान फटक अहले हदीस मौलवी बताएँ ये आज किसके बस की बात है और ये भी मा'लूम होना चाहिए के हदीस या नक़्ले हदीस या अस्माऊर्रिजाल की जितनी किताबें आज पाई जाती हैं और जिनको पढ़ पढ़ कर नामुक़ल्लेदीन सही व ग़ैर सही के फ़ैसले करते हैं, उन सबके मुसन्निफ़ें इमाम आ'जम अबु हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैही से कम अज़ कम सौ साल बाद के हैं।

मुअतरिज साहब साफ साफ बताएँ के किसी किताब में पढ़कर ये फ़ैसला करना कि ये हदीस ऐसी है और ये ऐसी ये इस किताब लिखने वाले पर ए'तेमाद ए'तेबार भरोसा और उसकी तक़लीद है या नहीं? मुक़ल्लेदीन से हर बात की दलील का मुतालबा कुरआन व हदीस से करने वाले और आईम्मा–ए–अरबआ की तक़लीद को कुरआन व हदीस के खिलाफ़ और हराम, यहाँ तक के शिर्क लिखने वाले बताएँ कौन सी आयत और किस हदीस में है की इमाम बुखारी और तिर्मिजी बल्के इमाम अहमद और इब्ने अहमद ज़हबी जिस हदीस की तसहीह व तजरीह कर दें वह वाक़ेअ में वैसी ही है?

कुरआन व हदीस में कहाँ आया है की जहबी व अस्क़लानी बल्के निसाई व इब्न अदी व दारकुत्नी, यहया बिन क़त्तान, यहया बिन मईन व शोअबा व इब्न मेहदी जो कुछ कह दें वही हक़ व दुरूस्त व सही है?

जब अहकाम व मसाईल में आपके नज़दीक इमाम आ'जम व इमाम शाफ़ेई व मालिक व अहमद बिन हम्बल नाक़ाबिले ए'तेबार हैं और उनकी मानना हराम है तो फिर हदीसों की

सेहत व जरह में उन मुसन्निफीन नाक़ेदीन, मुहद्देसीन की क्यों मानी है।

और मुहद्देसीन तो खुद ही मुकल्लेदीन थे तो उनकी लिखी किताबें तो आपको छूना भी नहीं चाहिए और उनके मुकल्लिद होने का इक़रार खुद आपके बड़े मौलाना साहब नवाब सिद्दीक हसन खाँ भोपाली ने भी किया है। आईम्मा शाफेइया की सिन्फ सानी या'नी जो सोहबत से मुशरर्फ ना हुए उनका जिक्र करते हैं:

واما الصنف الثانی فمنهم محمد بنْ ادریس الرازی محمد بن اسماعیل البخاری، ومحمد بن علی حکیم الرمذی۔

या'नी दूसरी क़िस्म के अईम्मा–ए–शाफे'या में से मुहम्मद बिन इदरीस राजी मुहम्मद बिन इसमाईल बुखारी और हकीम तिर्मिजी हैं।

(अब्जदुल ऊलुम, पेज 18)

और हजरत शाह वली अल्लाह साहब देहलवी फरमाते हैं:

ومن هذاْ القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فانہ معدود فی طبقات الشافیعہ۔

और इस क़िस्म के अफराद में मुहम्मद बिन इसमाईल बुखारी भी हैं क्यों के उनका शुमार भी शाफेई तबक़ात में है।

(अलइन्साफ, पेज 21)

अलहासिल मुनकेरीने तक़लीद (जमाअते अहले हदीस) बताए उनके यहाँ हदीस के खरे खोटे को परखने का मे'यार क्या है सिवाए उसके के बुखारी व मुस्लिम में जो देख लिया उस पर ईमान ले आए तो जरा ये ही बताईए के बुखारी व मुस्लिम की सारी हदीसों को सही मानते हुए क्या उन पर आपका अ'मल है?

बुखारी व मुस्लिम की सैकड़ों अहादीस ऐसी हैं जिन पर आपका अ'मल नहीं मैं ऐसी हदीसों की एक लम्बी फहरिस्त पेश कर सक्ता हुँ और जरूरत पड़ी और बात आगे बढ़ी तो की भी जाएगी और आपका ये ए'तेराज कि मुक़ल्लिद को कोई हदीस सहीह मिले तो उसे क्या करना चाहिए जबके वह हदीस उसके इमाम के खिलाफ हो उसके जवाब में आ'लाहजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब अलैही रहमतो व रिजवान ने मुस्तकिल एक किताब 1313हिजरी में या'नी अब से तकरीबन एक सौ पन्दरह (115) साल पहले तस्नीफ फरमाई जिसका नाम

(الفضل الموهبي في معنى اذا صح الحديث فهو مذهبي) है बड़े साईज़ के 25सफहात पर मुशतमिल एक किताब में जमाअ़ते अहले हदीस के सारे मकर वछल, कैद व फरेब उड़ा कर रख दिए। सौ साल से ज़्यादा गुज़रने के बावजूद आज तक इस अजीम किताब की तरफ से पूरी जमीअत में सन्नाटा है और कोई सूरमा ऐसा पैदा ना हुआ जो उसके जवाब की हिम्मत करता। और आज तक मुनकेरीने तकलीद के कलम खामोश हैं फिर बार बार इस सवाल को दोहराना किस क़दर बेहयाई ढिटाई और बेग़ैरती है। यही ना के मियाँ हराते रहे मैं हारी ही नहीं।

और आज भी नामुक़ल्लेदीन में कोई एक भी ग़ैरतदार है तो इमाम अहलेसुन्नत के इस मुबारक रिसाले का जवाब लिखे। और जब पूरे गिरोह में किसीके बस की बात नहीं तो सब जल्दी तौबा करके मुक़ल्लिद बनें हनफी या शाफेई या मालिकी या हम्बली।

और सिर्फ एक यही नहीं बल्के उसके एलावा खास वहाबिया ग़ैर मुक़ल्लेदीन के रदद व इब्ताल में मस्अला–ए–तक़लीद और दूसरे अक़ाईद व अहकाम से मुताअल्लिक़ आ'लाहज़रत

इमाम .अहलेसुन्नत के और भी कई मबसूत व मुफस्सल रिसाईल हैं।

मस्लनः

(۱)النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد۔

(۲)النيرا الشهابى على تدليس وهابى

(۳)السهم الشهابى على خداع الوهابى۔

(۴)الكوكبة الشهابيه فى كفريات ابى الوهابيه

वगैरहा कुतुबे इमाम अहलेसुन्नत और दूसरे उलमाए अहलेसुन्नत की सैकड़ों किताबों का जवाब लिखे बगैर सवालात को दोहराए जाना और उन्हे शाए करते रहना बेहयाई नहीं तो हया व शर्म का कौनसा हिस्सा है।

सवालः जाहिर है की चारों इमामों का वजूद बाहैसियते इमाम पहली सदी में ना था बस पहली सदी के लोग मुकल्लिद हुए या गैर मुकल्लिद?

जवाबः इसका जवाब बार बार आचुका है। और खूब अच्छी तरह समझाया जा चुका है कि तक़लीद की जरूरत इस दौर के लोगों को हुजूर के जमाने से करीब होने की वजह से ना थी और जैसे जैसे इस मुबारक दौर से दूरियाँ बढीं। शरिअत पर चलने के लिए जरूरतें भी बढ गईं उन्हीं जरूरतों में से तक़लीद भी है।

आप बताईए के क्या पहली सदी में बुखारी व मुस्लिम थी? तिर्मिजी व अबुदाऊद थीं? मुसतलहाते हदीस थीं। कुरआने करीम पर ए'राब थे क्या नहव व सर्फ लुग़त सीखने सिखाने का रिवाज थ? क्या कुरआने करीम के तर्जमे थे? पहली सदी

में ना होने की वजह से इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए फिर हम से पूछिए के पहली सदी में तक़लीद थी या नहीं? और चलते चलते हज़रत शाह वली अल्लाह साहब का एक फरमान और मुलाहिजा कीजिए अपनी मशहूर किताब "عقد الجيد" में फरमाते हैं: اعلم ان فى الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفى الاعراض عنها كلها مفسدة كثيرة.

जानना चाहिए के इन चारों मज़ाहिब को एख्तेयार करने में बहुत बड़ी मस्लेहत है और उनसे गुरेज़ करने में बहुत बड़ी खराबी है।

(अब्दुल जीद फी अहकाम अलइज्तेहाद वलतक़लीद पेज 37)

सवाल: मुजतहिद को भी तक़लीद करने की जरूरत है या नहीं?

जवाब: जो मर्तबा–ए–इजतेहाद पर फाईज़ हो या'नी **इतना** इल्म रखता हो के मसाईल का इजतेहाद कर सके उसके लिए कुरआन व हदीस काफी है उसे तक़लीद की कोई जरूरत नहीं मुजतहिद को कितना इल्म चाहिए। उसकी तरफ हम इशारा किताब के शुरू में कर चुके हैं। गुज़िश्ता एक हज़ार साल से ज़्यादा अर्से में कोई मुस्तक़िल मुजतहिद फि अलशरअ पैदा ना हुआ। अल्बत्ता एक जमाअत ऐसी पाई जाती है जिसमें हर शख़्स खुद को मुज्तहिद समझता है।

सवाल: मुक़ल्लिद कुरआन व हदीस से दलाईल पकड़ सक्ता है या नहीं?

जवाब: जो मसाईल कुरआन व हदीस में सराहतन मजकूर ही नहीं या जिन मसाईल के बारे में अहादीस मुखतलिफ आई हैं उनमें वह दलील कुरआन व हदीस से कैसे लाएगा? उनमें

उसके लिए उसका इमाम काफी है। अल्बत्ता जो मसाईल कुरआन व हदीस से जरूरतन सराहतन यकीनी तौर पर साफ और वाजिह अन्दाज़ मे साबित हैं। उनमें यकीनन कुरआन ही से दलील देगा।

सवाल: मुजतहिद किसे कहते हैं क्या चौदह सौ साल में मुजतहिद सिर्फ चार हुए?

जवाब: मुजतहिद की ता'रीफ किताब के शुरू में गुजर चुकी है मुजतहिद और भी बहुत हुए लेकिन उनके मजाहिब मुरतम्बतात आज मुकम्मल नहीं पाए जाते लेहाजा उनकी तकलीद कैसे की जाएगी।

ये देखिए शाह वली अल्लाह साहब देहलवी फरमाते हैं:

وليس مذهب فى هذه الازمنة المتاخرة بهذه الصفة الاهذه المذاهب الاربعة.

या'नी अब इसके बाद वाले ज़माने में इस अन्दाज पर सिवाए उन चार मज़हबों के कोई मज़हब नहीं पाया जाता।
(अक्दुल जीद, पेज 37)

और शैख मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नज्दी जो आपके धर्म गुरू हैं वोह लिखते हैं:

ولا تنكر على من قلد احدا الاربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير.

या'नी हम चारों मज़ाहिब में से किसी एक के मुकल्लिद को बुरा नहीं मानते हाँ जो इन चारों के सिवा किसी और की तकलीद करे उसको बुरा मानते हैं। चुँकि औरों के मज़हब महफूज नहीं। (सियानतुल इन्सान पेज 482,मत्बूआ नज्द)

सवाल: इन चारों इमामों की ता'लीम क्या बजरिआ वही हुई?

जवाब: वही तो अम्बिया–ए–किराम अलैहिस सलात वस्सलाम के साथ खास है किसी और के लिए शरअन मुहाल ये बात तो मुसलमानों के बच्चे भी जानते हैं ऐसा सवाल आपकी बड़ी नादानी व दरीदा दहनी है। अल्बत्ता अईम्मा–ए–किराम को ऊलूमे नबवी सहाबा ताबेईन के जरिआ पहुँचे صلى الله تعالى على سيدهم و عليهم اجمعين हमारा अक़ीदा तो यही है की वही–ए–इस्तेलाहि सिर्फ और सिर्फ खासा–ए–अम्बिया है लेकिन आपकी जमाअती किताबों में जरूर लिखा है की आपके मशाईख पर वही आती थी और वोह बराहे रास्त बग़ैर किसी वसीले के खुदाए तआला से फैज पाते थे ये देखिए आपके शाह इस्माईल शहीद अपनी किताब "صراط مستقيم" सिरात मुस्तकीम में अपने पीर व मुरशिद सय्यद अहमद राय बरैलवी के मुताअल्लिक फरमाते हैं:

"यहाँ तक के एक दिन हज़रते हक़ (अल्लाह) जल्ला व अला ने आपका दाहना हाथ खास अपने दस्ते कुदरत में पकड़ लिया और कोई चीज़ उमूरे कुदसिया से जो के नेहायत रफीअ व बदीअ (बहुत ऊँची और अनोखी) थी आपके सामने कर के फरमाया हमने तुझे ऐसी चीज़ एनायत की है और चीजें भी अता करेंगे। (सिराते मुस्तकीम, मुरत्तिबा मौलाना इस्माईल देहलवी, मत्बा एदारा अलरशीद देवबंद, पेज 221)

थोड़ा आगे चलकर यही मौलाना शाह इस्माईल देहलवी उसी किताब में अपने उन्हीं शैख साहब की एक मज्लिस का जिक्र करते हुए रक़म तराज़ हैं:

"उस मज्लिस के एखतेताम के बाद कातिब अलहुरूफ (शाह इसमाईल) की तरफ मुतावज्जह होकर फरमाया कि आज हक तआला ने महज अपनी एनायत से बिला वास्ता किसी के

निसबते चिशतिया का एखतेताम हमें अरज़ानी किया।"
(सिराते मुस्तक़ीम, 223)

अब बताईए जमाअत अहले हदीस ये आपके घरों की दास्तान किस क़दर भयानक है ये खुदाए तआला सुब्बूह व कुद्दूस की तरफ से सय्यद अहमद राय बरैलवी के हाथ को हाथ में लेकर उमूर कुदसिया की बारिश बर्सानी और ये बिला वास्ता रब्बे क़दीर की जानिब से निसबते चिशतिया की अरज़ानी ये सब क्या है। आखिर और किसी चीज़ को थोड़ी कहते हैं वही रब्बानी, बल्के यहाँ तो जनाब जिबरईल अमीन को भी नज़र अन्दाज़ कर दिया। बिला वास्ता और हाथ में हाथ लेकर अल्लाह तआला से बात चीत हो रही है। (نعوذ بالله من الكاذبين)

अहले हदीस मौलवी की सवालात दोहराने की आदत

अल्हम्दुलिल्लाह! जमाअते अहले हदीस के सारे सवालात का जवाब मुकम्मल व मुदल्लल हमने दिया है। किताब्चे में बहुत से सवालात बार बार जिक्र करके नम्बर का अदद बढ़ाने की कोशिश की गई है मसलन सवाल नम्बर 7 में लिखते हैं अगर चारों इमामों से पहले तक़लीद जारी थीं या नहीं और थी तो किस की? फिर नम्बर 8 में लिखते हैं के अगर चारों इमामों से पहले तक़लीद जारी थी तो किस इमाम की तक़लीद थी और फिर सवाल नम्बर 9 में है की चारों इमामों से पहले जिस इमाम की तक़लीद जारी थी उसका नाम क्या है? वग़ैरह वग़ैरह। नाजेरीन खूब समझ गए होंगे के ये सवालात लिखने का क्या बचकाना अन्दाज़ है। और भी मुतअद्दिद जगह सवालात को दोहरा कर ख्वाह मख्वाह काग़ज़ काले किए हैं जो एक मज़ाक़ सी मा'लूम होती है।

सवाल नम्बर 22 में है मुक़ल्लिद कुरआन व हदीस का मतलब समझ सक्ता है या नहीं उसूल व फ़िक़ह की किताबों में भी है की मुक़ल्लिद कुरआन व हदीस से दलील ले ही नहीं सकता फिर उसके आगे सवाल नं0 24 में है। मुक़ल्लिद कुरआन व हदीस से दलील पकड़ सक्ता है या नहीं?

बहर हाल हम आपना काम अन्जाम को पहुँचा चुके कोई सवाल ऐसा नहीं बताया जा सकता के जिसका जवाब हमारे बयानात से जाहिर ना हो गया बल्के बअ़ज़ वह शुबहात भी रफ़अ कर दिए गए हैं जहाँ उनका वहम व गुमान भी ना पहुँचा हो। अब हमें कबूलियत हक़ का इन्तेजार है और उनके सारे सवालात का जवाब शाफी वकाफी लिखने के बाद अब हम भी मुनकेरीने तक़लीद से कुछ सवालात कर रहे हैं। मुलाहिजा हों।

जमाअ़ते अहले हदीस मुनक्केरीने तक़लीद से

चन्द सवालात

इन में काफी सवालात तो वोह हैं जो इस किताब में जवाब लिखते वक़्त जिमनन आगए हैं। लेकिन यहाँ उनका हम इआदा कर देंगे ताके हमारे सवालात का जवाब लिखने में उन्हें आसानी हो और तलाश करने की ज़हमत ना हो।

(1) आप लोगों ने अपने फिर्क़े गिरोह और पार्टी का नाम अहले हदीस क्यों रखा? या'नी जब आपकी पार्टी वजूद में आई थी तो आपने उसका नाम अहले कुरआन व हदीस क्यों नहीं रखा ताके कुरआन व हदीस दोनों पर अ'मल जाहिर हो ये कहने से काम नहीं चलेगा के हदीस वाला होने के लिए

कुरआन वाला होना भी जरूरी है। क्योंकि कुरआन वाला होने के लिये हदीस वाला होना भी ज़रूरी है। तो फिर सिर्फ अहले कुरआन पर इक्तेफा क्यों नहीं किया। हालाँके कुरआन मर्तबे में हदीस से बढ़कर है।

(2) आप लोग हर बात की दलील सिर्फ कुरआन व हदीस से माँगते हैं तो कुरआन व हदीस से साबित कीजिए के खुद को अहले हदीस कहलवाना कहाँ आया है या'नी हुजूर सलल्लाहु तआ़ाला अलैही व सल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दौर में अहले हक़ को मुसलमान और मोमिन कहा जाता था या अहले हदीस?

(3) तारीख गवाह है की आपके मज़हब या'नी इनकारे तक़लीद की बुनियाद आज से दो सौ साल क़ब्ल मौलवी इस्माईल देहलवी ने रखी थी तो उससे पहले के करोड़ों अहले इस्लाम किया बातिल परस्त थे? अगर नही तो आपका मज़हब मुकम्मल बातिल हुआ या नहीं?

(4) मौलवी इसमाईल देहलवी, मियाँ नजीर हुसैन देहलवी, सिद्दीक़ हसन खाँ भोपाली और सनाऊल्लाह अम्रतसरी ये सब इधर दो सौ साल के अन्दर के हैं और हिन्दुस्तान में इस्लाम को आए हुए ग्यारह बारह सौ साल हो गए तो आपके उन मौलवियों से क़ब्ल हज़ार या नौ सौ साल में जो हज़ारों उलमा हुए वोह सब मुक़ल्लिद थे या ग़ैर मुक़ल्लिद। अगर वोह तक़लीद के मुखालिफ थे तो बताईए उनमें से किस किसने तक़लीद शख़्सी की मुखालिफत में कौन कौन सी किताब लिखी है। और उन किताबों के मुसन्निफीन के नाम क्या हैं? जरा तफसील से जवाब लिखिएगा।

(5) दौरे आलमगीरी में बादशाह हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला अलैही के ज़ेरे निगरानी व सरबराही में फिक़ह हनफी पर मुशतमिल हिन्दुस्तान का आईन बनाम फतावा हिन्दिया या फतावा आलमगीरिया तय्यार किया गया था और उसमें हिन्दुस्तान के चोटी के तक़रीबन सारे उलमा शरीक व मुआविन थे। यहाँ तकके हज़रत शाह वली अल्लाह साहब के वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुलरहीम साहब भी उस उलमा कमीशन के एक अहम रुक्न थे। तो उस वक़्त आपकी, हनफिय्यत और तक़लीद की मुखालिफ जमाअत कहाँ थी? थी भी या नहीं और अगर थी तो वोह कहाँ सो रही थी? और इस दौर में हिन्दुस्तान के ये सारे ओलमा मय बादशाह के गुम्राह थे या राहयाब?

(6) आपकी अहले हदीस पार्टी के मम्दूह व महमूद, मक़सूद व मतलूब शैख मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नज्दी हम्बली मुक़ल्लिद हैं इसका इक़रार खुद आप लोगों को भी है यहाँ तक के इसी पेशे नज़र किताब्चे पर तक़दीम व पेशकश लिखने वाले मशहूर व मा'रूफ अहले हदीस आलिम व मुसन्निफ मौलवी रज़ाउल्लाह साहब अब्दुलकरीम मदनी ने भी ये इक़रार किया है अपनी तस्नीफ "मस्अला क़िराअत की हक़ीकत" में शैख के मुक़ल्लिद होने पर बड़ी मुसर्रत का इज़हार किया है बल्के जो उनको मुक़ल्लिद ना माने उसका रद्द व इबताल किया है। और शैख के लडके अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब के हवाले से शैख की एक किताब का इक़्तेबास युँ नक़्ल किया है। मैं मदनी साहब का किया हुआ तर्जमा नक़्ल कर रहा हुँ।

मुलाहिज़ा फरमाईए!

"या'नी बिला शुबह हमारा मज़हब उसूले दीन में अहलेसुन्नत व जमाअ़त का मज़हब है और हमारा तरीक़ा सल्फ का तरीक़ा है और हम भी फुरूअ़ में इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब पर हैं। चारों इमामों में से एक की तक़लीद करने वाले पर हम नकीर नहीं करते हाँ उनके एलावा जो लोग ग़ैरों की तक़लीद करते हैं तो चूँकि उनके मज़हब मुदव्वन व मज़बूत नहीं हैं जैसे रवाफिज ज़ैदया और इमामिया और उनके मिस्ल तो हम उनको उनके मज़हब की किसी बात पर अ'मल करने की इजाज़त उनके मज़हब फासिद होने की बिना पर नहीं देते बल्के उनको आईम्मा–ए–अरबआ़ (चारों इमामों) में से किसी एक की तक़लीद पर मजबूर करते हैं।"

(सियानतुलइन्सान पेज 582, मत्बुआ रेयाज बहवाला मस्अला किराअत की हकीकत, पेज 51,मत्बुआ दारूलकलम रिछा, जिला बरैली)

शैख का ये बयान नक़्ल करने के बाद अहले हदीस आलिम मौलवी मदनी साहब आगे लिखते हैं:

ये इबारत और इस जैसी दसों शहादतें शैख की किताबों में मिलती हैं जो सरीहन इस बातको साबित करती है के शैख, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे।

पता नहीं कौन सी शराब के नशे में थे मौलाना मदनी साहब जिस वक़्त ये सब नक़्ल कर रहे थे। क्या भोला पन है। कुरबान जाइए कैसी सादगी है? कि अपने घर की सब पोल खोले दे रहे हैं और ना मुक़ल्लेद होकर भी अपने धर्म गुरू के मुक़ल्लिद और पक्के मुक़ल्लिद होने के बल्के अपने मुत्तबेईन को किसी इमाम की तक़लीद पर मजबूर करने वाले तक़लीद के आशिक़ व दीवाना होने का साफ ऐलान ही नहीं बल्के उसको उन्हीं की किताबों के हवाले से मज़य्यन व मुबरहन फरमा रहे हैं। सवाल ये है की जब शैख मुहम्मद बिन अब्दुल

वह्हाब नज्दी बावजूद मुक़ल्लिद होने के आपके लिए कबिले ता'रीफ़ व सताईश हैं। आपके महबूब व मा'शूक़ मतलूब व मक़सूद हैं। तो फिर बेचारे अवाम मुस्लेमीन मुक़ल्लिदीन ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनके पीछे आप हाथ धोकर क्यों पड़े? ये तक़लीद के ऊपर ए'तेराजात करने और सवालनामा शाए करने की जरूरत क्यों दरपेश आई? तक़लीद करने वाले हनफ़ियों, शाफे'यों, मालिकियों, हम्बलियों के खिलाफ तूफ़ान खड़ा करने वालो और तक़लीदे शख़्सी को बिदअ'त व गुम्राही बताने वालो बताओ कि क्या शैख मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नज्दी, बिदअ'ती व गुम्राह और जहन्नमी थे क्योंकि हदीस शरीफ में हर बिदअ'त को गुम्राही और हर गुम्राही को जहन्नम में फरमाया गया है तो मुहम्मद बिन अब्दुलवहाब नज्दी के बिदअ'ती जहन्नमी होने का ऐलान करो। ये मत कह देना के हम उसके भी पैरूकार नहीं है ये बताओ के वोह मुक़ल्लिद होकर बिदअ'ती थे या नहीं?

(7) मौजूदा सऊदी की हुकूमत और उसके जिम्मेदार उलमा और अईम्मा–ए–मसाजिद खासकर मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी के इमाम मुक़ल्लिद हैं या ग़ैर मुक़ल्लिद। अगर वह ग़ैर मुक़ल्लिद हैं तो उनकी किताबों अखबारात व रसाईल से उनके ग़ैर मुक़ल्लिद होने का सुबूत दीजिए और वह मुक़ल्लिद हैं तो उनके बिदअ'ती और जहन्नमी होने का ऐलान कीजिए और उनके खिलाफ फतवा शाए कीजिए वरना हम ये समझेंगे के चूँकि आपको वहाँ से भारी भारी रक़में हासिल होती हैं इसलिए वह मुक़ल्लिद होकर भी आपके आक़ा व मौला व मावा बने हुए हैं और बेचारे ग़रीब हिन्दुस्तानी अवाम मुक़ल्लेदीन को आपने ख्वाह मख्वाह परेशान कर रखा है उन्हें आप तक़लीद की वजह से बिदअ'ती और जहन्नमी क्यों कहते रहते हैं? और तक़लीदे शख़्सी पर ए'तेराजात और ये सवाल

नामे आपं यहाँ क्यों शाए कर रहे हैं उनको सऊदी अरब में क्यों तक़सीम नहीं कर रहे हैं। और ये भी बताइए के सऊदिया अर्बिया खासकर हरमैन शरीफैन की मस्जिदों में रमजान में बीस रक़अत तरावीह पढ़ी जाती हैं या आठ और जुम्आ के लिए अजानें दो होती हैं या एक।

जनाजे की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा और क़िरत वह लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं या नहीं?

(8) तकलीद और अदमे तक़लीद या'नी मुक़ल्लिद और ग़ैरमुक़ल्लिद होने का एखतेलाफ उसूली है या फुरोई अगर ये एखतेलाफ उसूली है या'नी मुक़ल्लेदीन सबके सब गुम्राह हैं। इस्लाम से खारिज हैं तो सारे मुक़ल्लेदीन जो हुए और जो हैं उन सबके बारे में खास कर शैख मुहम्मद अब्दुल वहाब नज्दी और मौजूदा सऊदियों के गुम्राह व इस्लाम से खारिज होने का ऐलान करो। और अगर ये एखतेलाफ फरोई है या'नी कोई खास बात नहीं बल्के हल्का फुल्का मुआमला है और दोनों फरीक़ सही हैं और दोनों ही जन्नत के हक़दार हैं तो फिर आप मुक़ल्लेदीन को बिदअ'ती क्यों कहते हैं और आपके नुंमाईन्दे गावँ, मुहल्ले मुहल्ले मुक़ल्लेदीन में घुस घुसकर खुराफात क्यों फैलाते हैं। तरावीह आठ हैं या बीस? रफअ यदैन,आमीन ज़ोर से पुकारना और इमामा के पीछे क़िरत पढ़ने न पढ़ने के मसाईल में लोगों से झगड़ा क्यों करते हैं और नामुक़ल्लिदियत का प्रचार क्यों करते हैं।

हनफ़ी, शाफेई, मालिकी, और हम्बली का एखतेलाफ फुरोई है। या'नी सब एक दूसरे को हक़ पर ख्याल करते हैं। तो कहीं सुना के कोई हनफी शाफे'यों में या हम्बली मालिकियों में घुसकर अपने मस्लक का प्रचार करता हो यहाँ तक के नौबत झगड़े तक की आई हो? फुरोई एखतेलाफ तो ये है की जब

हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत इमाम आ'जम रहमतुल्लाह तआला अलैही के मज़ारे मुबारक पर हाजिर हुए तो उन्हीं (इमाम आ'जम) के मस्लक के मुवाफिक़ वहाँ नमाज़ पढ़ी।

इस वाक़ेए को शाह वलीय्युल्लाह साहब ने भी "अलइन्साफ" पेज 28 पर नक़्ल फरमाया है। उनकी इबारत ये है:

وصلی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریبا من مقبرۃ ابی حنفیۃ فلم یقنت تادبا معہ۔

(9) आप लोग कहते हैं के कुरआन व हदीस काफी है किसी इमाम की तक़लीद को कुरआन व हदीस की नाफरमानी और इस पर ज़्यादती बताते हैं। तो जब कुरआन व हदीस काफी है तो आपके मौलवी किताबें क्यों लिखते हैं रेसाईल व जराईद क्यों छापते, बाँटते और बेचते हैं। शायद आप फरमाएँ हमारे मौलवी किताबें कुरआन व हदीस को समझाने के लिए लिखते हैं तो मुक़ल्लिदीन को भी यह कहने दीजिये कि हम भी इमामों की तक़लीद कुरआन व हदीस को समझने और समझाने के लिये ही करते हैं और बेशक तक़लीदे आईम्मा कुरआन व हदीस को सही मआनी में समझने और इस तक पहुँचने का जरिआ है। ये अ़जीब बात है के आपके नज़दीक मशाईखे मिल्लत अकाबिरे उम्मत की तस्नीफात हेदाया, फतावा क़ाजी खाँ, फतावा आलमगीरी, बिदअ'त हो जाएँ और आपके मौलवियों की "मेयारूलहक" और "फतावा सनाईया", "फतावा नजीरया" ये, ऐन कुरआन व हदीस हो जाएँ।

पहले अपने मौलवियों की किताबें छापना, बेचना, पढ़ना, पढाना बन्द करो। ताके बक़ौल आपके कुरआन व हदीस के एलावा किसी की जरूरत ना रहे फिर हमसे कहो के आप

लोग इमाम आ'जम व शाफेई व मालिक व अहमद बिन हम्बल की तक़लीद क्यों करते हो?

और अगर आप ये कहते हैं के हम अपने उलमा व आईम्मा की किताबों से उन्हीं चीज़ों पर अ'मल करते हैं जो कुरआन व हदीस के मुवाफिक़ हैं तो खुदारा ये बताईए के जब आपकी जमाअत का हर शख़्स इतना इल्म रखता है जो मौलवियों की किताबों में ये देख सके और परख सके के कौन सी बात कुरआन व हदीस के मुवाफिक़ हैं और कौन सी मुखालिफ तो फिर इसको उन मौलवियों की किताबों की जरूरत ही क्यों रहेगी। सीधे सीधे कुरआन व हदीस ही क्यों नहीं पढ़ता।

और आपको ये कहने के साथ साथ के हम अपने मौलवियों की क़िताबों से सिर्फ वही बात मानते हैं जो कुरआन व हदीस के मुवाफिक़ हैं आप को अपने मौलवियों की किताबों की उन बातों की एक फहरिस्त भी मुरत्तिब करके शाए करना चाहिए जो कुरआन व हदीस के खिलाफ हैं ताके क़ौम गुम्राही से महफूज रहे और ये काम आपको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था और जब अपने मौलवियों की ग़लत बातों को आप मैदान में नहीं लाए तो बताईए के क्या आपके मौलवी पैग़म्बरों की तरह खता व ग़लती से महफूज थे कि उन्होंने जो कुछ लिखा सब हक़ व दुरूस्त खता से पाक लिखा और जब आपके मौलवी खताओं से पाक हैं तो हम अगर इमाम आ'जम की तक़लीद मसाईल फरोइय्या इजतेहादिया में आँख बन्द करके कर रहे हैं तो आपको इस पर ए'तेराज क्यों?

खुलासा ये के मुनकेरीने तक़लीद पहले अपने मौलवियों की तमाम किताबों मसलन नैलुल अवतार, मे'यारूल हक़, फतावा नजीरया, फतावा सनाईया, तक़वीयतुल ईमान वग़ैरहा को आग में जलाएँ और छापना, बेचना बन्द करें। उसके बाद हम से

जाहिर अलरिवायत, कुदूरी, कन्जलहक़ाईक, हेदाया, फत्हुलक़दीर, दुर्रे मुखतार, शामी, आलमगीरी, फतावा रजविया, व बहारे शरिअत वग़ैरहा के बारे में बात करें के कुरआन व हदीस के होते हुए तुम लोग उन्हें क्यों पढ़ते हो।

ये कहाँ का इन्साफ है की आपके मौलवियों की किताबें, रसाईल जराईद छापे जाएँ, बेचे जाएँ, पढ़े जाएँ, अ'मल किए जाएँ तो आपको कुरआन व हदीस का ध्यान ना आए और जब उलमाए अहनाफ व शवाफेअ, मालिकी व हम्बली हजरात की किताबें पढ़ी जाएँ तो आपको कुरआन व हदीस याद आता है और बक्ते हैं के कुरआन व हदीस हमें काफी है और किसी किताब या किसी इमाम की जरूरत नहीं।

(10) आप लोग कहते हैं के हमारे नज़दीक हमारे मौलवियों की किताबे भी सनद नहीं हैं या'नी उन किताबों से भी हमारे लिए दलील नहीं लाई जा सक्ती। तो हम पूछते हैं के आपके नज़दीक किसी के ममदूह व महमूद और लाईके सताईश व क़ाबिले ता'रीफ और क़बिले मज़म्मत अच्छा और बुरा होने का मे'यार क्या है या'नी क्या वजह है की आप किसी की तारीफ में आप ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं यानि क्या वजह है कि आप किसी की तारीफ़ करते हैं और किसी की बुराई मिसाल के तौर पर मौलवी इस्माईल दिहलवी की आप खूब जमकर तारीफ़ करते हैं। और आ'लाहज़रत मौलवी अहमद रजा खाँ साहब को गालियाँ देना आपका मज़हब बन गया है हालाँके उनकी हर बात से तो आपको भी एखतेलाफ नहीं है हज़ारों अक़ाईद व मसाईल ऐसे हैं जो आपके नज़दीक भी उन्होंने सही लिखे हैं। मसलन नमाज़, रोज़ह, हज, ज़कात की फर्जिय्यत, जूए, शराब, मुर्दार, और खून व सुअर की हुरमत। क़ादयानियत और राफजिय्यत व चकड़ालविय्यत का रद्द व इबताल वग़ैरहा बेशुमार बातों में आपको उनसे

इत्तेफाक है, तो आ'लाहज़रत की भी आपको तारीफ व तौसीफ करना चाहिए थी अगर्चे जो बातें उनकी आपकी समझ के खिलाफ थीं उनको ना मानते लेकिन आप उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए और पूरी एक किताब बनाम "बरैलवियत" उनकी तनक़ीस व तौहीन में लिखकर छाप दी। जब कुछ बातें ग़लत और कुछ सही लिखने और बताने वाला भी आपके नज़दीक लाइक़े तारीफ है तो उलमाए बरैली को आपने क्यों छोड़ा और हर बात में सिवाए खुदा और रसूल के कोई मो'तबर नही तो देहलिवी, अमरतसरी, क़नौजी, अपने मौलवियों को आपने क्यों इमाम बना रखा है या'नी उन मौलवियों को आपने सब सही की बुनियाद पर मा'ना है या कुछ ग़लत और कुछ सही की बुनियाद पर?

ज़रा वज़ाहत के साथ जवाब दीजिए! और यह भी बताइये कि किसी को सही मानने के लिये उसकी कितने प्रतिशत फीसद बाते सही होना चाहिये।

(11) चौदह सौ साल के इस अर्से में हुज़ूर सलल्लाहु तआ़ला अलैही व सल्लम के विसाल शरीफ के बाद उम्मते मुस्लेमा में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं की नहीं ? के क़ुरआन व हदीस के मुआमले में जिन पर ए'तेबार किया जाए और उनके इल्म व अ'मल तक़्वा व तहारत की बुनियाद पर उम्मत के पढ़े बे पढ़े मुसलमान उनकी बातों पर ये सोचकर ए'तेबार व भरोसा करें के ये अच्छे भले क़ाबिल आलिम लोग हैं ये हमें जो कुछ बताएँगे खुदा व रसूल की ही बात बताएँगे। अगर ऐसे कुछ आपकी नज़र में हैं तो उनके नाम बताईए और अगर नहीं तो ऐलान कीजिए के उम्मते मुहम्मदीया मुआज अल्लाह तबारक व तआ़ला झूटों की उम्मत है इस पूरी उम्मत मे कोई भी क़बिले एतेबार शख्स नहीं? और खुद अपने मौलवियों इब्ने हज़्म, इब्न क़य्यम, इब्ने तैमिया, क़ाज़ी शौकानी, इस्माईल

देहलवी, नजीर हुसैन देहलवी, सिद्दीक़ हसन भोपाली, सनाउल्लाह अमरत सरी के बारे में भी ऐलान कीजिए के ये सब नाकाबिले ए'तेबार लोग हैं।

ये कहने से काम नहीं चलेगा के मासूम, बे खता कोई नहीं ये बताईए के कबिले एतेबार कोई है या नहीं या'नी ये बताईए के ऐसा कोई है या नहीं के जिसकी पैरवी से ख़ुदा और रसूल तक पहुँचा जा सके।

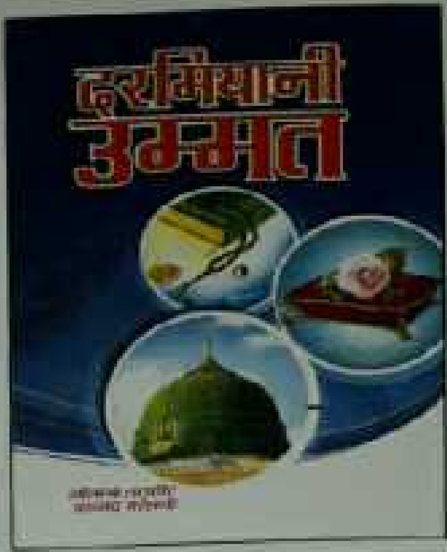
وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ فِی الْاُوْلٰی وَالْاٰخِرَۃ

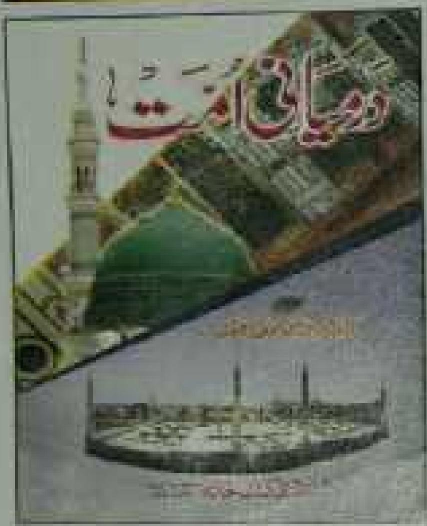
और अल्लाह ही के लिये हैं सारी तारीफ़ें शुरू में

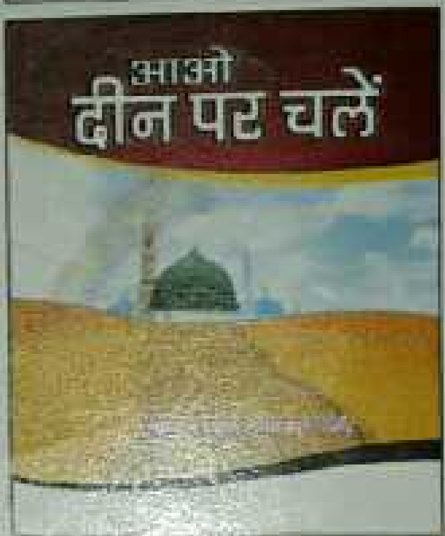
और आख़िर में

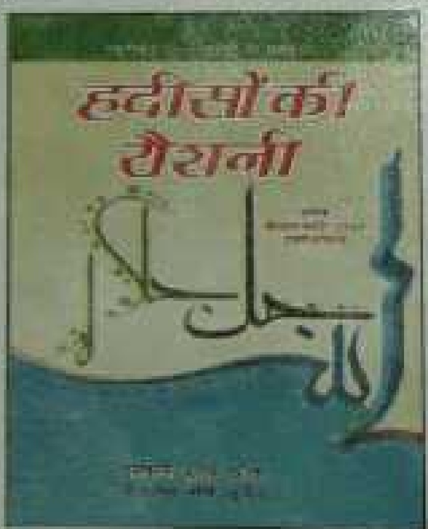
नोटः यह किताब उर्दू ज़बान मे भी छप चुकी है। उर्दू जानने वाले उर्दू वाला नुस्ख़ा हासिल करके पढ़े। हमारी किसी भी किताब की किसी बात पर कोई एतिराज़ हो तो हमें लिखकर भेजें फोन पर बात न करें और कोई साहिब किताब का जवाब लिखें तो हमारी हर बात यानी पूरी किताब का लिखें।

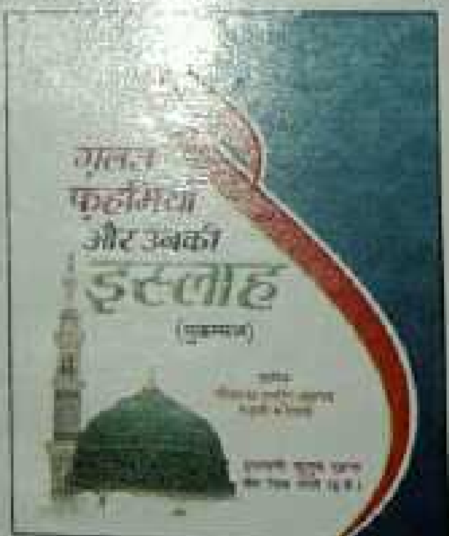












JILANI BOOK DEPOT
1229/CHOORI WALAN JAMA MASJID
DELHI-06,MOB-9212346577,9350046577

Rs.
60/-

JILANI GRAPHICS